[2021] 5 एस. सी. आर 791

मद्रास बार संगठन

वी.

भारत का संघ और ए. एन. आर.

(डब्ल्यू. पी. (ग) 2021 का 502)

14 जुलाई, 2021

[एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और

एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

न्यायाधिकरण-वित्त अधिनियम, 2017। 184 और 186 (2) [न्यायाधिकरण सुधारों (युक्तिकरण और शर्तों) द्वारा संशोधित

सेवा) अध्यादेश, 2021]-न्यायाधिकरण सुधार (तर्कसंगतकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021-एस. एस. 12 और 13

न्यायाधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्ति-प्रक्रिया-सेवा की शर्तें-आयु योग्यता-अलगाव के सिद्धांत

शक्तियों की-न्यायपालिका की स्वतंत्रता-की अनिवार्यता

विधायी ओवरराइड-पहले परंतुक और दूसरे परंतुक को चुनौती, जिसे एस के लिए तीसरे परंतुक के साथ पढ़ा जाता है। 184 (1) – चाहे एस के लिए पहला परंतुक। 184 (1) जिसमें निर्धारित किया गया था कि 50 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं था

अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उल्लंघन में था सर्वोच्च न्यायालय के रूप में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का

एम. बी. ए.-III मामले में निर्णय [मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। संघ का

भारत और एन. आर. , (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 962] एक अस्वीकार्य विधायी ओवरराइड से निराश था-चाहे दूसरा परंतुक,

तीसरे परंतुक के साथ पढ़ा गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि अध्यक्षों और सदस्यों को देय भत्ते और लाभ एक ही वेतन वाले पद पर आसीन केंद्र सरकार के अधिकारी के समान होने चाहिए, जो एम. बी. ए.-III मामले में निर्णय का अपमान था। 184 (7) जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि चयन समिति किस पद पर नियुक्ति के लिए दो नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी

अध्यक्ष या सदस्य और केंद्र सरकार लेंगे

निर्णय अधिमानतः तारीख से तीन महीने के भीतर समिति की सिफारिश, एमबीए-III मामले में निर्धारित कानून को ओवरराइड करने का भी एक प्रयास था।

एस में अभिव्यक्ति 'अधिमानतः'। 184 (7) – एस का सम्मिलन। 184 (11) अध्यक्षों और सदस्यों के लिए चार साल का कार्यकाल निर्धारित करना।

प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर न्यायाधिकरणों के गठन को भी चुनौती दी गई थी-आयोजित (प्रति एल. नागेश्वर राव, जे.) - पहला परंतुक और दूसरा परंतुक, जिसे तीसरे परंतुक के साथ पढ़ा जाता है, एस। 184

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एच. आर. ए. की नियुक्ति और भुगतान के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष निर्धारित करने के संबंध में एम. बी. ए.-III मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को अग्राह्य करते हुए, s.184 (7) खोज-सह-चयन समिति (एस. सी. एस. सी.) द्वारा प्रत्येक पद के लिए दो नामों की सिफारिश से संबंधित और आगे, सरकार द्वारा अधिमानतः निर्णय लेने की आवश्यकता

तीन महीने के भीतर असंवैधानिक हैं - s.184 (11) निर्धारित करना चार साल का कार्यकाल शक्तियों के पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून के शासन और संविधान के Art.14 के सिद्धांतों के विपरीत है।

- हालाँकि, एस के प्रावधान में कुछ भी गलत नहीं है। 184 (11) पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा रहा है, के अनुसार की गई नियुक्तियां

न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है -

आयोजित (एस. रवींद्र भट, जे. के अनुसार) (सहमति)-पहला परंतुक और एस का दूसरा परंतुक। 184 (1) , साथ ही एस। 184 (7) वित्त अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधान अमान्य और निष्क्रिय हैं - s.184 (11) (i) और (ii) भी अमान्य और असंवैधानिक-MBA में सुप्रीम कोर्ट की घोषणा

तीसरा मामला प्रबल होगा और किसी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष या उसकी 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा और किसी न्यायाधिकरण के सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष या उसकी 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा। 184 (11) बरकरार रखा गया; हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय के परिणामस्वरूप, अध्यक्ष या न्यायाधिकरणों के सदस्यों के पद पर की गई नियुक्तियों को प्रभावित किए बिना

मध्यावधि के दौरान न्यायालय के विभिन्न आदेश-आयोजित (हेमंत गुप्ता, जे.) (आंशिक रूप से असहमति)-एस के लिए पहला, दूसरा और तीसरा परंतुक। 184 (1) , अभिव्यक्ति का उपयोग अधिमानतः 'एस में। 184 (7) और एस को परंतुक। 184 (11) कानूनी और वैध हैं क्योंकि ऐसे प्रावधान विधायिका के अनन्य क्षेत्र के भीतर आते हैं-विधायिका ने नहीं किया है

उपरोक्त पहलुओं पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया क्योंकि 2020 के नियमों में ऐसे कोई संबंधित प्रावधान नहीं थे, जो न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा थे - सभापति और अन्य सदस्यों का कार्यकाल तय करने के लिए विधानमंडल

चार वर्ष से अधिक का कार्यकाल नहीं पाया गया

एम. बी. ए.-III मामले में मान्य - s.184 (7) जो विचार करता है कि प्रवर समिति को दो नामों के पैनल की सिफारिश करनी चाहिए, हालांकि एमबीए-III मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत है।

एस. 184 (11) ((i) (ii) और एस। 184 (7) वे अमान्य हैं क्योंकि अध्यादेश ने 2020 के नियमों में प्रावधानों को दोहराया है-अन्य प्रावधानों को चुनौती नहीं

कानूनी रूप से टिकाऊ-ट्रिब्यूनल, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और मद्रास बार एसोसिएशन की अन्य शर्तें v.

भारत का संघ और ए. एन. आर.

सदस्यों की सेवा) नियम, 2020-न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2021-भारत का संविधान-कला। 14 , 21 और 50।

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़ना:

एल. नागेश्वर राव, जे.

क) न्यायालय के निर्णयों के प्रभाव को निर्णय के आधार को हटाकर विधायी अधिनियम द्वारा रद्द किया जा सकता है। इस तरह का कानून पूर्वव्यापी हो सकता है। पूर्वव्यापी संशोधन होना चाहिए

ख) एक मान्यकारी विधान की वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण यह है कि दोष को इंगित करने वाला निर्णय पारित नहीं किया गया होता, यदि न्यायालय के समक्ष अपना निर्णय देने के समय मान्यकारी क़ानून द्वारा लाई जाने वाली परिवर्तित स्थिति मौजूद होती। दूसरे शब्दों में, बताए गए दोष को इस तरह से ठीक किया जाना चाहिए था कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय के आधार को हटा दिया जाए। ग) एक अधिनियम द्वारा परमादेश को समाप्त करना अनुज्ञेय विधायी अभ्यास होगा। यहां तक कि अंतरिम निर्देशों को भी विधायी वीटो द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है।

घ) संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन और विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति में घुसपैठ करना संविधान का उल्लंघन है।

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, कानून का शासन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का। [पैरा 44] [844-सी-जी] 2. मद्रास बार एसोसिएशन बनाम में परमादेश की प्रकृति में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश। भारत संघ और ए. एन. आर. , (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 962 (एम. बी. ए.-III) इस आशय का है कि अधिवक्ता सदस्यों के रूप में नियुक्ति के हकदार हैं, बशर्ते उनके पास 10 वर्ष का अनुभव हो। धारा [2021] 5 एस. सी. आर. का पहला प्रावधान।

पुनर्नियुक्त। कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की शर्तें हैं - न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मुख्य घटकों के रूप में मान्यता प्राप्त। न्यायपालिका की स्वतंत्रता तभी बनी रह सकती है जब

पदधारियों को सेवा की उचित और उचित शर्तों का आश्वासन दिया जाता है, जिसमें पर्याप्त वेतन और कार्यकाल की सुरक्षा शामिल है। इसलिए, धारा 184 (1) का पहला परंतुक शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है क्योंकि एम. बी. ए.-III में इस न्यायालय का निर्णय एक अस्वीकार्य विधायी ओवरराइड से निराश हो गया है। परिणामस्वरूप, धारा 184 (1) के पहले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। [पैरा 49] [851-बी-एफ]

3. धारा 184 (1) का दूसरा परंतुक सदस्यों को देय भत्तों और लाभों से संबंधित है जो -

जो समान वेतन वाले पद पर आसीन केंद्र सरकार के अधिकारी के लिए स्वीकार्य हैं। दूसरा प्रावधान

धारा 184 (1), जिसे तीसरे परंतुक के साथ पढ़ा जाता है, एमबीए-III में इस न्यायालय के फैसले का अपमान है। कल्पना के किसी भी विस्तार से यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त प्रावधान उपचारात्मक कानून का परिणाम हैं। एच. आर. ए. के भुगतान के लिए एम. बी. ए.-III में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए था कि न्यायाधिकरण के सदस्यों को उचित आवास प्रदान किया जाए। इस तरह का निर्देश न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जारी किया गया था और यह विधायी प्रतिक्रिया का विषय नहीं हो सकता है। इस न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश को विधायिका द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अस्वीकार्य विधायी ओवरराइड के बराबर होगा।

इसलिए, दूसरा मद्रास बार संगठन v. भारत का संघ और ए. एन. आर.

तीसरे परंतुक के साथ पठित धारा 184 (1) के परंतुक को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। [पैरा 50] [851-जी-एच; 852-एफ-जी]

सदस्यों की सेवा) नियम, 2020 खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। उक्त नियम के अनुसार, एससीएससी को प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए दो या तीन नामों की सिफारिश करनी चाहिए। एमबीए-III में 2020 के नियमों के नियम 4 (2) में संशोधन करने का निर्देश दिया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एससीएससी प्रत्येक में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की सिफारिश करेगा। प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए दो या तीन व्यक्तियों के पैनल के स्थान पर पद। प्रतीक्षा सूची में शामिल करने के लिए एक और नाम की सिफारिश की जा सकती है। पर्याप्त कारण दिए गए थे

एम. बी. ए.-III ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के मामलों में कार्यकारी प्रभाव से बचा जाना चाहिए-इसलिए, यह निर्देश कि प्रत्येक पद के लिए केवल एक व्यक्ति की सिफारिश की जाएगी। इस संबंध में इस न्यायालय का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत निर्धारित कानून है। विधायिका द्वारा इस न्यायालय के उक्त निर्णय को रद्द करने का एकमात्र तरीका नियम 4 (2) में दोष को ठीक करना है। वित्त अधिनियम, 2017 में संशोधन करने वाले अध्यादेश में 2020 के नियमों के नियम 4 (2) के प्रावधान को दोहराने के अलावा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। एर्गो, धारा 184 (7) कानून में अस्थिर है क्योंकि यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ओवरराइड करने का प्रयास है। 2020 के नियमों के नियम 4 (2) की सामग्री को धारा 184 (7) में रखकर दोहराना न्यायिक क्षेत्र में घुसपैठ करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है जो निषिद्ध है। [पारस 52,53] [853-जी-एच; 855-ए-सी]

4.2 . धारा 184 (7) के दूसरे भाग में प्रावधान है कि सरकार सिफारिशों के संबंध में निर्णय लेगी। एस. सी. एस. सी. द्वारा अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर किया गया। यह इस न्यायालय द्वारा एम. बी. ए.-III में दिए गए निर्देश के जवाब में है कि सरकार एस. सी. एस. सी. द्वारा चयन और सिफारिश के पूरा होने के तीन महीने के भीतर न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करेगी। ऐसी थी दिशा

लंबे समय से खाली पड़े न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियों और पदों को भरने में भारत संघ द्वारा दिखाई गई सुस्ती को देखते हुए यह आवश्यक है। 5 एस. सी. आर. की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश।

नियुक्ति न्याय प्रशासन के व्यापक हित में और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए थी। सरकार को निर्णय लेने की अनुमति देने वाले अध्यादेश द्वारा संशोधित धारा 184 (7)

अधिमानतः एस. सी. एस. सी. की सिफारिश की तारीख से तीन महीने के भीतर अमान्य और असंवैधानिक है, क्योंकि यह संशोधित प्रावधान केवल इस न्यायालय के निर्देशों को नकारना चाहता है।

[पैरा 54] [855-सी-ई, जी; 856-ए]

5. किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल धारा 184 (11) द्वारा चार साल निर्धारित किया जाता है। भारत संघ बनाम में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का अध्ययन करने के बाद। आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन और रोजर मैथ्यू, जिन्होंने कहा कि एक छोटा कार्यकाल योग्यता के खिलाफ है, इस अदालत ने निर्देश दिया न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के संबंध में 2020 के नियमों के नियम 9 (1) और 9 (2) में कार्यकाल में पांच साल के रूप में संशोधन

एमबीए-III में। इस न्यायालय ने घोषणा की कि न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। चार साल की अवधि निर्धारित करने वाली धारा 184 (11) को शामिल करना।

न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 26.05.2017 के प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर स्पष्ट रूप से MBA-III में अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा को ओवरराइड करने का प्रयास है। इसलिए, धारा 184 (11) के खंड (i) और (ii) को अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया जाता है। [पैरा 55] [856 ए-बी, डी-एफ] 6. जहां तक धारा 184 (11) के परंतुक का संबंध है, अध्यादेश में अधिकतम कार्यकाल पांच साल निर्धारित किया गया है, भले ही

26.05.2017 के बीच पारित नियुक्ति आदेशों के संबंध में और 04.04.2021 उच्च कार्यकाल प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में, इस न्यायालय द्वारा कुदरत संधू में दिए गए अंतरिम निर्देशों को भी रद्द कर दिया जाता है। हालांकि, धारा के प्रावधान में कुछ भी गलत नहीं है

हस्तक्षेप करें। यह स्पष्ट करते हुए कि नियुक्तियाँ जो इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर सी. ई. एस. टी. ए. टी. को दिए जाते हैं, वे सुसंगत क़ानून और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे, जैसा कि वे वित्त अधिनियम, 2017 से पहले मौजूद थे।

184 (11) बरकरार रखा जाता है। इसके अलावा, आई. डी. 1 के बाद की सभी नियुक्तियां अध्यादेश द्वारा शासित होंगी, जैसा कि इसमें निहित निर्देशों द्वारा संशोधित किया गया है। [पैरा 57] [857-एफ-जी; 858-बी-सी, डी-एफ]

यह न्यायालय सुसंगत क़ानून और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होगा जो 26.05.2017 से पहले मौजूद थे। आई. डी. 1 की अधिसूचना का नोटिस पहले ही लिया जा चुका है, जिसके माध्यम से एच. आर. ए. से संबंधित 2020 के नियमों के नियम 15 को लागू किया गया है। एम. बी. ए.-III के निर्देशों के अनुरूप संशोधन किया गया। [पैरा 58] [858 एफ-एच; 859-ए]

एस. आर. भागवत और अन्य। वी. मैसूर राज्य (1995) 6 एस. सी. सी. 16 [1995] 3 पूरक। एस. सी. आर. 545; कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (1983) 1 पूरक। एससीसी 96: [1991] 2 पूरक। एस. सी. आर. 497; भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम। केरल राज्य और अन्य। (2019) 13 एससीसी 185: [2018] 10 एस. सी. आर. 212 और विरेन्द्र सिंह हुड्डा और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्र। (2004) 12 एससीसी 588: [2004] 5 पूरक। एससीआर 720

पर भरोसा किया।

भारत संघ बनाम। आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन (2010) 11 एससीसी 1: [2010] 6 एस. सी. आर. 857; रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य। (2020) 6 एससीसी 1: [2019] 16 एस. सी. आर. 1; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 962; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2014)

10 एससीसी 1: [2014] 10 एससीआर 1; एस. पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ और अन्य। (1987) 1 एससीसी 124:

एस. सी. आर. 435; मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1980) 3 एससीसी 625: [1981] 1 एस. सी. आर. 206; एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य। (1997) 3 एस. सी. सी. 261 [1997] 2 एस. सी. आर. 1186; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2015) 8 एससीसी 583: [2015] 6 एससीआर 638; आर. के. जैन बनाम। भारत संघ (1993) 4 एस. सी. सी. 119 [1993] 3 एस. सी. आर. 802; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। एस्सार पावर लिमिटेड (2016) 9 एस. सी. सी. 103: [2016] 5 एससीआर 101; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 962; कुद्रत संधू बनाम। भारत संघ [2018] 10 एस. सी. आर. 956; श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण (1975) पूरक। एससीसी 1: [1976] 2 एस. सी. आर. 347; तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य और

एन. आर. (2014) 12 एससीसी 696 [2014] 12 एससीआर 875; आई. आर. कोएल्हो बनाम टी. एन. राज्य (2007) 2 एस. सी. सी. 1: [2007] 1 एस. सी. आर. 706; उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन और ओआरएस। वी. भारत संघ (1993) 4 एस. सी. सी. 441 [1993] 2 पूरक। एस. सी. आर. 659; भारत संघ बनाम। संकलचंद हिमतलाल सेठ और अन्र। (1977) 4 एससीसी 193: [1978] 1 एस. सी. आर. 423; उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और ए. एन. आर. वी. भारत संघ (2016) 5 एससीसी 1: [2015] 13 एस. सी. आर. 1; आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ और अन्य। (1981) 4 एससीसी 675: [1982] 1 एस. सी. आर. 947; टी. वेंकट रेड्डी और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य (1985) 3 एससीसी 198: [1985] 3 एस. सी. आर. 509; कृष्ण कुमार सिंह और अन्र। वी. बिहार राज्य और अन्य। (2017) 3 एससीसी 1: [2017] 5 एस. सी. आर. 160; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। राकेश

कोहली और एन. आर. (2012) 6 एससीसी 312: [2012] 6 एससीआर 661; के. एस. पुट्टास्वामी और अन्र. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. (2019) 1 एससीसी 1: [2018] 8 एस. सी. आर. 1; श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. ब्रोच बरो नगरपालिका और अन्य।

(1969) 2 एस. सी. सी. 283 [1970] 1 एस. सी. आर. 388; पटेल गोरधनदास हरगोविंदास और अन्य। वी. नगरपालिका

आयुक्त, अहमदाबाद और अन्र। [1964] 2 एस. सी. आर. 608; जनपद सभा छिंदवाड़ा बनाम। मध्य प्रांत

सिंडिकेट लिमिटेड और ए. एन. आर. (1970) 1 एससीसी 509: [1970] 3 एससीआर 745; आई. एन. सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1976) 4 एससीसी 750: [1976] 3 एस. सी. आर. 237; इंडियन एल्यूमीनियम कं. और अन्य। वी. केरल राज्य और अन्य। (1996)

ओ. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन V. भारत का संघ और ए. एन. आर.

भारत और ओआरएस। (1978) 2 एससीसी 50: [1978] 3 एस. सी. आर. 334; श्री रंगा मैच इंडस्ट्रीज और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1994) 2 पूरक। एससीसी 726; ए. वी. नचाने और अन्र. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. (1982) 1 एससीसी 205 [1982] 2 एससीआर 246; डॉ. अश्विनी कुमार बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2020) 13 एस. सी. सी. 585 [2019] 12 एस. सी. आर. 30; राम प्रवेश सिंह और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य। (2006) 8 एससीसी

381 [2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 512; भारत संघ और

ओआरएस। वी. करनैल सिंह और अन्य। (1995) 2 एससीसी 728: [1994] 5 पूरक। एस. सी. आर. 584; पंजाब राज्य और अन्य। वी. रफीक

मसीह (व्हाइटवॉशर) (2014) 8 एस. सी. सी. 883 [2014] 8 एस. सी. आर. 228 और राज्य बनाम। कल्याण सिंह और अन्य। (2017) 7 एस. सी. सी. 444 [2017] 6 एस. सी. आर. 946-संदर्भित।

मार्बरी वी। मैडिसन 5 यू. एस. 137 (1803); संयुक्त राज्य अमेरिका

वी. पीटर्स 9 यू. एस. 115 (1809); ब्राउन बनाम। बोर्ड ऑफ

टोपेका की शिक्षा 347 यू. एस. 483 (1954); कूपर बनाम। आरोन 384 यू. एस. 436 (1966); मिरांडा बनाम। एरिजोना 384 यू. एस. 436 (1966); डिकर्सन बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 530 यू. एस. 428 (2000) और प्लॉट बनाम। स्पेंडथ्रिफ्ट फार्म, इंक. 514

यू. एस. 211 (1995)-संदर्भित।

इरविन चेमेरिस्की, अदालत को बने रहना चाहिए था

चुप: डिकर्सन बनाम का निर्णय लेने में न्यायालय ने गलती क्यों की

संयुक्त राज्य अमेरिका, 149 पेनसिल्वेनिया लॉ रिव्यू 287-308 (2001) और निकोलस स्टेफानोपोलोस, द केस फॉर द

विधायी ओवरराइड, 10 यू. सी. एल. ए. जर्नल ऑफ इंटरनेशनल कानून और विदेश मामले 250 (2005)-संदर्भित।

एस. रवींद्र भट, जे. (सहमत)

1. धारा 184 के पहले परंतुक के लिए चुनौती, जो आयु योग्यता को दर्शाती है, को कई पहलुओं से देखा जाना चाहिए। सबसे पहले, अंतर्निहित मूल क़ानून जिन्होंने बनाया

इनल्स (आई. टी. ए. टी., सी. ई. एस. टी. ए. टी., टी. डी. एस. ए. टी., सी. ए. टी.) ने सदस्यों के रूप में उम्मीदवारों के चयन के लिए योग्यता मानदंड के रूप में किसी भी उम्र का निर्धारण नहीं किया था। न्यूनतम 50 वर्ष का प्रिस्क्रिप्शनइस अदालत की राय में योग्यता मानदंड बिना किसी [2021] 5 एस. सी. आर. के है।

तर्कपूर्ण। आई. टी. ए. टी. पिछले 79 वर्षों से अस्तित्व में है; इसके कम से कम 33 सदस्यों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था; उनमें से एक (रंगनाथन, जे.) इस अदालत में नियुक्त किया गया था। सी. ई. एस. टी. ए. टी. में भी ऐसे अधिवक्ता शामिल हैं जिन्होंने कर्मचारियों को नियुक्त किया है

न्यायाधिकरण कुशलता से। वृद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली वरीयता के लिए किसी भी स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, वास्तव में एक बेतुका परिणाम की ओर ले जाती है-जैसा कि एम. बी. ए.-III में बताया गया था और जैसा कि एल. नागेश्वर राव, जे. ने अपनी राय में दोहराया है। भारत का संविधान एक ऐसे अधिवक्ता को बनाता है जिसने 10 वर्षों से अधिक समय तक वकालत की हो।

उच्च न्यायालय और यहां तक कि इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र। जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए बार के साथ 7 साल की प्रैक्टिस करने वाले वकील पर विचार किया जा सकता है। अधिवक्ताओं के विचार के लिए न्यूनतम आयु सीमा के रूप में 50 वर्ष निर्धारित करने का पूरी तरह से विनाशकारी प्रभाव पड़ता है

सफल युवा अधिवक्ताओं को छोड़कर, विशेष रूप से वे जो विशेष विषय में प्रशिक्षित और सक्षम हो सकते हैं (जैसे अप्रत्यक्ष कराधान, डंपिंग रोधी, आय-कर, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और दूरसंचार विनियमन)। 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की वरीयता में ऐसे योग्य उम्मीदवारों का बहिष्कार समझ से परे है और इसलिए पूरी तरह से मनमाना है। जैसा कि इस न्यायालय ने अपने पिछले फैसले (रोजर मैथ्यू) में एक अन्य संदर्भ में बताया है, ऐसे युवा और ऊर्जावान कानूनी लोगों को बाहर रखा गया है।

व्यवसायियों के परिणामस्वरूप इतने कुशल या सक्षम व्यवसायियों को किसी क्षेत्र में विचार के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है जो

उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की गुणवत्ता पर प्रभाव बताना। [पैरा 21] [874-जी-एच; 875-ए-ई]

2. इन न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिए एक शर्त के रूप में 50 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित करना भी मनमाना है क्योंकि इस मामले में और न ही किसी अन्य मामले में (आर. गांधी-एमबीए-I; मद्रास बार एसोसिएशन-III) न्यूनतम आयु मानदंड के बिना वास्तविक अभ्यास, प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा और विषय विशेषज्ञता को महत्व देने के लंबे समय से स्थापित मानदंडों से ध्यान हटाने के लिए संसद को कोई कारण सामने नहीं आया है। और रोजर मैथ्यू)। ऐसा होने पर, यह आश्चर्यजनक है कि एक वर्ष की अवधि में (यानी रोजर मैथ्यू में निर्णय के बाद) "नई सोच" नियम बनाने के लिए प्रबल प्रतीत होती है।

ऐसे अधिवक्ता जो अपनी विशेषज्ञता के आधार पर उच्च न्यायालयों में भी नियुक्ति के लिए विचार कर सकते हैं।

[पैरा 22] [875 एफ-एच] मद्रास बार एसोसिएशन V. भारत का संघ और ए. एन. आर.

3. आयु वर्ग में युवा अधिवक्ताओं का विचार

आई. डी. 1 वर्षों के लिए दीर्घकालिक लाभ होंगे क्योंकि ऐसे क्षेत्रों (दूरसंचार विनियमन, कराधान-दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जी. ए. टी. टी. नियम, अंतर्राष्ट्रीय कराधान आदि) में क्षेत्र ज्ञान और विशेषज्ञता इन न्यायाधिकरणों में निर्णय लेने में उपयोगी होगी और न्यायशास्त्र के एक निकाय की ओर ले जाएगी। इस बात पर निर्भर करते हुए कि ऐसे वकील/अधिवक्ता न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में कैसे काम करते हैं,

इन कानूनों के बारे में उनके विशेष ज्ञान के लिए, बाद में और उचित स्तर पर, उन्हें उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए भी विचार किया जा सकता है। [पैरा 23] [876-ए-बी]

4. इस मामले में आरोपित आयु मानदंड भी पूरी तरह से विसंगत और बेतुके परिणामों की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, 18 या 20 साल की प्रैक्टिस करने वाला एक वकील, जिसकी उम्र 44 साल है, जिसमें विशेषज्ञता है

अप्रत्यक्ष कराधान, दूरसंचार या अन्य विनियामक कानूनों का क्षेत्र विषय वस्तु से परिचित होगा। पात्र होने के बावजूद, (क्योंकि वह एमबीए-III में निर्णय के आलोक में कम से कम 10 साल के अभ्यास के मापदंडों को पूरा करेगा) ऐसे उम्मीदवार को बाहर रखा जाएगा। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जिसने 10 वर्षों तक कानून का अभ्यास किया हो सकता है, और बाद में पूरी तरह से असंबंधित क्षेत्र में निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकारी के रूप में कार्य किया हो सकता है, लेकिन जिसकी आयु 50 वर्ष हो सकती है, उसे पात्र माना जाएगा, और संभवतः एक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार, आयु मानदंड के परिणामस्वरूप कम प्रासंगिक अनुभव वाले उम्मीदवारों की तुलना में अधिक प्रासंगिक अनुभव और योग्यता वाले उम्मीदवारों को केवल आयु के आधार पर चुना जाएगा। [पैरा 24] [876-सी-ई]

5.1 . यह देखते हुए कि आवश्यक शैक्षिक योग्यताएँ और

संबंधित क्षेत्र में अनुभव सभी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया जाता है, नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु (जैसे वर्तमान मामले में) के आधार पर एक वर्गीकरण के लिए सफल होने के लिए, संघ यह नहीं कह सकता है कि इसे मान्य माना जाना चाहिए, चाहे वर्गीकरण की प्रकृति और उद्देश्य या अंतर की गुणवत्ता और विस्तार कुछ भी हो। उम्मीदवारों के बीच अनुभव। 18 वर्ष के अनुभव वाले लेकिन 42 या 43 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति और केवल 12 वर्ष के अनुभव वाले किसी व्यक्ति के बीच, यदि अनुभव और योग्यता के लिए वेटेज की प्रणाली लागू की जानी थी, तो उससे अधिक के साथ

अनुभव का चयन किए जाने की पूरी संभावना है। फिर, यह कहने के लिए कि कम अनुभव वाला, लेकिन जिसकी उम्र अधिक है, वह [2021] 5 एस. सी. आर. होना चाहिए।

चयनित और नियुक्त, न केवल अधिक अनुभव वाले को हटा देना, बल्कि उसे अयोग्य घोषित करने का मतलब होगा कि बेहतर उम्मीदवारों की अनदेखी की जानी चाहिए और कम अनुभव वाले लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए, केवल इस आधार पर कि बाद वाले की आयु 50 वर्ष से अधिक है। [पैरा 27] [877-डी-जी]

5.2 . वर्तमान मामले में, नियम का प्रभाव बहिष्कृत करने का है

योग्य उम्मीदवार, बिना किसी स्पष्ट सार्वजनिक नीति या लक्षय के। इस प्रकार, वर्गीकरण किसी भी न्यायोचित तर्क पर आधारित नहीं है और न ही यह कहा जा सकता है कि आयु मानदंड का उस उद्देश्य के साथ कुछ संबंध है जिसे प्राप्त करने की इच्छा है, जैसे कि अधिक दक्षता या अनुभव। [पैरा 27] [878-बी]

5.3 . न्यूनतम आयु 50 वर्ष के रूप में

नियुक्ति के लिए आवश्यक, भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसे न तो इच्छित उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध दिखाया गया है

प्राप्त किया, अर्थात सबसे मेधावी उम्मीदवारों की नियुक्ति; न ही यह किसी भी अनुभवजन्य अध्ययन या डेटा पर आधारित दिखाया गया है कि ऐसे पुराने उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करते हैं, या कि अधिक प्रासंगिक अनुभव वाले युवा उम्मीदवार उतने अच्छे नहीं होंगे, जितने के सदस्य

न्यायाधिकरण। यह स्पष्ट और सरल है, उम्र के आधार पर भेदभाव। मानदंड (न्यूनतम 50 वर्ष की आयु का) वस्तुतः चुना जाता है। एक टोपी से "और पूरी तरह से मनमाना। [पैरा 31] [881-जी-एच; 882-ए-बी]

6.1 . वित्त द्वारा पुनर्गठित किए गए न्यायाधिकरण

अधिनियम, 2017 और अब, विवादित अध्यादेश के माध्यम से, विवादों के निर्णय के दौरान राज्य के न्यायिक कार्यों का प्रयोग करता है, कानून की व्याख्या करता है और उसे लागू करता है। की नियुक्ति (ऐसे न्यायाधिकरणों के) सदस्य, उनकी सेवा की शर्तें, चयन का तरीका, पारिश्रमिक और कार्यकाल की सुरक्षा उनकी दक्षता और स्वतंत्र कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह इस पृष्ठभूमि में है कि आयु मानदंड के औचित्य के रूप में संघ की सिविल सेवाओं के सदस्यों या संघ के तहत सिविल पदों के धारकों के साथ "समानता" या "समानता" के बारे में संघ के तर्क की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा, यह याद रखना सार्थक है कि एक सिविल सेवक का अनुभव, हालांकि विविध और विविध है।

-

तालुक, जिला और राज्य स्तरों पर समन्वय और प्रशासन से लेकर मद्रास बार संगठन को तैयार करने, तैयार करने और लागू करने तक।

पेशेवर, चार्टर्ड एकाउंटेंट और सिविल सेवकों का एक वर्ग, यानी कर प्रशासक और न्यायनिर्णायक कानून की दिन-प्रतिदिन की व्याख्या में शामिल होते हैं, जिससे न्यायिक परिणाम सामने आते हैं। इस तरह के मामले में, न्यायाधिकरणों के सदस्यों की "स्थिति" की समानता की तुलना रैखिक या कठोर तरीके से नहीं की जा सकती है। कि संघ की नियमों और विनियमों की योजना के अनुसार, इसकी सेवाओं के सदस्य एक निश्चित रैंक प्राप्त कर सकते हैं मान लीजिए, 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, इसलिए, निर्धारक नहीं हो सकता है। किसी भी मामले में, समतुल्यता का तर्क प्रासंगिक नहीं है। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ II में इस अदालत के फैसले में भी इस बिंदु को सामने लाया गया था। [पारस 32,34] [882 ईसा पूर्व-डी; 884-ए-डी]

6.2 . सिविल सेवकों और न्यायाधिकरणों के सदस्यों के बीच अंतर के अन्य बिंदु भी हैं। न्यायाधिकरणों के सदस्य हैं

वे किसी सिविल सेवा से नहीं लिए गए हैं; वे सिविल पदों के धारक नहीं हैं। सिविल सेवक, विशेष रूप से संघ द्वारा भर्ती की गई अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, जिनमें से कुछ को विभिन्न राज्यों में तैनात किया जाता है, परिपत्रों और आदेशों में सन्निहित नियमों और अन्य सेवा शर्तों द्वारा शासित होते हैं। ये अपने पूरे को नियंत्रित करते हैं

रोजगार का विश्वः पात्रता शर्तों, भर्ती और चयन के नियमों, वेतन और भत्तों, वरिष्ठता, पदोन्नति, अनुशासन और कदाचार, पेंशन, अंतिम लाभ आदि से संबंधित अन्य मामलों से शुरू करें। दूसरी ओर, ऐसे नियम या इसी तरह के नियम उन न्यायाधिकरणों के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं जो लोक सेवा से नहीं लिए गए हैं। यह केवल समानता की शर्तें हैं जैसे कि वेतन।

पैमाना जिसके बारे में उन्हें नियमों के तहत आश्वासन दिया जाता है, जो उनकी स्थिति भी निर्धारित करता है। चयन का तरीका, पात्रता की शर्तें, साबित दुर्व्यवहार पर उन्हें हटाने के लिए नियम और

इस प्रकार, लोक सेवकों से पूरी तरह से अलग हैं। वास्तव में, बाद की श्रेणी, यानी लोक सेवा स्रोतों से नहीं लिए गए न्यायाधिकरणों के सदस्य, सिविल पदों के धारक या किसी भी नागरिक सेवा के सदस्य भी नहीं हैं। वे संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा शासित नहीं हैं, और न ही उनकी सेवा की शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित हैं। ऐसी स्थिति होने के कारण, न्यायालय की राय में समानता का तर्क पूरी तरह से योग्यता से रहित है। न ही [2021] 5 एस. सी. आर. का तर्क है।

महान्यायवादी ने कहा कि एक समान आयु आवश्यक है। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि तकनीकी पक्ष पर भर्ती किए गए सदस्य, जैसे कि इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक या अन्य तकनीकी विशेषज्ञ

50 वर्ष की आयु पार करने के बाद ही खेत उपयुक्त होंगे। संघ का यह तर्क कि 50 वर्ष आवश्यक हैं क्योंकि यह सिविल सेवाओं के सदस्यों के बीच समानता लाता है जो न्यायाधिकरणों के लिए अपनी धारा में विचार किए जाने के योग्य हैं या समग्र एकरूपता है, योग्यता के बिना है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 35] [884-एफ-एच; 885-ए-सी; 886-एफ]

7. विवादित अध्यादेश द्वारा जोड़ी गई धारा 184 (1) के प्रावधान को अमान्य घोषित कर दिया गया है। एक घोषणा जारी की जाती है कि सभी उम्मीदवार, अन्यथा योग्यता और संबंधित क्षेत्र में अनुभव के आधार पर अपनी योग्यता के आधार पर पात्र हैं, विवादित "न्यूनतम" आयु (50 वर्ष) मानदंड के संदर्भ के बिना विचार किए जाने के हकदार हैं। [पैरा 38] [888-सी]

8. इस न्यायालय के अंतरिम निर्देश, जो रोजर मैथ्यू में समाप्त हुए और शामिल किए गए, के परिणामस्वरूप विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति हुई, जिनके कार्यकाल को अब धारा 184 (11) के परंतुक द्वारा बाधित करने की मांग की गई है, जिसे पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पेश किया गया है। हालांकि इस प्रावधान के लिए दी गई पूर्वव्यापीता को दोष नहीं दिया जा सकता है, फिर भी, उक्त परंतुक, इस हद तक कि यह अंतरिम आदेशों के तहत नियुक्त सदस्यों के कार्यकाल में हस्तक्षेप करना और उन्हें कम करना चाहता है, जो पूर्व संशोधित कानून और नियमों के अनुसार अपने कार्यकाल का आनंद लेने के हकदार हैं, मनमाना और शून्य है। [पैरा 41] [890 डी-एफ] 9. न्यायाधिकरणों के सदस्यों के रूप में नियुक्त कुछ व्यक्तियों के कार्यकाल को पांच साल तक कम करना, जो पूर्व-मौजूदा अधिनियमों (62 वर्ष की आयु आदि) के संदर्भ में पद पर बने रहने के हकदार थे, मनमाना है। इस तथ्य के अलावा कि संघ अंतिम होने के बावजूद अपने कार्यकाल में कटौती करना चाहता है

रोजर मैथ्यू और एम. बी. ए.-III में इस अदालत के निर्देशों में कोई कल्पनीय तर्क नहीं है। न ही इसके औचित्य के रूप में किसी भी प्रमुख जनहित का समर्थन किया गया है। इस अदालत की राय में, विधायी आदेश द्वारा न्यायिक पद का विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीधे प्रभावित करता है। यह भी नग्न होने के बराबर है भेदभाव, क्योंकि एक ही न्यायाधिकरण के अन्य सभी सदस्य मद्रास बार एसोसिएशन v.

भारत का संघ और ए. एन. आर.

सेवा की पूर्व-विद्यमान शर्तों के संदर्भ में, जो उनकी नियुक्ति के समय प्रचलित थीं, वे लंबे कार्यकाल का आनंद लेंगे। [पैरा 42] [892-बी-ई]

10. यह निम्नलिखित रूप में समाप्त और आयोजित किया जाता है:

(i) वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 (1) का पहला प्रावधान, जिसे न्यायाधिकरण सुधारों की धारा 12 द्वारा पेश किया गया है।

(तर्कसंगतकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 को इसके द्वारा अमान्य और निष्क्रिय घोषित किया जाता है। इसी तरह, वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 (1) का दूसरा प्रावधान, जिसे न्यायाधिकरण सुधारों की धारा 12 द्वारा पेश किया गया है।

सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 को अमान्य और निष्क्रिय माना गया है।

((ii) वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 (7) को न्यायाधिकरण सुधारों की धारा 12 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 को शून्य और निष्क्रिय घोषित किया गया है।

((iii) न्यायाधिकरणों की धारा 12 द्वारा शुरू की गई धारा 184 (11) (i) और (ii) (सुधार और सेवा की शर्तें)

अध्यादेश, 2021 को इसके द्वारा अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया जाता है।

((iv) परिणामस्वरूप, एम. बी. ए.-III के पैरा 53 (iv) में इस न्यायालय की घोषणा प्रबल होगी और किसी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा और किसी न्यायाधिकरण के सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगा। जो भी पहले हो।

(v) धारा के परंतुक को दी गई पूर्वव्यापीता

184 (11) - न्यायाधिकरण (सुधार तर्कसंगतकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 की धारा 12 द्वारा प्रस्तुत अध्यादेश, 2021 को एतद्द्वारा बरकरार रखा गया है; हालाँकि, विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष या सदस्यों के पद पर की गई नियुक्तियों को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, 04.04.2021 तक। दूसरे शब्दों में, प्रावधान की पूर्वव्यापीता किसी भी तरह से अंतराल अवधि के दौरान इस न्यायालय के विभिन्न आदेशों के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए अधिकारियों के कार्यकाल को प्रभावित नहीं करेगी। [पैरा

46] [894 - एफ-जी; 895-ए-ई]

गुजरात राज्य बनाम। रमन लाल केशव लाल सोनी (1983)

2 एससीसी 33: [1983] 2 एस. सी. आर. 287-अनुसरण किया गया।

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जे एंड के राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा (1974) 1 एस. सी. सी. 19: [1974] 1 एस. सी. आर. 771; मो. शुजात अली बनाम। भारत संघ (1975) 3 एससीसी 76: [1975] 1 एससीआर 449; अनुज गर्ग बनाम। होटल एसोसिएशन। भारत (2008) 3 एस. सी. सी. 1: [2007] 12 एस. सी. आर. 991 और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ। (II) v. भारत संघ (1993) 4 एससीसी 288: [1993] 1 पूरक। एससीआर 749-पर निर्भर।

भारत संघ बनाम। आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन (2010) 11 एससीसी 1: [2010] 6 एससीआर 857; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (2014) 10 एस. सी. सी. 1 [2014] 10 एस. सी. आर. 1; रोजर मैथ्यू (2020) 6 एस. सी. सी. 1 [2019] 16 एस. सी. आर. 1; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन (एस. सी.) 962 (एम. बी. ए. III); डॉ. डी. सी. वाधवा और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य। [1987] 1 एस. सी. आर. 198; कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) 3 एससीसी 1: [2017] 5 एससीआर 160;

केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य [1973] 1 पूरक। एस. सी. आर. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3

एस. सी. सी. 261 [1997] 2 एस. सी. आर. 1186; इस्माइल फारूकी बनाम। भारत संघ (1994) 6 एससीसी 360: [1994] 5 पूरक। एस. सी. आर. 1; परीना स्वरूप बनाम। भारत संघ (2008) 14 एससीसी 107: [2008] 13 एससीआर 1217; एस. पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ और अन्य। (1987) एस. सी. सी. पूरक। 734 : [1987] 3 एससीआर 233; मद्रास बार एसोसिएशन (2015) 8 एससीसी 583: [2015] 6 एससीआर 638; आर. के. जैन बनाम। भारत संघ [1993] 3 एससीआर 802; चंद्र मोहन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1967] 1 एस. सी. आर. 77; चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम। पटना उच्च न्यायालय (1969) 3 एससीसी 56: [1970] 2 एस. सी. आर. 666; केरल राज्य बनाम ए. लक्ष्मीकुट्टी और ओआरएस। [1987] 1 एस. सी. आर. 136; बिहार राज्य बनाम। बाल मुकुंद साह (2004) 4 एस. सी. सी. 640; लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा और अन्य। वी. भारत संघ (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 261; आयुक्त, एम. सी. डी. बनाम शशि (2009) 165 डीएलटी 17 और पी. वेणुगोपाल बनाम। भारत संघ (2008) 5 एससीसी 1: [2008] 8 एस. सी. आर. 1-संदर्भित।

लियानगे वी। रानी [1967] 1 एसी 259,287-288; स्मिथ बनाम। जैक्सन शहर 544 यू. एस. 228 (2005) और बाब बनाम। विल्के नं. 18-882,589 यू. एस.-संदर्भित।

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर.

प्रति हेमंत गुप्ता, जे। (आंशिक रूप से असहमत)

1. न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव द्वारा लिखित विस्तृत निर्णय में व्यक्त किए गए विचार भी अलग लेकिन सहमत हैं।

न्यायमूर्ति रवींद्र भट के फैसले से सहमति नहीं है, सिवाय इस सीमित सीमा के कि न्यायाधिकरण सुधार (तर्कसंगतकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 की धारा 187 (7) के हिस्से में कहा गया है कि खोज और चयन समिति एक पद के लिए दो नामों की सिफारिश करेगी और अध्यक्ष आदि सहित सदस्यों का कार्यकाल खंडों के संदर्भ में चार साल होगा।

(अध्यादेश की धारा 184 (11) का (i) और (ii) अवैध है क्योंकि पैनल के गठन और कार्यकाल के मुद्दे पहले ही पारित हो चुके हैं। एम. बी. ए.-III मामले में निर्णय लिया गया कि इस तरह के दोष को दूर किए बिना अध्यादेश लागू नहीं किया जा सकता था। [पैरा 1] [895-एफ-एच]

2. न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी ऐसे कानून को निरस्त कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या

यदि यह विधायी क्षमता से परे है लेकिन अदालतें विधायिका को एक विशेष तरीके से कानून बनाने या अधिनियमित करने का निर्देश नहीं दे सकती हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून संविधान के अनुच्छेद 141 के संदर्भ में भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए निर्देश हैं -

संविधान के अनुच्छेद 141 के संदर्भ में प्रत्येक न्यायालय के लिए बाध्यकारी।

संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर विधायिका को किसी भी तरह से न्यायालय नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय के निर्देश विधायिका की चार दीवारों के बाहर रुकते हैं। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के ज्ञात सिद्धांतों पर एक क़ानून की वैधता का परीक्षण करने के लिए एक कानून लागू होने के बाद ही कदम उठाएगी। न्यायपालिका विधायिका के पास निहित शक्तियों को हड़प नहीं सकती और न ही उसे लेना चाहिए। न्यायपालिका संविधान की योजना में कानून नहीं बना सकती है। एम. बी. ए.-III मामले में इस न्यायालय के निर्देश विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं। [पैरा 13] [900-ई-जी; 901-ए-सी] 3. न्यायालय राज्य या संघ को कोई विशेष कानून बनाने, या किसी वैधानिक नियम में संशोधन के लिए कोई अधिसूचना जारी करने या किसी अधिनियम को लागू करने का निर्देश देने का निर्देश नहीं देगा, जब विधायिका ने कार्यपालिका को ऐसी शक्ति प्रदान की हो। एम. बी. ए.-III मामले में इस न्यायालय के निर्देश [2021] 5 एस. सी. आर. में जारी किए गए थे।

विधानमंडल को एक विशेष तरीके से कानून में संशोधन करने के लिए अनिवार्य करने के बजाय न्यायाधिकरण को जल्द से जल्द कार्यात्मक बनाने के लिए विशिष्ट तथ्य। विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, जो हो सकता है कि

अनिवार्य रूप से इस न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में। इस तरह का कानून जब

संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित, भले ही न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों या दिशानिर्देशों के विपरीत हो, उक्त कारण से निरस्त नहीं किया जा सकता है। यद्यपि अतिक्रमण

संवैधानिक सीमाएँ और विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति में घुसपैठ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, कानून के शासन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका विधायिका को किसी विशेष तरीके से कोई कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती है। [पैरा 20,29] [904-ए-सी; 909-ई]

एम. बी. ए.-III मामले में जारी निर्देश को दरकिनार करें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्त को न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में अधिवक्ताओं की पात्रता पर विचार करते समय ध्यान में रखा गया था। हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया और मार्च, 2017 में केंद्र सरकार को भेजा गया था कि कोई व्यक्ति बार कोटे के विरुद्ध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह

सिफारिश की तारीख को पैंतालीस वर्ष की आयु पूरी की

उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 217 के संदर्भ में, एक उम्मीदवार एक अधिवक्ता के रूप में 10 साल के अभ्यास के बाद नियुक्ति के लिए पात्र हो जाता है। इस प्रकार, एक अधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

35 वर्ष की आयु। इस न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अपनाए गए प्रक्रिया ज्ञापन में पैंतालीस वर्ष की आयु निर्धारित की गई है -

न्यूनतम आयु। नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता न केवल उम्मीदवार की योग्यता पर निर्भर करती है, बल्कि अनुभव और उपयुक्तता पर भी निर्भर करती है, संभावित कार्यकाल जो एक उम्मीदवार के पास हो सकता है, आवश्यक विचार हैं। [पैरा 31] [909-जी-एच; 910-ए-डी] 5. इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए प्रक्रिया ज्ञापन के साथ पढ़े गए संविधान के संदर्भ में, एक अधिवक्ता के पास होगा

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिकतम 17 वर्ष का कार्यकाल, मद्रास बार एसोसिएशन v.

इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और तीन साल। दूसरी ओर, न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त एक अधिवक्ता का कार्यकाल 17 वर्ष का हो सकता है, भले ही नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 50 हो। ऐसे सदस्य का कार्यकाल 67 वर्ष की आयु तक होता है और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की संभावना होती है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की स्थिति की तुलना किसी सदस्य से करने के लिए नहीं है।

एक न्यायाधिकरण का। सदस्यों की नियुक्ति न्यायिक प्रभुत्व वाली उच्चाधिकार प्राप्त खोज और चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। यदि कोई सदस्य कानूनी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है, तो उसे फिर से नियुक्त नहीं किए जाने के बारे में कोई आशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। पुनः नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से न्यायिक प्रभुत्व के साथ उच्चाधिकार प्राप्त खोज और चयन समिति के साथ है। कानून में कोई प्रावधान केवल इस कारण से असमर्थनीय नहीं पाया जा सकता है कि फिर से नियुक्त नहीं होने की संभावना है। [पैरा 32] [910-ई-जी]

6. अधिवक्ता 2020 के नियमों के तहत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे। इसलिए, ऐसे उम्मीदवारों की पात्रता की आयु की कोई शर्त नहीं थी। निर्णय में चर्चा नहीं है

दिशा के रूप में माना जाता है। ऐसी पृष्ठभूमि है जिसमें अंतिम निर्देश जारी किए जाते हैं। चूँकि विशेष रूप से आयु से संबंधित पात्रता शर्तों के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे, इस प्रकार, पात्र आयु को पचास वर्ष के रूप में निर्धारित करना माना नहीं जा सकता है।

एम. बी. ए.-III मामले में जारी किए गए निर्देशों का विरोधाभास। भले ही यह ऐसे किसी भी निर्देश का उल्लंघन कर रहा हो, लेकिन विधायिका के लिए न्यूनतम पात्रता आयु निर्धारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में है।

नियुक्ति का उद्देश्य। [पारस 33,34] [910-एच; 911-ए-सी] 7. पात्रता शर्त के रूप में 50 वर्ष की आयु सीमा से बाहर नहीं है, बल्कि इसके संबंध में पिछले कानून पर आधारित है

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के सदस्य। इस प्रकार, पात्रता शर्त के रूप में पचास वर्ष की आयु का निर्धारण स्पष्ट रूप से मनमाना या इनमें से किसी का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

किसी भी उम्मीदवार के मौलिक अधिकार जो आयु की ऐसी शर्त को अवैध बना सकते हैं। तर्क इस आशंका पर आधारित है कि पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नियुक्त अधिवक्ता के लिए एक कार्यकाल पूरा करने के बाद कानूनी प्रैक्टिस फिर से शुरू करना मुश्किल होगा, अगर उसे फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है।

जो अपने काम में सक्षम और अच्छा है, उसे अपने अभ्यास को फिर से शुरू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन अगर उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है तो उसके पेशेवर करियर का क्या होगा, यह एक परिकलित जोखिम है जो एक उम्मीदवार को नियुक्ति के समय लेना होगा। इस तरह भविष्य में क्या होगा, इस बारे में आशंकाएं क़ानून में उम्र की शर्त को कम करने का आधार नहीं हो सकती हैं। इस न्यायालय के पास यह कहने की विशेषज्ञता नहीं है कि यह एक के लिए मुश्किल होगा

यदि उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है तो अभ्यास फिर से शुरू करने की वकालत करें। वैधानिक प्रावधानों को ऐसे आधारों पर निरस्त नहीं किया जा सकता है -

अनुमानित आशंकाएँ। [पैरा 40] [913-ई-एच; 914-ए]

8. किसी वैधानिक प्रावधान की आशंका या दुरुपयोग किसी क़ानून के प्रावधानों को अमान्य घोषित करने का आधार नहीं है। में।

पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने में विफल रहने की स्थिति में, उम्मीदवार नहीं होगा

अभ्यास को फिर से शुरू करने में सक्षम होना आशंकाओं पर आधारित है। पुनर्नियुक्ति से इनकार करने के लिए वे अच्छे या वैध आधार हैं या नहीं, यह न्यायिक समीक्षा का विषय हो सकता है, हालांकि उच्च शक्ति खोज और चयन समिति का उम्मीदवार को फिर से नियुक्त नहीं करने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में हस्तक्षेप की गारंटी नहीं दे सकता है। [पारस 41,43] [914-ए-बी; 915-डी-ई]

9. दूसरा परंतुक इस आशय का है कि भत्ते और लाभ उस सीमा तक होंगे जो केंद्र को स्वीकार्य हैं।

समान वेतन वाले पद पर आसीन सरकारी अधिकारी। धारा 184 (1) का तीसरा प्रावधान यह है कि जहां अध्यक्ष या सदस्य किराए पर घर लेते हैं, उन्हें ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन घर के किराए की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो निर्धारित की जा सकती हैं। तीसरे परंतुक के संदर्भ में, न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और अन्य) सदस्यों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2021 प्रकाशित किए गए हैं। अब अधिसूचित नियमों के अनुसार, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति के पास वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले आवास का लाभ उठाने का विकल्प होगा या वे एक लाख रुपये की सीमा के अधीन घर का किराया भत्ते के हकदार होंगे। एक लाख पचास हजार रुपये प्रति माह और सदस्यों के पास इसका लाभ उठाने का विकल्प होगा।

केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार प्रदान किया जाने वाला आवास या मकान किराए का हकदार मद्रास बार संगठन v.

1 जनवरी, 2021 से प्रति माह बीस-पाँच हजार रुपये की सीमा के अधीन भत्ता। इसलिए जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाता है। [पैरा 45] [916-ए-डी]

10. इस न्यायालय का निर्देश था कि संघ तीन महीने के भीतर न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करेगा, जबकि

अध्यादेश में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है कि केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों पर "अधिमानतः तीन महीने के भीतर" निर्णय लेगी। दोनों दिशाएँ केवल निर्देशिका हैं। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि 'होगा' या 'हो सकता है' अभिव्यक्ति का उपयोग इस तथ्य का निर्धारण नहीं करता है कि शर्त अनिवार्य है या निर्देशिका। इसलिए, धारा 184 की उप धारा (7) में उपयोग की गई 'अधिमानतः' अभिव्यक्ति को अलग करने का कोई कारण नहीं है। इस तरह के निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में जारी किए गए थे जो संसद की चार दीवारों पर रुकते हैं। उपयोग की जाने वाली भाषा विधायी क्षमता के भीतर आती है और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और न ही इसे स्पष्ट रूप से मनमाना कहा जा सकता है। [पैरा 47] [916-जी-एच; 917-ए-बी]

11. अध्यादेश द्वारा धारा 184 (11) में अंतःस्थापित परंतुक दो स्थितियों से संबंधित है। एक के संबंध में है

धारा 184 की उप-धारा (11) के संदर्भ में 26.5.2017 से अधिसूचित तिथि यानी 4.4.2021 तक नियुक्त उम्मीदवार। दूसरा उन उम्मीदवारों के संबंध में है जिन्हें नियुक्त नहीं किया गया है धारा 184 की उप-धारा (1) के परंतुक के भीतर, जिसमें यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वह अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक संभावित प्रावधान है क्योंकि कोई भी उम्मीदवार जिसने 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वह पात्र नहीं है।

नियुक्ति की तलाश करें। इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार है और वह भी इस न्यायालय के आदेश के तीन महीने के भीतर। सबसे पहले, एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति लेने का कोई अधिकार नहीं है। सफल रहे हैं। उम्मीदवारों को नियुक्त होने का अनिश्चित अधिकार प्राप्त नहीं होता है जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि कानून ने एक विशेष आयु निर्धारित करने के लिए हस्तक्षेप किया है जो विज्ञापन की स्थिति से भिन्न है, उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं करने का एक अच्छा कारण है। धारा 174,175 और 184 [2021] 5 एस. सी. आर. की वैधता।

रोजर मैथ्यू के मामले में वित्त अधिनियम, 2017 को बरकरार रखा गया है। इसलिए, इस तरह के संशोधन के बाद, नियुक्तियां केवल वित्त अधिनियम की धारा 184 के तहत प्रसिद्ध नियमों के संदर्भ में की जा सकती हैं। अब, कुछ नियम अध्यादेश द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसलिए, जिन उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं किया गया है, उन्हें केवल वित्त अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 184 के संदर्भ में नियुक्ति लेनी होगी। जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया था, वे अपने पुराने कार्यकाल के आधार पर नियुक्ति नहीं ले सकते हैं।

चयन और योग्यता में होना। [पारस 54,55,56] [921-जी-एच; 922-ए सी; एफ-एच]

12.1 . के कुछ अध्यक्ष और सदस्य

न्यायाधिकरणों की नियुक्ति इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के संदर्भ में 26.5.2017 से 4.4.2021 के बीच की गई थी। नियुक्तियों की अनुमति देने वाला अंतरिम आदेश अब अध्यादेश में शामिल हो गया है जिसने कार्यकाल और नियुक्ति के नियमों और शर्तों को परिभाषित किया है। यह अध्यादेश वास्तव में संघ को संशोधन की मांग करने की स्वतंत्रता के संदर्भ में है। केवल यह तथ्य कि संशोधन के लिए आवेदन लंबित है, इस पर रोक नहीं लगाएगा एक अध्यादेश के माध्यम से एक क़ानून लागू करने के लिए विधायिका। धारा 184 (11) के आधार पर आई. डी. 1 के बाद की गई नियुक्तियां मूल क़ानून द्वारा नहीं बल्कि अध्यादेश में उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होंगी। महान्यायवादी की सहमति क़ानून यानी अध्यादेश के खिलाफ एक अवरोध के रूप में कार्य नहीं करेगी। [पारस 57,58] [923-ए, डी-ई]

12.2 . विचाराधीन उम्मीदवारों को इस दौरान नियुक्त किया गया था

एल. आई. एस. की लटकन। ये नियुक्तियाँ पूर्ण नियुक्तियाँ नहीं थीं, बल्कि मूल अधिनियम के प्रावधानों के अधीन थीं, जिन्हें वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित किया गया है। वे वित्त अधिनियम की धारा 184 की उप-धारा (11) के प्रावधान के अनुसार मूल अधिनियम के तहत सेवानिवृत्ति की आयु तक पद पर बने रहने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। द.

मूल अधिनियम के प्रावधान अस्तित्व में नहीं हैं

रोजर मैथ्यू में पारित आदेश और अध्यादेश के माध्यम से पेश किए गए बाद के विधायी अधिनियम। [पैरा 62] [925 डी-एफ]

13.1 . धारा 184 (1) का पहला, दूसरा और तीसरा परंतुक, धारा 184 (7) में 'अधिमानतः' अभिव्यक्ति का उपयोग और परंतुक मद्रास बार एसोसिएशन v.

धारा 184 (11) कानूनी और वैध है क्योंकि ऐसे प्रावधान विधायिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं। विधायिका ने उपरोक्त पहलुओं पर इस न्यायालय के फैसले को रद्द नहीं किया है क्योंकि 2020 के नियमों में ऐसे कोई संबंधित प्रावधान नहीं थे, जो न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा थे। [पैरा 63] [925-एफ-जी]

13.2 . एम. बी. ए.-III में चार साल का कार्यकाल मान्य नहीं पाए जाने के कारण चार साल के अलावा अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तय करना विधायिका के लिए खुला है। धारा 184 (7) जो यह विचार करती है कि प्रवर समिति को

दो नामों के पैनल की सिफारिश करना एमबीए-III में इस न्यायालय के निर्देशों के विपरीत है। इस प्रकार, धारा 184 (11) (i) (ii) और धारा 184 (7) को अमान्य घोषित किया गया है क्योंकि अध्यादेश ने उन प्रावधानों को दोहराया है जो 2020 के नियमों में थे। दूसरों के लिए चुनौती प्रावधान कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं। [पैरा 64] [925-जी-एच; 926-ए]

एस. आर. भागवत और अन्य। वी. मैसूर राज्य (1995) 6 एससीसी 16: [1995] 3 पूरक। एस. सी. आर. 545; कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (1983) 1 पूरक। एससीसी 96: [1991] 2 पूरक। एस. सी. आर. 497; भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम। केरल राज्य और अन्य। (2019) 13 एससीसी 185: [2018] 10 एस. सी. आर. 212 और विरेन्द्र सिंह हुड्डा और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्र। (2004) 12 एससीसी 588: [2004] 5 पूरक। एससीआर 720

प्रतिष्ठित।

पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 4 एससीसी 578; ए. के. रॉय बनाम भारत संघ और अन्य। , (1982) 1 एससीसी 271: [1982] 2 एस. सी. आर. 272; कल्पना मेहता और अन्य, v. भारत संघ और अन्य। (2018) 7 एससीसी 1: [2018] 4 एस. सी. आर. 1. राज्य की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति

विधानसभाएँ, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745; पद्म सुंदर राव

(मृत) और ओआरएस। वी. टी. एन. और अन्य का राज्य। , (2002) 3 एससीसी

533 [2002] 2 एस. सी. आर. 383 और प्राकृतिक संसाधन

आबंटन, 2012 के विशेष संदर्भ सं. 1 में -

पीछा किया।

डॉ. अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. (2020) 13

एससीसी 585 [2019] 12 एससीआर 30; मंगलम ऑर्गेनिक्स

सीमित वी। भारत संघ, (2017) 7 एस. सी. सी. 221:

[2021] 5 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. सी. आर. 406; उड़ीसा राज्य और अन्य। वी. मो. इलियास (2006) 1 एस. सी. सी. 275: [2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 395; भारत संघ बनाम। अमृत लाल मनचंदा और अन्र। , (2004) 3 एससीसी 75: [2004] 2 एस. सी. आर. 422; सोम मित्तल बनाम सरकार की

एन. आर. वी. लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2013) 15 एस. सी. सी. 414: [2013] 17 एस. सी. आर. 496; शांति भूषण बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और ए. एन. आर. , (2018) 8 एससीसी 396: [2018] 12 एससीआर 972 और एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ और अन्य। , (2000) 6 एस. सी. सी. 212: [2000] 1 पूरक। एस. सी. आर. 389-निर्भर। भारत संघ बनाम। आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन (2010) 11 एससीसी 1: [2010] 6 एस. सी. आर. 857; रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य। (2020) 6 एससीसी 1: [2019] 16 एस. सी. आर. 1; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 962; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2015) 8 एस. सी. सी. 583 [2015] 6 एस. सी. आर. 638; सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास और अन्र। वी. नथेला संपथु चेट्टी और अन्र। ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 316 [1962] 3 एस. सी. आर. 786;

आंध्र प्रदेश और अन्र. वी. जी. जय प्रसाद राव और अन्य। , (2007) 11 एससीसी 528: [2007] 4 एस. सी. आर. 256; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड एन. आर. वी. भारत संघ (2004) 9

एस. सी. सी. 580 [2003] 6 पूरक। एस. सी. आर. 860; चरण लाल साहू बनाम। भारत संघ, (1990) 1 एस. सी. सी. 613: [1989] 2 पूरक। एस. सी. आर. 597; महमूद आलम तारिक और अन्य। वी. की स्थिति

राजस्थान और ओआरएस। (1988) 3 एससीसी 241: [1988] 1 पूरक। एस. सी. आर. 379; श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और अन्र। वी. ब्रोच बरो नगरपालिका और अन्य। (1969) 2 एससीसी 283:

[1970] 1 एस. सी. आर. 388; मदन मोहन पाठक और अन्र। वी.

भारत संघ और अन्य। , (1978) 2 एस. सी. सी. 50 [1978] 3 एस. सी. आर. 334; एस. एस. बोला और अन्य वी. बी. डी. सरदाना और अन्य। (1997) 8 एस. सी. सी. 522 [1997] 2 पूरक। एससीआर 507; बी. के. पवित्रा बनाम भारत संघ (2019) 16 एससीसी 129: [2019] 7 एस. सी. आर. 1086; तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य (2014) 12 एससीसी 696: [2014] 12 एस. सी. आर. 875; मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच बनाम। भारत संघ,

(2006) 3 एससीसी 643: [2006] 2 एस. सी. आर. 740 और शंकरसन मद्रास बार एसोसिएशन v.

भारत और ए का संघ

डैश वी। भारत संघ (1991) 3 एससीसी 47: [1991] 2

एस. सी. आर. 567 निर्दिष्ट है।

मामला कानून संदर्भ

एल. नागेश्वर राव के निर्णय में, जे.

[2010] 6 एससीआर 857

संदर्भित किया गया है

पैरा

1

[2014] 10 एससीआर 1

पैरा

1

संदर्भित किया गया है

[2019] 16 एससीआर 1

पैरा

1

संदर्भित किया गया है

[1987] 1 एससीआर 435

संदर्भित किया गया है

पैरा

3

[1981] 1 एससीआर 206

पैरा

3

संदर्भित किया गया है

[1997] 2 एससीआर 1186

संदर्भित किया गया है

पैरा

4

[2010] 6 एससीआर 857

संदर्भित किया गया है

पैरा

5

[2015] 6 एससीआर 638

पैरा

6

संदर्भित किया गया है

[1993] 3 एससीआर 802

संदर्भित किया गया है

पैरा

8

[2014] 10 एससीआर 1

पैरा

8

संदर्भित किया गया है

[2016] 5 एससीआर 101

पैरा

8

संदर्भित किया गया है

[2004] 5 पूरक। एससीआर 720

उस पर भरोसा करें

पैरा

12

[2018] 10 एससीआर 956

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

[1976] 2 एससीआर 347

पैरा

21

संदर्भित किया गया है

[2014] 12 एससीआर 875

पैरा

21

संदर्भित किया गया है

[2007] 1 एससीआर 706

संदर्भित किया गया है

पैरा

21

[1993] 2 पूरक। एससीआर 659

संदर्भित किया गया है

पैरा

26

[1978] 1 एससीआर 423

पैरा

26

संदर्भित किया गया है

[2015] 13 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[1982] 1 एससीआर 947

पैरा

38

संदर्भित किया गया है

[1985] 3 एससीआर 509

पैरा

38

संदर्भित किया गया है

[2017] 5 एससीआर 160

संदर्भित किया गया है

पैरा

38

[2012] 6 एससीआर 661

पैरा

39

संदर्भित किया गया है

[2018] 8 एससीआर 1

पैरा

39

1] 5 एस को संदर्भित किया गया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1 एससीआर 388

संदर्भित किया गया है

[1970]

पैर

ा 40

[1964] 2 एससीआर 608

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 40

[1970] 3 एससीआर 745

पैर

ा 41

संदर्भित किया गया है

[1976] 3 एससीआर 237

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 41

[1996] 2 एससीआर 23

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 41

[2003] 1 पूरक। एससीआर 1

पैर

ा 41

संदर्भित किया गया है

[1978] 3 एससीआर 334

पैर

ा 42

संदर्भित किया गया है

(1994) 2 पूरक। एस. सी. सी. 726

पैर

ा 42

संदर्भित किया गया है

[1982] 2 एससीआर 246

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 42

[1991] 2 पूरक। एससीआर 497

उस पर भरोसा करें

पैर

ा 43

उस पर भरोसा करें

[1995] 3 पूरक। एससीआर 545

पैर

ा 43

[2018] 10 एस. सी. आर. 212

उस पर भरोसा करें

पैर

ा 43

[2019] 12 एससीआर 30

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 53

[2006] 6 पूरक। एससीआर 512

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 53

[1994] 5 पूरक। एससीआर 584

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 53

[2014] 8 एससीआर 228

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 57

[2017] 6 एससीआर 946

पैर

ा 57

संदर्भित किया गया है

एस. रवींद्र भट के निर्णय में, जे.

[2014] 10 एससीआर 1

पैर

ा 5

संदर्भित किया गया है

[1987] 1 एससीआर 198

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 6

[2017] 5 एससीआर 160

पैर

ा 7

संदर्भित किया गया है

[1973] 1 पूरक। एससीआर

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 8

[1997] 2 एससीआर 1186

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 9

[1994] 5 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 9

[2008] 13 एससीआर 1217

पैर

ा 10

संदर्भित किया गया है

[1987] 3 एससीआर 233

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 11

[1997] 2 एससीआर 1186

पैर

ा 11

संदर्भित किया गया है

[2010] 6 एससीआर 857

संदर्भित किया गया है

पैरा 11 आर. ए. एस. बार एसोसिएशन v. भारत और ए का संघ 5] 6 एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

] 16 एससीआर 1

पैरा 11

संदर्भित किया गया है

] 3 एससीआर 802

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

] 1 एससीआर 77

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

] 2 एससीआर 666

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

] 1 एससीआर 136

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

) 4 एससीसी 640

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

-] 1 एससीआर 771

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

उस पर भरोसा करें

] 1 एससीआर 449

पैरा 26

] 12 एससीआर 991

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

] 1 पूरक। एससीआर 749

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

] 2 एससीआर 287

पीछा किया।

पैरा 39

-] 8 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

ई. हेमंत गुप्ता, जे.

उस पर भरोसा करें

] 12 एससीआर 30

पैरा 3

) 4 एस. सी. सी. 578

पीछा किया।

पैरा 8

] 2 एससीआर 272

पीछा किया।

पैरा 8

] 5 एससीआर 406

पैरा 9

उस पर भरोसा करें

-] 4 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा 10

पीछा किया।

1965 एससी 745

पैरा 10

] 2 एससीआर 383

पीछा किया।

पैरा 14

] 5 पूरक। एससीआर 395

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

उस पर भरोसा करें

-] 2 एससीआर 422

पैरा 16

] 3 एससीआर 130

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

] 17 एससीआर 496] 12 एससीआर 972

उस पर भरोसा करें

पैरा 18

] 1 पूरक। एससीआर 389

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

] 3 एससीआर 786

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 42

[2003] 6 पूरक। एससीआर 860

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 42

[1989] 2 पूरक। एससीआर 597

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 42

[1988] 1 पूरक। एससीआर 379

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 42

[1970] 1 एससीआर 388

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 49

[1978] 3 एससीआर 334

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 50

[1997] 2 पूरक। एससीआर 507

पैर

ा 50

संदर्भित किया गया है

[2019] 7 एससीआर 1086

पैर

ा 51

संदर्भित किया गया है

[2014] 12 एससीआर 875

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 52

[2006] 2 एससीआर 740

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 52

[1991] 2 एससीआर 567

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 55

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लिखित याचिका (सिविल) सं।

502 2021 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत के. के. वेणुगोपाल, ए. जी. , बलबीर सिंह, ए. एस. जी. , आर. बालासुब्रमण्यम,

अरविंद पी दातार, सिद्धार्थ लूथरा, अरुणेश्वर गुप्ता, सी एस वैद्यनाथन,

सिद्धार्थ वासुदेव, नवदीप सिंह, सुश्री गायत्री गुलाटी, सुश्री साक्षी कक्कड़, नलिन तलवार, समीर अभ्यंकर, अमीश टंडन, आयुष बियोत्रा, दीपिन तमांग, उद्धव खन्ना, अक्षय जोशी, के. सी. कौशिक, राहुल कौशिक, सुश्री भुवनेश्वरी पाठक, सुश्री शिल्पी सत्यप्रिय सत्यम, पंकज सिंह, सुश्री रंजना सिंह, महेश ठाकुर, कौशिक मिश्रा, किरण पटेल, सुश्री वियाप्सा सिंह, आर. गौरीशंकर, एस. राजप्पा, गौरव अग्रवाल, सिद्धार्थ पल्ली, साहिल टागोत्रा, रुपेश कुमार, राजीव शर्मा,

सुश्री नीलम शर्मा, सुश्री पंखुड़ी श्रीवास्तव, अलेक्जेंड्रा शर्मा, प्रवेश बहुगुणा, निनाद लाउड, शुभ्रो मुखर्जी, इवो डी कोस्टा, राजीव सिंह, पी. बी. सुरेश, कृष्ण देव जगरलामुदी, साई कौशल एन., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एल. नागेश्वर राव, जे.

(न्यायाधिकरण सुधार (तर्कसंगतकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 और वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 और 186 (2), न्यायाधिकरण सुधार (तर्कसंगतकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 द्वारा संशोधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,21 और 50 के अधिकार के बाहर होने के कारण क्योंकि ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और

भारत संघ बनाम में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत होने के अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन 1, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और Anr.[2], रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ & Anr.4. याचिकाकर्ता भारत में न्यायाधिकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग शाखा की स्थापना के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को आगे निर्देश देना चाहता है।

2. इस देश में न्यायाधिकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक संक्षिप्त संदर्भ विवाद की बेहतर समझ के लिए आवश्यक है

इस रिट याचिका में निर्णय के लिए आता है। 42 वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 323-ए और 323-बी को शामिल करने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

" उच्च न्यायालयों में बढ़ते बकाया को कम करने और सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रगति के संदर्भ में सेवा मामलों, राजस्व मामलों और विशेष महत्व के कुछ मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरणों के लिए प्रावधान करना समीचीन माना जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत ऐसे मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को संरक्षित करते हुए ऐसे मामलों से निपटने के लिए। उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार में कुछ संशोधन करना भी आवश्यक है।

अनुच्छेद 226 "।

3. अनुच्छेद 323-ए (1) के तहत अधिनियमित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के अधिकारों को एस. पी. संपत कुमार बनाम में चुनौती दी गई थी।

1 1 (2010) 11 एस. सी. सी. 1 2 (2014) 10 एस. सी. सी. 1 3 3 (2020) 6 एस. सी. सी. 1 4 (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 962 [2021] 5 एस. सी. आर.

इस न्यायालय के समक्ष भारत संघ और Ors.[3]। रिट याचिका में लिया गया मुख्य आधार यह था कि अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा एस. पी. संपत कुमार (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय के स्थान पर संसद मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य में किए गए अवलोकन पर भरोसा करके न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक प्रभावी वैकल्पिक संस्थागत तंत्र स्थापित कर सकती है। वी. भारत संघ और अन्य।

हालाँकि, इस न्यायालय की दृढ़ राय थी कि न्यायाधिकरणों को उच्च न्यायालयों का वास्तविक विकल्प होना चाहिए। न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित अधिनियम के अध्याय II की जांच करते हुए, इस न्यायालय ने अपना विचार व्यक्त किया कि न्यायाधिकरणों के सदस्यों का एक छोटा कार्यकाल सक्षम व्यक्तियों के लिए सदस्यों के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने में एक बाधा होगी।

4. एस. पी. संपत कुमार (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले की शुद्धता पर इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया गया था।

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य। ' जिसने अनुच्छेद 323-ए और 323-बी में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अपवर्जन को असंवैधानिक पाया। इस न्यायालय ने घोषणा की कि न्यायाधिकरण इन क्षेत्रों के संबंध में पहली बार के न्यायालयों की तरह कार्य करना जारी रखेंगे -

कानून जिसके लिए उनका गठन किया गया है।

5. इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. बालकृष्ण एराडी की अध्यक्षता में भारत संघ द्वारा कंपनियों के दिवालिया होने से संबंधित कानून पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 1956 (इसके बाद 1956 अधिनियम के रूप में संदर्भित), बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत बीआईएफआर और एएआईएफआर और उच्च न्यायालयों में निहित परिसमापन से संबंधित अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के तहत कंपनी कानून बोर्ड की शक्तियों को मिलाकर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (इसके बाद एनसीएलटी के रूप में संदर्भित) की स्थापना के लिए कुछ सिफारिशें कीं। सरकार ने

6 (1980) 3 एस. सी. सी. 625

7 (1997) 3 एस. सी. सी. 261 मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

उच्च न्यायालय ने 2002 के संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों में कुछ दोषों की ओर इशारा किया। उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि एन. सी. एल. टी. और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय

न्यायाधिकरण (इसके बाद एन. सी. एल. ए. टी. के रूप में संदर्भित) का गठन निर्णय में बताए गए दोषों को दूर किए बिना नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम में उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था।

आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन 3 (इसके बाद एमबीए-I के रूप में संदर्भित)। 1956 के अधिनियम के भाग I-B और I-C को निर्णय में की गई टिप्पणियों के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया गया था।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद 2013 अधिनियम के रूप में संदर्भित), जिसने 1956 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया, में एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की स्थापना के प्रावधान शामिल थे। मद्रास बार एसोसिएशन ने एक रिट दायर की

2013 अधिनियम की धारा 408 के तहत एन. सी. एल. टी. के गठन को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती देने वाली याचिका। उक्त रिट याचिका में एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के गठन, सदस्यों और अध्यक्ष/अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए योग्यता और चयन समिति के गठन से संबंधित कई अन्य प्रावधानों पर भी विचार किया गया था। मद्रास बार एसोसिएशन बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ & Anr.[9]

(इसके बाद एम. बी. ए.-II के रूप में संदर्भित) ने धारा 408 की वैधता को बरकरार रखा जिसके द्वारा एन. सी. एल. टी. का गठन किया गया था। हालाँकि, तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित धारा 409 (3) के खंड (ए) और (ई) को अमान्य माना गया। धारा 411 (3), जो योग्यताएँ प्रदान करती है - तकनीकी सदस्यों और धारा 412 (2), जो चयन समिति के गठन से संबंधित थी, को भी अमान्य माना गया। भारत संघ को फैसले का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश दिया गया था

एम. बी. ए.-I और एम. बी. ए.-I निर्णय के अनुसार प्रावधानों को लाकर उसमें बताए गए दोषों को ठीक किया। 7. वित्तीय वर्ष के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त अधिनियम, 2017 को 31.03.2017 से लागू किया गया था।

धारा 183 से 189 तक न्यायाधिकरणों, अपीलीय न्यायाधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तों से संबंधित थी। धारा 183 के अनुसार, धारा 184 के प्रावधान इन पर लागू होते हैं - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरण, कॉलम (3) में सूचीबद्ध कानूनों के प्रावधानों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद।

8 (2010) 11 एस. सी. सी. 9 (2015) 8 एस. सी. सी. 583 [2021] 5 एस. सी. आर.

आठवीं अनुसूची। केंद्र सरकार को धारा 184 द्वारा योग्यता, नियुक्ति प्रदान करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया था।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, निष्कासन और सेवा के अन्य नियम और शर्तें

(और विभिन्न नामकरण वाले अनुरूप पद) और अन्य सदस्य। पहले परंतुक के अनुसार, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (और विभिन्न नामों वाले अनुरूप पद) या सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।

जिस तारीख को ऐसा व्यक्ति कार्यालय में प्रवेश करता है। धारा 184 के दूसरे परंतुक के अनुसार, अध्यक्ष, अध्यक्ष या अध्यक्ष 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या कोई अन्य सदस्य 67 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं।

8. केंद्र सरकार द्वारा 01.06.2017 पर एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके द्वारा न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017 (इसके बाद 2017 नियम के रूप में संदर्भित) बनाए गए थे। वित्त अधिनियम, 2017 के भाग XIV और उसके तहत बनाए गए 2017 नियमों की वैधता पर रोजर मैथ्यू (उपरोक्त) में सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वित्त अधिनियम, 2017 के पैरा XIV को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। धन बिल का सवाल एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 की वैधता को बरकरार रखा गया। 2017 के नियमों को मूल संशोधन के विपरीत माना गया और इसलिए उन्हें निरस्त कर दिया गया। केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया था कि आर. के. जैन बनाम में इस न्यायालय द्वारा चित्रित सिद्धांतों के अनुसार नियमों में सख्ती से सुधार करें। भारत संघ 1, एल. चंद्र कुमार (ऊपर), मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. " और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। एस्सार पावर Ltd.[1]2 केंद्र सरकार को नियमों का एक नया सेट तैयार करने का निर्देश दिया गया था जो सुनिश्चित कार्यकाल सहित सेवा की गैर-भेदभावपूर्ण और समान शर्तों को सुनिश्चित करेगा। एक अंतरिम आदेश के रूप में, इस न्यायालय ने रोजर मैथ्यू (उपरोक्त) मामले में निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों/अपीलीय न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां और सेवा की शर्तें वित्त विधेयक, 2017 के अधिनियमन से पहले संबंधित कानूनों के अनुसार होंगी। भारत संघ को नए नियम बनाने के बाद आदेशों में संशोधन करने की स्वतंत्रता दी गई थी। उस पर

10 (1993) 4 एससीसी 119

11 (2014) 10 एससीसी 1

12 (2016) 9 एस. सी. सी. 103 मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

12.02.2020 , केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके द्वारा न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण

(योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 (इसके बाद 2020 नियम के रूप में संदर्भित) बनाए गए थे। 2020 के नियमों की वैधता को मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा चुनौती दी गई थी। संबंधित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह न्यायालय मद्रास बार एसोसिएशन बनाम में अपने निर्णय द्वारा। भारत संघ और Anr.[1]3 13 (इसके बाद MBA-III के रूप में संदर्भित) ने निम्नलिखित निर्देश जारी करके रिट याचिका का निपटारा किया:

" 53. उपरोक्त चर्चा का परिणाम इस न्यायालय को निम्नलिखित निर्देश जारी करने के लिए प्रेरित करता है:

(i) भारत संघ एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का गठन करेगा जो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा -

न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों और कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करने के साथ-साथ न्यायाधिकरणों के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने और प्रशासनिक और

न्यायाधिकरणों की अवसंरचनात्मक आवश्यकताएँ, उचित तरीके से। जब तक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का गठन नहीं किया जाता है, तब तक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में एक अलग शाखा की स्थापना की जाएगी ताकि राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

न्यायाधिकरण।

((ii) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित, निवर्तमान या वर्तमान अध्यक्ष या न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और भारत सरकार के दो सचिवों के साथ 2020 के नियमों की अनुसूची के कॉलम (4) में प्रदान की गई चार सदस्यीय खोज-सह-चयन समितियों के बजाय, खोज-सह-चयन समितियों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

निम्नलिखित सदस्य:

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत-अध्यक्ष

(एक निर्णायक वोट के साथ)।
(ख) न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या अध्यक्ष या अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में न्यायाधिकरण के निवर्तमान अध्यक्ष या अध्यक्ष या अध्यक्ष (या) न्यायाधिकरण के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के मामले में न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष या अध्यक्ष या अध्यक्ष (या) एक सेवानिवृत्त

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश

13 (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 962 [2021] 5 एस. सी. आर.

यदि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष या अध्यक्ष न्यायिक सदस्य नहीं है या यदि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष या अध्यक्ष पुनः नियुक्ति की मांग कर रहा है तो उच्च न्यायालय का सदस्य;

(ग) सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार-सदस्य;

(घ) मूल या प्रायोजक विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग से भारत सरकार का सचिव, जिसे कैबिनेट सचिव-सदस्य द्वारा नामित किया जाता है;

(ई) प्रायोजक या मूल मंत्रालय या विभाग के सचिव-सदस्य सचिव/संयोजक (बिना वोट के)। जब तक संशोधन नहीं किए जाते हैं, तब तक 2020 के नियमों को संकेतित तरीके से पढ़ा जाएगा।

(iii) 2020 के नियमों के नियम 4 (2) में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जाएगा कि खोज-सह-चयन समिति प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति के नाम की सिफारिश करेगी।

प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए दो या तीन व्यक्तियों का एक पैनल। प्रतीक्षा सूची में शामिल करने के लिए किसी अन्य नाम की सिफारिश की जा सकती है।

((iv) न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और

पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। 2020 के नियमों के नियम 9 (2) में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जाएगा कि उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य साठ-सात वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहेंगे।

(v) भारत संघ प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास करेगा

अध्यक्ष या अध्यक्ष या अध्यक्ष और न्यायाधिकरणों के अन्य सदस्यों के लिए उपयुक्त आवास। यदि आवास प्रदान किया जाता है

संभव नहीं है, भारत संघ अध्यक्ष या अध्यक्ष या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को भुगतान करेगा।

न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए रु। 1,50,000 / - प्रति माह घर का किराया भत्ता और रु। 1,25,000 / - न्यायाधिकरण के अन्य सदस्यों के लिए प्रति माह। यह निर्देश 01.01.2021 से प्रभावी होगा।

(vi) ओ. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन के रूप में नियुक्ति के लिए कम से कम 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को पात्र बनाने के लिए 2020 के नियमों में संशोधन किया जाएगा।

भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

न्यायाधिकरणों में न्यायिक सदस्य। न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ताओं पर विचार करते हुए

न्यायाधिकरण, खोज-सह-चयन समिति बार में अधिवक्ता के अनुभव और कानून की संबंधित शाखाओं में उनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखेगी। वे होंगे।

न्यायाधिकरणों के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को प्राथमिकता देकर कम से कम एक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का हकदार है।

(vii) भारतीय विधि सेवा के सदस्य न्यायाधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि

कि वे कानून की विशेष शाखा में अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर खोज-सह-चयन समिति द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली उपयुक्तता के अधीन अधिवक्ताओं के लिए लागू मानदंडों को पूरा करते हैं।

(x) 2020 के नियमों का संभावित प्रभाव होगा और 2020 के नियमों के नियम 1 (2) के अनुसार 12.02.2020 से लागू होगा। (xi) 2017 के नियमों से पहले की गई नियुक्तियां मूल अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित होती हैं जो संबंधित न्यायाधिकरणों की स्थापना करते हैं। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को देखते हुए

रोजर मैथ्यू (ऊपर) में, रोजर मैथ्यू (ऊपर) के लंबित रहने के दौरान की गई नियुक्तियां भी मूल अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित थीं। कोई भी नियुक्ति जो 2020 के नियमों के लागू होने के बाद की गई थी, यानी 12.02.2020 को या उसके बाद की गई थी, 2020 के नियमों के अधीन होगी -

इस निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्देशित संशोधन।

(xii) इस निर्णय की तारीख तक 2020 के नियमों के तहत की गई नियुक्तियों को अमान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट हैं।

21] 5 एस सी आर।

खोज-सह की सिफारिशों के अनुरूप

2020 के नियमों के अनुसार चयन समितियाँ। ऐसी नियुक्तियों को बरकरार रखा जाता है, और इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि खोज-सह-चयन समितियां जिन्होंने अध्यक्ष, अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश की थी,

अध्यक्ष या अन्य सदस्य 2020 के नियमों के अनुसार थे,

जैसा कि वे इस में निर्देशित संशोधनों से पहले खड़े थे

निर्णय। दूसरे शब्दों में, वे बच जाते हैं।

(xiii) यदि खोज-सह-चयन समितियों ने उसके अनुसार चयन करने के बाद सिफारिशें की हैं। 2020 के नियमों के अनुसार, नियुक्तियां तीन के भीतर की जाएंगी।

आज से महीनों और विषय नहीं होगा

इस आधार पर चुनौती दें कि वे इसके साथ सहमत नहीं हैं

निर्णय।

(xiv) वेतन, लाभों से संबंधित नियम और शर्तें,

भत्ते, मकान किराया भत्ता आदि इस निर्णय में उल्लिखित और निर्देशित शर्तों के अनुसार होंगे। (xv) 12.02.2020 से पहले नियुक्त किए गए न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य मूल कानूनों और नियमों द्वारा शासित होंगे जिनके अनुसार वे थे।

नियुक्त किया गया। 2020 के नियम इसके साथ लागू होंगे

12.02.2020 के बाद नियुक्त किए गए लोगों के लिए पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्देशित संशोधन। 09.10.2020 पर निर्णय के लिए मामले को सुरक्षित रखते हुए, हमने न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल 31.12.2020 तक बढ़ा दिया। अंतिम निर्णय को देखते हुए

2020 के नियमों के अनुसार, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और न्यायाधिकरणों के सदस्यों की सेवानिवृत्ति ऊपर उल्लिखित लागू नियमों के अनुसार होगी।

9. न्यायाधिकरण सुधार (तर्कसंगतकरण और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2021 को लोकसभा में 13.02.2021 पर पेश किया गया था, लेकिन इस पर विचार नहीं किया जा सका। उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, उक्त विधेयक का प्रस्ताव न्यायाधिकरणों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से किया गया था और कुछ न्यायाधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों को समाप्त करने की मांग की गई थी, जो "मुकदमेबाजी की एक और अतिरिक्त परत को जोड़ते हैं" और "बड़े पैमाने पर जनता के लिए फायदेमंद" नहीं थे। इसके बाद, न्यायाधिकरण सुधार (तर्कसंगतकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 मद्रास बार एसोसिएशन v.

भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

(इसके बाद अध्यादेश के रूप में संदर्भित) पर घोषित किया गया था

04.04.2021 . इसके दूसरे अध्याय में वित्त अधिनियम, 2017 में संशोधन किया गया है। इस रिट याचिका में उठाया गया विवाद धारा 184 (1) के पहले प्रावधान से संबंधित है, जिसके अनुसार 50 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति

अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा और दूसरा परंतुक भी, जिसे तीसरे परंतुक के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कहा गया है कि अध्यक्षों और सदस्यों को देय भत्ते और लाभ केंद्र सरकार के अधिकारी के समान होंगे जो अध्यक्षों और सदस्यों के समान वेतन वाले पद पर होंगे। धारा 184 (7) में कहा गया है कि चयन समिति अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए दो नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी और केंद्र सरकार किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री के बावजूद समिति की सिफारिश की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लेगी। उक्त प्रावधान का इस रिट याचिका में भी उल्लेख किया गया है। धारा 184 (11), जिसे 26.05.2017 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया माना जाएगा, में प्रावधान है कि किसी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल चार वर्ष का होगा। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः 70 वर्ष और 67 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि केंद्र द्वारा जारी नियुक्ति के क्रम में निर्दिष्ट पद की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु

उन लोगों के लिए सरकार जिन्हें 26.05.2017 और 04.04.2021 के बीच नियुक्त किया गया है, धारा 184 (11) में निर्दिष्ट से अधिक है, पद की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु नियुक्ति के क्रम में निर्धारित की गई होगी, जो अधिकतम पांच साल की कार्यकाल के अधीन होगी। रिट याचिका में धारा 184 (11) की वैधता को भी चुनौती दी गई है।

10. हमने श्री अरविंद पी. दातार, विद्वान न्यायमित्र, श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत के विद्वान महान्यायवादी, श्री बलबीर को सुना है। सिंह, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री गौरव बनर्जी, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री अरुणेश्वर गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री कृष्णन वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील।

11. विद्वान न्यायमित्र श्री अरविंद पी. दातार ने निम्नलिखित कार्य किए:

प्रस्तुतियाँ:

i) यह अध्यादेश शक्तियों के पृथक्करण के नियम का उल्लंघन करता है।

जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अध्यादेश को संविधान की एक अन्य बुनियादी विशेषता, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त किया जा सकता है।

(ii) सरकार के विचारों के अनुरूप नहीं होने वाले निर्णयों को वापस लेना न्यायपालिका को कमजोर करता है, जो न्यायपालिका का उल्लंघन करता है।

संविधान की सर्वोच्चता।

(ग) नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित करना इस न्यायालय के निर्णयों में दिए गए निर्देशों के विपरीत है।

एमबीए-I, रोजर मैथ्यू (ऊपर) और एमबीए-III।

iv) सदस्यों को देय भत्तों और लाभों को निर्धारित करने के लिए धारा 184 (1) के प्रावधान, केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य सीमा तक, जो समान पद धारण करते हैं।

वेतन अस्थिर है और इसे अलग रखने की आवश्यकता है।

v) धारा 184 (7) को अमान्य घोषित किया जा सकता है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा एम. बी. ए.-III में नियुक्तियां करने के लिए जारी किया गया निर्देश इसके अंतर्गत आता है। चयन की सिफारिश की तारीख से तीन महीने

समिति को रद्द करने की मांग की गई है।

vi) धारा 184 (11) असंवैधानिक है क्योंकि यह अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल चार साल के रूप में निर्धारित करती है।

vii) धारा 184 (11) को दी गई पूर्वव्यापीता केवल इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के प्रभाव को रद्द करने के लिए है जो अनिवार्य प्रकृति के हैं और इसलिए विधायी गतिविधि निषिद्ध है।

viii) इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 09.02.2018,16.07.2018 और 21.08.2018 पर विद्वान महान्यायवादी की सहमति से की गई नियुक्तियों को बाधित नहीं किया जा सकता है। भारत संघ की सहमति से इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश नहीं हो सकते हैं।

विधायी रूप से खारिज किया जाए।

12. सी. ई. एस. टी. ए. टी. के सदस्य श्री पी. दिनेशा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा 09.02.2018,20.03.2018,16.07.2018 और 21.08.2018 पर कम से कम चार आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. और आई. टी. ए. टी. के सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होगी। फैसले पर भरोसा

विरेन्द्र सिंह हुड्डा और अन्य में इस न्यायालय का। वी. हरियाणा राज्य और Anr.[1]4, उन्होंने प्रस्तुत किया कि भले ही यह न्यायालय अध्यादेश को बरकरार रखता है, इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसार की गई नियुक्तियों को

परेशान न हों।

14 (2004) 12 एस. सी. सी. 588 मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.] 13. श्री रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ वकील, ने तर्क दिया कि श्री अजय शर्मा, जो इस न्यायालय में ए. ओ. आर. के रूप में काम कर रहे थे, ने एक प्रश्न का उत्तर दिया

सदस्य (न्यायिक), सी. ई. एस. टी. ए. टी. के पद पर नियुक्ति के लिए 29.06.2016 पर जारी विज्ञापन। उन्हें अन्य लोगों के साथ 11.04.2018 पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया था कि उनका कार्यकाल पांच साल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। इस न्यायालय ने आई. डी. 1 पर स्पष्ट किया कि सदस्य (न्यायिक), सी. ई. एस. टी. ए. टी. की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होगी। धारा 184 (11) का प्रावधान जो अधिकतम पांच साल का कार्यकाल निर्धारित करता है, भारत संघ द्वारा की गई एक अस्वीकार्य कवायद का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश को विधायिका द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गौरव बनर्जी ने कहा कि श्री एस. के. पति को नियुक्त किया गया था। सदस्य (न्यायिक), 11.04.2018 पर CESTAT। उन्होंने प्रस्तुत किया कि श्री पति ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी और सदस्य (न्यायिक) के रूप में शामिल हो गए। वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि श्रीमती रचना गुप्ता, जो वर्तमान में सदस्य (न्यायिक) के रूप में काम कर रही हैं, ने जिला न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस अदालत से अनुमति देने का अनुरोध किया

आई. टी. ए. टी. ने प्रस्तुत किया कि आई. टी. ए. टी. में सदस्यों (न्यायिक)/(लेखाकार) के 37 पदों पर आवेदन आमंत्रित करने के लिए 06.07.2018 पर जारी विज्ञापन के अनुसार 650 आवेदन दायर किए गए थे। विज्ञापन के अनुसार 35 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार पात्र थे। साक्षात्कार मई-सितंबर, 2019 के बीच आयोजित किए गए थे। लेखाकार सदस्यों के पद पर नियुक्तियाँ की गईं लेकिन न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है और अध्यादेश के मद्देनजर नियुक्ति के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि केवल धारा 184 (11) को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है और धारा 184 (1) से (10) में संशोधन संभावित होंगे और इन्हें भर्ती और भर्ती पर लागू नहीं किया जा सकता है। 04.04.2021 से पहले किया गया चयन। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कृष्णन वेणुगोपाल के अनुसार, जिन उम्मीदवारों का चयन 2018 में जारी विज्ञापन के अनुसार किया गया है, उन्हें इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए कि कुछ उम्मीदवारों की आयु विज्ञापन की तारीख को 50 वर्ष से कम थी।

15 2017 का डब्ल्यू. पी. सं. 279 [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. विद्वान महान्यायवादी ने विद्वान न्यायमित्र और अन्य वरिष्ठ वकीलों की दलीलों का पुरजोर खंडन किया। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले को विधायिका द्वारा ओवरराइड किया जा सकता है। न्यायाधिकरणों के सदस्यों की सेवा शर्तें एक नीतिगत निर्णय है जिसे संसद के सामूहिक निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। विधायी ओवररुलिंग है

एक अनुज्ञेय अभ्यास जैसा कि इस न्यायालय के कई निर्णयों में किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस न्यायालय द्वारा किसी विशेष तरीके से कानून बनाने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देशों को सुझाव के रूप में माना जाता है। अंततः जनता की इच्छा की जीत होनी चाहिए। यहां तक कि कानून के अभाव में दिए गए अंतरालीय निर्देश भी इसके अधीन हैं भविष्य का कानून। उनकी राय थी कि अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह एमबीए-III में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है। विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि समानता बनाए रखने के उद्देश्य से न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। विभिन्न क्षेत्रों के सभी उम्मीदवारों को बराबरी पर रखा गया है। उनके अनुसार, अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों में कोई एकरूपता नहीं है। प्रारंभ में एस. पी. संपत कुमार (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कार्यकाल के रूप में पांच से सात साल की सिफारिश की। इसके बाद इस आशय के निर्देश जारी किए गए

वह कार्यकाल पाँच साल का होना चाहिए। विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पांच साल के बजाय चार साल का कार्यकाल तय किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक एच. आर. ए. का संबंध है, विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि न्यायाधिकरणों के सदस्यों को समान वेतनमान वाले सरकार के अधिकारियों से अधिक भत्ते का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में चयन समिति द्वारा प्रत्येक पद के लिए भेजे जा रहे दो नामों में से विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि सिफारिशें खुफिया ब्यूरो (आईबी) द्वारा जांच के अधीन हैं और यदि चयनित उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो एक विकल्प होना चाहिए। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि चयन समिति द्वारा प्रत्येक पद के लिए कम से कम दो नामों की सिफारिश की जानी चाहिए। सरकार भी

न्यायाधिकरणों में रिक्त पदों को भरने में रुचि रखने और अधिमानतः तीन महीने के भीतर निर्णय लेने की शर्त का मतलब यह नहीं है कि सरकार जल्दबाजी में कार्य नहीं करेगी।

15. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह ने यह तर्क देते हुए धारा 184 (11) को दी गई पूर्वव्यापीता का बचाव किया कि दोष

एम. बी. ए.-III के निर्णय द्वारा इंगित किया गया है अध्यादेश। एम. बी. ए.-III में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 2020 के नियम उनकी अधिसूचना की तारीख यानी 12.02.2020 पर लागू हुए थे। इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मद्रास बार एसोसिएशन v.

अधीनस्थ विधान को पूर्वव्यापी संचालन नहीं दिया जा सकता है जब तक कि

मूल कानून द्वारा अधिकृत। अध्यादेश द्वारा वित्त अधिनियम में संशोधन किया गया है और धारा 184 (11) को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है। 26.05.2017 और के बीच पारित कोई भी निर्णय या आदेश 04.04.2021 अध्यादेश द्वारा अधिस्थापित किए जाते हैं जो एक उपचारात्मक विधान की प्रकृति में है। विद्वान एएसजी ने प्रस्तुत किया कि 26.05.2017 और 04.04.2021 के बीच की गई सभी नियुक्तियां अध्यादेश द्वारा शासित होंगी।

शक्तियों का पृथक्करण

16. सर एडवर्ड कोक को राजा जेम्स प्रथम द्वारा यह जवाब देने के लिए बुलाया गया था कि राजा स्वयं उन मामलों का फैसला क्यों नहीं कर सके जिन्हें उनके अपने न्यायालयों के समक्ष जाना था, उन्होंने जोर देकर कहा: ..... विजय के बाद कोई राजा नहीं उन्होंने स्वयं को किसी भी मामले में कोई भी निर्णय देने के लिए माना, जो उनके क्षेत्र के भीतर न्याय के प्रशासन से संबंधित था, लेकिन ये पूरी तरह से न्यायालयों में निर्धारित किए गए थे। जब राजा ने कहा कि "उन्हें लगा कि कानून तर्क पर आधारित है, और उनके और अन्य लोगों के साथ-साथ न्यायाधीशों के पास भी तर्क है", तो कोक ने जवाब दिया:

" यह सच था कि भगवान ने महामहिम को उत्कृष्ट विज्ञान और प्रकृति के महान दान दिए थे; लेकिन महामहिम को इंग्लैंड के अपने क्षेत्र के कानूनों में नहीं सीखा गया था, और जो कारण उनकी प्रजा के जीवन, या विरासत, या वस्तुओं, या भाग्य से संबंधित हैं, उनका निर्णय प्राकृतिक कारण से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कानून के कृत्रिम कारण और निर्णय से किया जाना चाहिए, कौन सा कानून एक ऐसा कार्य है जिसके लिए लंबे अध्ययन और अनुभव की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि एक आदमी इसका संज्ञान प्राप्त कर सकता है; और यह कि कानून विषयों के कारणों का परीक्षण करने के लिए सोने की छड़ी और उपाय था; और जिसने सुरक्षा और शांति में महामहिम की रक्षा की। (" उच्च कानून-अमेरिकी की पृष्ठभूमि

एडवर्ड एस. कॉर्विन द्वारा "संवैधानिक कानून", पीपी। 38-39) . ” 1 6

17. डॉ. बोहमैन मामले [(1610) 8 सह प्रतिनिधि 118-ए] में घोषित कोक की इस उक्ति को जल्द ही इंग्लैंड में अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन सिद्धांत

कोक के कथन में घोषित संयुक्त राज्य अमेरिका में उपजाऊ मिट्टी पाई गई और इतनी जोरदार वृद्धि में अंकुरित हुई कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके सामने आने वाले मामलों के निर्णय में लागू किया गया था; और यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता का सिद्धांत कोक के कानून पर न्यायालयों के नियंत्रण के सिद्धांत का तार्किक निष्कर्ष है (देखें संवैधानिक कानून पर विलिस, 1936 एडन।, पी। 76)।

1 6 श्रीमती। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण 1975 एस. सी. सी. 1 [2021] 5 एस. सी. आर.

18. डी ल 'एस्प्रिट डेस लोइस 1748 में प्रकाशित किया गया था

एक ही व्यक्ति या एक ही निकाय, चाहे वह रईसों का हो या लोगों का, उन तीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, कानून बनाने के लिए, सार्वजनिक प्रस्तावों को निष्पादित करने के लिए, और व्यक्तियों के कारणों का परीक्षण करने के लिए। 19. फेडरलिस्ट पेपर्स अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मैडिसन और जॉन जे द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसमर्थन को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक छद्म नाम "पब्लियस" के तहत लिखे गए थे। जेम्स मैडिसन ने नई सरकार की विशेष संरचना से निपटा और

संघवादी No.47 में अपने विभिन्न भागों के बीच शक्तियों का वितरण और संघवादी No.48 में एक दूसरे पर संवैधानिक नियंत्रण नहीं रखने वाले विभागों को अलग करना। विभिन्न विभागों के बीच उचित नियंत्रण और संतुलन प्रदान करने वाली सरकार की संरचना थी -

संघवादी No.51 की विषय वस्तु।

20. सरकार की सभी शक्तियाँ-विधायी, कार्यकारी और न्यायिक-विधायी निकाय में परिणित होती हैं। इन शक्तियों की एकाग्रता

वही हाथ बिल्कुल निरंकुश सरकार की परिभाषा है। यह कोई उपशमन नहीं होगा कि इन शक्तियों का प्रयोग बहुलता द्वारा किया जाएगा

हाथ और किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं। एक सौ सत्तर-तीन तानाशाह निश्चित रूप से एक के रूप में दमनकारी होंगे। [देखिए: जेफरसन: कार्य: 3 , 223] 21. अमेरिकी संविधान सरकारी शक्तियों को तीन बुनियादी प्रभागों, कार्यकारी और विधायी में कठोर विभाजन प्रदान करता है।

और न्यायपालिका। यह उस संविधान का एक अनिवार्य सिद्धांत है कि एक विभाग को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग किसी अन्य विभाग द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई संविधान शक्तियों के पृथक्करण के समान पैटर्न का पालन करता है। इन संविधानों के विपरीत, भारतीय संविधान राज्य के तीन अलग-अलग अंगों में स्पष्ट रूप से तीन प्रकार की शक्तियां निहित नहीं है। 1 7 17

22. शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संवैधानिक संरचना को सूचित करता है और कानून के शासन का एक अनिवार्य घटक है। दूसरे शब्दों में, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं

संविधान में निहित, इसका विस्तार, संचालन और दृश्यता हैं 17 श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण (ऊपर)

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

भारतीय संविधान की योजना से स्पष्ट है। संविधान

तीन अंगों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच औपचारिक रेखा खींचे बिना सीमांकन किया है। तीन अंगों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण भी और कुछ नहीं बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांतों का एक परिणाम है। तदनुसार, न्यायिक शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन अनुच्छेद 14 के तहत समानता का निषेध हो सकता है। इस प्रकार कहा गया है कि किसी कानून को उल्लंघन के आधार पर अमान्य किया जा सकता है

शक्तियों का पृथक्करण क्योंकि इस तरह का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का निषेध है। 18 1 8 समानता, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा और शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूल संरचना के अंग हैं।

इनमें से प्रत्येक अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। कोई नियम नहीं हो सकता

यदि कानून के समक्ष समानता नहीं है। यदि उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं था तो ये अर्थहीन होंगे। यदि विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ एक निकाय में निहित हैं तो ये सभी अनावश्यक होंगे। इसलिए, यह तय करने का कर्तव्य है कि क्या सीमाएँ हैं

उल्लङ्घन न्यायपालिका पर डाल दिया गया है। 1 9 यद्यपि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सरकारी शक्तियों का कोई कठोर पृथक्करण नहीं है, उपरोक्त न्यायिक घोषणाओं और साहित्य से यह स्पष्ट है कि शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। शक्तियों के पृथक्करण के उल्लंघन के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। एक कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि यह पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है शक्तियाँ।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

23. अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने द फेडरलिस्ट No.78 में इस प्रकार लिखा है:

" एक सीमित संविधान में न्याय की अदालतों की पूर्ण स्वतंत्रता विशेष रूप से आवश्यक है। एक सीमित द्वारा

संविधान, मैं एक को समझता हूं जिसमें कुछ शामिल हैं

विधायी प्राधिकारी के लिए विनिर्दिष्ट अपवाद; उदाहरण के लिए, कि वह प्राप्तकर्ता का कोई विधेयक पारित नहीं करेगा, कोई पूर्व पद नहीं

वास्तविक कानून, और इसी तरह। इस तरह की सीमाओं को व्यवहार में न्याय के न्यायालयों के माध्यम के अलावा किसी अन्य तरीके से संरक्षित नहीं किया जा सकता है, जिनका कर्तव्य संविधान के स्पष्ट सिद्धांत के विपरीत सभी कार्यों को शून्य घोषित करना होना चाहिए। इसके बिना

18 तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य और अन्र। (2014) 12 एस. सी. सी. 696 19 आई. आर. कोएल्हो बनाम टी. एन. (2007) 2 एस. सी. सी. 1 [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह, विशेष अधिकारों या विशेषाधिकारों के सभी आरक्षण

यह कुछ भी नहीं होगा "।

24. न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बुनियादी सिद्धांतों को मिलान में आयोजित अपराध की रोकथाम और अपराधियों के साथ व्यवहार पर 7वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। 06.09.1985 और महासभा के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित

29.11.1985 और 13.12.1985। प्रासंगिक बुनियादी सिद्धांत यह हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी राज्य द्वारा दी जाएगी और देश के संविधान या कानून में निहित होगी। यह सरकारी और अन्य संस्थानों का कर्तव्य है कि वे सम्मान और पालन करें

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायाधीशों का कार्यकाल, उनकी स्वतंत्रता, सुरक्षा, पर्याप्त पारिश्रमिक, सेवा की शर्तें,

पेंशन और सेवानिवृत्ति की आयु कानून द्वारा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अल्पसंख्यकों के भेदभाव की रोकथाम और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र उप-आयोग को डॉ. एल. एम. सिंघवी से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर एक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध करने के लिए अधिकृत किया। उन्होंने एक मसौदा प्रस्तुत किया

न्यायपालिका, जूरी सदस्यों, मूल्यांकनकर्ताओं और वकीलों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर घोषणा, जिसे सिंघवी घोषणा के रूप में जाना जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने सरकारों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने में सिंघवी घोषणा को ध्यान में रखने के लिए आमंत्रित किया। न्यायिक आचरण पर बैंगलोर सिद्धांत, सामान्य कानून और नागरिक कानून प्रणालियों दोनों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की कई बैठकों और विचार-विमर्श का परिणाम है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा 29.04.2003 पर अपनाया गया, न्यायपालिका के मूल मूल्यों की पहचान की गई, जिनमें से एक स्वतंत्रता है। न्यायिक अखंडता समूह द्वारा 21 और 22 तारीख को ज़ाम्बिया के लुसाका में आयोजित अपनी बैठक में अपनाए गए उपाय

जनवरी, 2010 न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांतों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है

संवैधानिक या अन्य माध्यमों से न्यायिक मामलों की गारंटी

स्वतंत्रता। न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली गारंटी में से एक यह है कि विधायी या कार्यकारी शक्तियां जो न्यायाधीशों को उनके पद के संबंध में प्रभावित कर सकती हैं, उनकी

पारिश्रमिक, सेवा की शर्तों या अन्य संसाधनों का उपयोग धमकी देने या दबाव बनाने के उद्देश्य या परिणाम के साथ नहीं किया जाएगा।

कोई विशेष न्यायाधीश या न्यायाधीश।

25. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अपने दिनांकित संबोधन 24.05.1949 में कहा कि

कि -

- मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

" सदन में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि हमारे

न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए और होना भी चाहिए

अपने आप में भी सक्षम बनें। और सवाल यह है कि ये दोनों कैसे?

वस्तुओं को सुरक्षित किया जा सकता है।

26. भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में प्रावधान है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। न्यायपालिका को अलग करने की अवधारणा

कार्यपालिका को केवल अधीनस्थ न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है, उच्च न्यायपालिका को पूरी तरह से त्याग दिया जा सकता है। यदि इस तरह का संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण या शब्दांशवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है और एक संकुचित निर्माण किया जाता है, तो यह एक विसंगत स्थिति पैदा करेगा कि संविधान उच्च न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने पर जोर नहीं देता है। अनुच्छेद 50, एक अध्याय में आता है जिसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने 'भारतीय संविधान' शीर्षक से अपने काम में 'संविधान की अंतरात्मा' के रूप में वर्णित किया है: 'एक राष्ट्र की आधारशिला', संविधान निर्माताओं द्वारा न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के कार्यकारी नियंत्रण से प्रतिरक्षित करने के लिए दिए गए महत्व को रेखांकित करता है।

हस्तक्षेप। 21

27. न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारी लड़ाई की आस्था है

संविधान। यह संविधान का मूल सिद्धांत है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे जैसे स्वतंत्र समाज की सबसे आवश्यक विशेषता है और न्यायपालिका जो लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के गढ़ के रूप में कार्य करती है, को कुछ संवैधानिक गारंटी दी जाती है -

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना। एक स्वतंत्र और कुशल न्यायिक प्रणाली को हमारे संविधान की मूल संरचना के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। 22

28. संविधान का अनुच्छेद 37 घोषित करता है कि संविधान के भाग IV में निर्धारित सिद्धांत शासन में मौलिक हैं।

21 भारत संघ बनाम। संकलचंद हिमतलाल सेठ और अन्र। (1977) 4 एससीसी 193 22 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य। वी. भारत संघ (ऊपर)

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" इस सभा का इरादा यह है कि भविष्य में विधायिका और कार्यपालिका दोनों को इस भाग में अधिनियमित सिद्धांतों पर केवल जुबानी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें देश के शासन के मामले में आगे की सभी कार्यपालिका और विधायी कार्रवाइयों का आधार बनाया जाना चाहिए।

29. निष्पक्षता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और तर्कसंगतता

निर्णय लेना न्यायपालिका की पहचान है। यदि "निष्पक्षता" न्यायपालिका की आत्मा है, तो "स्वतंत्रता" न्यायपालिका की जीवनदायिनी है। स्वतंत्रता के बिना निष्पक्षता पनप नहीं सकती। स्वतंत्रता न्यायाधीशों के लिए वह करने की स्वतंत्रता नहीं है जो उन्हें पसंद है। यह न्यायिक विचार की स्वतंत्रता है। यह हस्तक्षेप और दबाव से स्वतंत्रता है जो न्यायिक वातावरण प्रदान करती है जहां वह न्याय और संवैधानिक मूल्यों के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर सकता है। यह भी है जीवन, आदतों और दृष्टिकोण में अनुशासन जो एक न्यायाधीश को निष्पक्ष होने में सक्षम बनाता है। हालाँकि इसका अस्तित्व न केवल दार्शनिक, नैतिक या नैतिक पहलुओं पर निर्भर करता है, बल्कि कई सांसारिक चीजों पर भी निर्भर करता है-कार्यकाल में सुरक्षा, सामान्य मौद्रिक चिंताओं से मुक्ति, (न्यायपालिका में दूसरों से) और (कार्यपालिका से) के बिना प्रभावों और दबावों से मुक्ति। एक व्यक्तिगत न्यायाधीश की स्वतंत्रता, यानी निर्णयात्मक स्वतंत्रता; और एक संस्था या राज्य के एक अंग के रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कार्यात्मक स्वतंत्रता, न्यायपालिका/न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता के सिद्धांत की व्यापक अवधारणाएं हैं।

30. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विभिन्न पहलू हैं जिनमें कार्यकाल की सुरक्षा, नवीकरण की प्रक्रिया, सेवा के नियम और शर्तें जैसे वेतन, भत्ते आदि शामिल हैं जो उचित और न्यायसंगत होने चाहिए और जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए अलग-अलग नहीं होना चाहिए। संस्था की स्वतंत्रता सरकार की अन्य शाखाओं से पर्याप्त मात्रा में अलगाव को संदर्भित करती है, विशेष रूप से जब शाखा एक वादी या न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकारों में से एक हो। कार्यात्मक स्वतंत्रता में चयन की विधि और योग्यताएँ शामिल होंगी।

निर्धारित, क्योंकि स्वतंत्रता क्षमता, क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों की नियुक्ति के साथ शुरू होती है। हस्तक्षेप से सुरक्षा और कार्यकारी दबाव से स्वतंत्रता, अन्य शक्ति केंद्रों से निडरता-आर्थिक और राजनीतिक, और पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता

23 एम. बी. ए.-I 24 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और ए. एन. आर. वी. भारत संघ (2016) 5 एस. सी. सी. 1 मद्रास बार एसोसिएशन v.

भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

जिस वर्ग से न्यायनिर्णायक संबंधित है, उसके द्वारा अर्जित और पोषित, संस्थागत स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण गुण हैं।

31. कानून के समक्ष समानता और संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत कानूनों के समान संरक्षण के मौलिक अधिकार में स्पष्ट रूप से एक ऐसे मंच द्वारा व्यक्ति के अधिकारों का निर्णय लेने का अधिकार शामिल है जो निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है। 2

32. संवैधानिक अधिदेश यह है कि विधायिका को भारत के संविधान के भाग IV में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जबकि

कानून बनाना। विधायी अधिनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा जिसमें न्यायिक क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रवृत्ति हो। विधायिका द्वारा इस तरह का कोई भी अतिक्रमण उल्लंघन के बराबर होगा

शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के सिद्धांत। कार्यपालिका और विधायिका से अदालतों की स्वतंत्रता कानून के शासन के लिए मौलिक है और भारतीय संविधान के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। तीन अंगों, अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांतों का एक परिणाम है। इस प्रकार, सरकार की अन्य दो शाखाओं द्वारा न्यायिक क्षेत्र में कोई भी घुसपैठ असंवैधानिक होगी।

न्यायिक निर्णय और विधायी अधिमूल्यांकन

I. तुलनात्मक न्यायक्षेत्र

33. तुलनात्मक क्षेत्राधिकारों में विधायी ओवरराइड के लिए अदालतों की प्रतिक्रिया का उल्लेख करना लाभदायक होगा। मुख्य न्यायाधीश जॉन

मार्बरी बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मार्शल। मैडिसन 2 8 ने संविधान को राष्ट्र का मौलिक और सर्वोपरि कानून बताया। उन्होंने घोषणा की कि "यह दृढ़ता से प्रांत और राज्य का कर्तव्य है।

न्यायिक विभाग बताए कि कानून क्या है "। संयुक्त राज्य अमेरिका में वी। 2 9, मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने एक सर्वसम्मत न्यायालय के लिए बोलते हुए कहा कि "यदि कई राज्यों की विधानसभाएं संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों के निर्णयों को रद्द कर सकती हैं, और उन निर्णयों के तहत प्राप्त अधिकारों को नष्ट कर सकती हैं, तो संविधान स्वयं एक महत्वपूर्ण निर्णय बन जाता है।

26 एम. बी. ए.-I 27 तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य और अन्र। (ऊपर) 28 5 यू. एस. 137 (1803)

29 9 अमेरिका 115 (1809)

34. ब्राउन वी। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चौदहवाँ संशोधन राज्यों को नस्लीय आधार पर बच्चों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकारी शक्तियों का उपयोग करने से मना करता है।

ऐसे विद्यालय में उपस्थित होना जहाँ किसी भी माध्यम से राज्यों की भागीदारी हो

व्यवस्था, प्रबंधन, निधि या संपत्ति। राज्यपाल या विधायिका यह घोषणा नहीं कर सकते कि वे ऊपर उल्लिखित निर्णय से बाध्य नहीं हैं। बोर्ड ऑफ लिटिल रॉक के सेंट्रल हाई स्कूल ने सार्वजनिक स्कूलों में अलगाव को समाप्त करने की अपनी योजना को निलंबित कर दिया। विद्यालय की उक्त कार्रवाई

जिला न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसे अपील न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। अरकंसास संविधान में एक संशोधन किया गया था जिसके अनुसार स्कूली बच्चों को नस्लीय रूप से मिश्रित स्कूलों में अनिवार्य उपस्थिति से मुक्त करने के लिए एक कानून बनाया गया था। विद्यालय ने जिला न्यायालय में एक याचिका दायर कर अलगाव के कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग की। जिला न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। अपील न्यायालय ने जिला न्यायालय के फैसले को उलट दिया जिसकी संयुक्त राज्य द्वारा पुष्टि की गई थी कूपर बनाम में राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय। हारून 3 1. इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ब्राउन मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित नस्ल या रंग के आधार पर स्कूल में प्रवेश में बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किए जाने के संवैधानिक अधिकारों को न तो राज्य के विधायकों या राज्य के अधिकारियों या न्यायिक अधिकारियों द्वारा खुले तौर पर और सीधे रद्द किया जा सकता है और न ही उनके द्वारा अलगाव के लिए टालमटोल करने वाली योजनाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रद्द किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि ब्राउन बनाम के निर्णय में घोषित सिद्धांत। शिक्षा बोर्ड (ऊपर) मौलिक चार्टर द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है।

35. मुख्य न्यायाधीश वारेन मिरांडा बनाम में बहुमत के लिए बोल रहे हैं। एरिजोना 3 2 ने घोषणा की कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति को पूछताछ से पहले स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि उसे चुप रहने का अधिकार है, और वह जो कुछ भी कहता है उसका अदालत में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। उसे स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि उसे एक वकील से परामर्श करने और पूछताछ के दौरान वकील को अपने साथ रखने का अधिकार है और यदि वह गरीब है, तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त किया जाएगा। कांग्रेस ने धारा 3501 को अधिनियमित किया जिसमें प्रावधान किया गया था कि एक स्वीकारोक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका या कोलंबिया जिले द्वारा लाए गए आपराधिक अभियोजन में स्वीकार्य होगी यदि यह स्वेच्छा से दी गई है। डकैती और आग्नेयास्त्र के उपयोग के आरोप में चार्ल्स थॉमस डिकर्सन ने अपने बयान को दबाने के लिए जिला अदालत का रुख किया जो उन्होंने संघीय जांच ब्यूरो (एफ. बी. आई.) को दिया था कि उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।

30 347 अमेरिका 483 (1954)

31 358 अमेरिका 1 (1958)

32 384 अमेरिका 436 (1966)

मिरांडा चेतावनी देता है। दबाने के प्रस्ताव को जिला न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे सर्किट के लिए अपील न्यायालय द्वारा अधिनियम § 3501 के आधार पर उलट दिया गया था। डिकर्सन बनाम में संयुक्त राज्य सर्वोच्च न्यायालय। संयुक्त राज्य अमेरिका 3 3 आधिकारिक रूप से उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान की व्याख्या करने और उसे लागू करने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले को विधायी रूप से रद्द नहीं कर सकती है। चूँकि मिरांडा एक संवैधानिक नियम के बराबर है, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस विधायी रूप से फैसले का स्थान नहीं ले सकती है। विद्वान महान्यायवादी ने इरविन चेमेरिंस्की द्वारा लिखे गए एक लेख का उल्लेख किया जिसका शीर्षक था "न्यायालय को चुप रहना चाहिए था: न्यायालय ने डिकर्सन बनाम का निर्णय लेने में गलती क्यों की? संयुक्त राज्य अमेरिका "34. उक्त लेख डिकर्सन में उच्चतम न्यायालय के फैसले का एक आलोचनात्मक विश्लेषण है जिसमें लेखक ने लिखा है कि कानून की संवैधानिकता पर शासन करने की इच्छा अदालतों द्वारा इसे स्वयं उठाने को उचित नहीं ठहराती है। उन्होंने राय दी कि चौथे सर्किट और अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यकारी शाखा की आपत्ति पर धारा 3501 पर विचार करके शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन किया। डिकर्सन में, न्याय विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह धारा 3501 का आह्वान नहीं कर रहा था और यह स्वीकारोक्ति का उपयोग केवल तभी कर सकता है जब अदालत ने पाया कि मिरांडा चेतावनियों को ठीक से प्रशासित नहीं किया गया था। न्याय विभाग द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, चौथे सर्किट ने धारा 3501 के आधार पर स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता पर फैसला सुनाया। चेमेरिंस्की ने अपने लेख में तर्क दिया कि न्यायपालिका ने धारा 3501 पर विचार करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया, जब किसी भी पक्ष ने इस मुद्दे को नहीं उठाया।

36. न्यायमूर्ति स्कैलिया प्लॉट बनाम में बहुमत के लिए बोल रहे हैं। स्पेंडथ्रिफ्ट फार्म, Inc.[3]5 35 ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि एक न्यायिक निर्णय किसी विशेष मामले या विवाद के संबंध में न्यायिक विभाग का अंतिम शब्द बन जाता है, और कांग्रेस पूर्वव्यापी कार्रवाई द्वारा घोषणा नहीं कर सकती है कि कानून उसी मामले या मामलों के एक पूरे वर्ग पर लागू होना कुछ और था जो अदालतों ने कहा था। न्यायमूर्ति स्कालिया ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक निर्णयों को उस निर्णायक प्रभाव से वंचित करना जो उनकी घोषणा के समय था, शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा।

33 3 530 यू. एस. 428 (2000) 34 इरविन चेमेरिंस्की, अदालत को चुप रहना चाहिए था: डिकर्सन बनाम का निर्णय लेने में न्यायालय ने गलती क्यों की? संयुक्त राज्य अमेरिका, 149 पेनसिल्वेनिया कानून समीक्षा 287 308 (2001)

35 514 अमेरिका 211 (1995)

37. अपने लेख, "द केस फॉर द लेजिस्लेटिव ओवरराइड" 3 6 में निकोलस स्टेफानोपोलोस ने विभिन्न क्षेत्राधिकारों में विधायी अतिनिर्णय के लिए अदालतों की प्रतिक्रिया का पता लगाया है। यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड में विधायी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा सीमित है क्योंकि कानूनों की व्याख्या क्रमशः मानवाधिकारों के यूरोपीय सम्मेलन और न्यूजीलैंड बिल ऑफ राइट्स के अनुसार होगी। यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड के न्यायालय आश्रयात्मक न्यायिक समीक्षा का पालन करते हैं जिसके द्वारा न्यायालय किसी कानून को खारिज नहीं कर सकता है लेकिन इसे यूरोपीय कन्वेंशन या बिल ऑफ राइट्स के साथ असंगत घोषित कर सकता है। जहाँ तक जर्मनी का संबंध है, अगर क़ानूनों को अदालतों द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाता है, तो वे प्रभावित होंगे, और यदि वे कुछ अपरिवर्तनीय संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो संवैधानिक संशोधन द्वारा अमूल्य होंगे। यदि कनाडा और इज़राइल की अदालतों द्वारा असंवैधानिक पाए जाने पर कानूनों को अमान्य कर दिया जाता है, तो विधायिका कनाडा के संदर्भ में 'इसके बावजूद' खंड का लाभ उठाते हुए अदालतों के फैसलों को ओवरराइड कर सकती है, यानी चार्टर या बुनियादी कानून के साथ उनके संघर्ष के बावजूद।

II. भारत

(ए) न्यायिक समीक्षा का दायरा

38. हमारे देश में विधायी ओवरराइड पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सबसे पहले अध्यादेशों की न्यायिक समीक्षा के दायरे की सराहना करना आवश्यक है

जो एक विधायी अधिनियम के समान है। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान एक अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, जिसका बल और प्रभाव संसद के एक अधिनियम के समान होगा। अध्यादेश की वैधता को विधायी अधिनियम की न्यायिक समीक्षा के लिए उपलब्ध आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 123 या संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत पारित अध्यादेश भी इसी आधार पर खड़ा होता है। जब संविधान कहता है कि अध्यादेश बनाने की शक्ति विधायी शक्ति है और एक अध्यादेश का एक अधिनियम के समान बल होगा, तो एक अध्यादेश को विधायिका के एक अधिनियम की सभी विशेषताओं के साथ पहना जाना चाहिए, जिसमें इसकी सभी घटनाएं, उन्मुक्ति और छूट शामिल हैं।

संविधान के तहत सीमाएँ। यह तय कानून है कि किसी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा विधायी कार्रवाई के समान होनी चाहिए। 37

36 निकोलस स्टेफानोपोलोस, द केस फॉर द लेजिस्लेटिव ओवरराइड, 10 यू. सी. एल. ए. जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड फॉरेन अफेयर्स 250 (2005)

37 आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ और अन्य। (1981) 4 एस. सी. सी. 675; टी. वेंकट रेड्डी और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य (1985) 3 एस. सी. सी. 198; कृष्ण कुमार सिंह और अन्र। वी. बिहार राज्य और अन्य। (2017) 3 एससीसी 1.

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

39. इस न्यायालय के विचार के लिए उत्पन्न होने वाला विवाद

यह एम. बी. ए.-III में इस न्यायालय के निर्णय पर विधायी प्रतिक्रिया से संबंधित है। भारत संघ या राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित प्राथमिक विधान को निरस्त करने की शक्ति सीमित आधारों पर है। अदालतें या तो इस आधार पर कानून को रद्द कर सकती हैं कि यह शक्तियों के संघीय वितरण का उल्लंघन करता है या यह मौलिक अधिकारों या भारत के संविधान के अन्य संवैधानिक अधिकारों/प्रावधानों का उल्लंघन करता है। 38 जहाँ विधायिका द्वारा अधिनियमित किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जाती है, वहाँ न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा एक धारणा होती है -

किसी अधिनियम की संवैधानिकता और संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन दिखाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य में v. राकेश

कोहली और Anr.[3]9, इस अदालत ने माना कि बिना किसी स्पष्ट उल्लंघन के

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को खराब घोषित नहीं किया जाता है और विधायी अधिनियम को केवल दो आधारों पर निरस्त किया जा सकता है: ((i) कि उपयुक्त विधायिका के पास कानून बनाने की क्षमता नहीं है, और (ii) कि वह संविधान के भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधानों में उल्लिखित किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम कर देता है। इसके बाद, न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के तहत एक आधार के रूप में "स्पष्ट मनमानेपन" को भी मान्यता दी है, जिसके आधार पर एक विधायी अधिनियम की न्यायिक रूप से समीक्षा की जा सकती है। 40 40

(बी) अनुमेय विधायी ओवररुलिंग

40. श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड में निर्णय &

एन. आर. वी. ब्रोच बरो नगरपालिका और Ors.4[1] 41 पर दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किया गया था। बॉम्बे म्यूनिसिपल बरो एक्ट, 1925 की धारा 73 के तहत नगर निगम द्वारा खुली भूमि पर दर लगाने के लिए बनाए गए नियमों की वैधता पटेल के समक्ष चुनौती का विषय थी।

गोरधनदास हरगोविंदास और अन्य। वी. नगर आयुक्त, अहमदाबाद और ए. एन. आर. 42. संबंधित नियम को अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया गया था। बाद में, राज्य विधानमंडल ने कर के अधिरोपण को मान्य करने के लिए एक सत्यापन अधिनियम पारित किया, जिसकी वैधता पर श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में विचार किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल यह घोषणा करना पर्याप्त नहीं है कि न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि ऐसी घोषणा न्यायालय के निर्णय को उलटने के बराबर होगी जो विधायिका नहीं कर सकती है। यह आगे देखा गया कि

ए 38 बिनॉय विश्वम बनाम। भारत संघ और अन्य। (2017) 7 एससीसी 59 39 (2012) 6 एससीसी 312

40 के. एस. पुट्टास्वामी और अन्र. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. (2019) 1 एससीसी 1 41 (1969) 2 एससीसी 283

42 (1964) 2 एससीआर 608 [2021] 5 एस. सी. आर.

न्यायालय के निर्णय को हमेशा बाध्यकारी होना चाहिए जब तक कि जिन शर्तों पर यह आधारित है, उन्हें इतना मौलिक रूप से परिवर्तित नहीं किया जाता है कि परिवर्तित परिस्थितियों में निर्णय नहीं दिया जा सकता था।

41. यह विधायिका के लिए कुछ सीमाओं के भीतर किसी अधिनियम के प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करने और यह घोषित करने के लिए खुला है कि कानून क्या होगा

माना जाता है, लेकिन विधायिका के लिए यह कहने के लिए खुला नहीं है कि उसके समक्ष लाए गए मामले में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित रूप से गठित और प्रदत्त न्यायालय का निर्णय अप्रभावी माना जाएगा।

और विधि की व्याख्या न्यायालय द्वारा घोषित की गई व्याख्या से भिन्न होगी। 43 संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम की वैधता का निर्णय करने की कसौटी यह है कि क्या विधिमान्यकरण कानून बनाने वाली विधायिका को विषय-वस्तु पर अधिकार है या नहीं। विधायिका ने उस दोष को हटा दिया है जो न्यायालय ने पिछले कानूनों में पाया था; और क्या मान्य करने वाला कानून संविधान के भाग III के प्रावधानों के अनुरूप है। 44 तमिलनाडु राज्य में v.

केरल राज्य और अन्र। (ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधायिका द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून को अमान्य किया जा सकता है यदि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करके न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास है।

42. मदन मोहन पाठक और अन्र में इस न्यायालय का निर्णय।

वी. भारत संघ और Ors.45 की गहन जांच की आवश्यकता है क्योंकि इसे विज्ञापित किया गया था

दोनों पक्षों को और उन पर भरोसा किया। जीवन बीमा को निर्देशित करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी।

निगम (एल. आई. सी.) समझौते की शर्तों के अनुसार कार्य करेगा

दिनांकित 24.01.1974 दिनांकित 29.03.1974 प्रशासनिक निर्देशों के साथ पढ़ें। रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी जिसके खिलाफ एल. आई. सी. द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील (एल. पी. ए.) को प्राथमिकता दी गई थी। एल. पी. ए. के लंबित रहने के दौरान एल. आई. सी. (निपटान संशोधन) अधिनियम, 1976 लागू हुआ। बाद के कानून को देखते हुए एल. पी. ए. को वापस ले लिया गया और विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय अंतिम हो गया। एल. आई. सी. के कर्मचारियों द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका में उक्त क़ानून की वैधता पर हमला किया गया था। न्यायमूर्ति भगवती, बहुमत की ओर से बोलते हुए, यह राय रखते थे कि कलकत्ता उच्च

न्यायालय का निर्णय केवल एक घोषणात्मक निर्णय नहीं था जिसमें एक ढोंग या कर के रूप में माना गया था।

43 जनपद सभा छिंदवाड़ा बनाम। सेंट्रल प्रोविंस सिंडिकेट लिमिटेड और ए. एन. आर. (1970) 1 एस. सी. सी. 509

44 आई. एन. सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1976) 4 एस. सी. सी. 750; भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी और अन्य। वी. केरल राज्य और अन्य। (1996) 7 एस. सी. सी. 637; बख्तावर ट्रस्ट और अन्य। वी. एम. डी. नारायण और अन्य। (2003) 5 एससीसी 298

45 5 (1978) 2 एस. सी. सी. 50 मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

अमान्य ताकि एक मान्यकारी क़ानून निर्णय में बताए गए दोष को दूर कर सके। उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले ने याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को प्रभावी बनाया और एल. आई. सी. को वार्षिक नकद बोनस का भुगतान करने का निर्देश दिया। जब तक एकल न्यायाधीश के फैसले को अपील में उलट नहीं दिया जाता है, तब तक इसकी उपेक्षा या उपेक्षा नहीं की जा सकती है। एल. आई. सी. को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश पत्र द्वारा बाध्य माना गया था। न्यायमूर्ति बेग ने अपनी समवर्ती राय में कहा कि जो अधिकार कर्मचारियों को अधिदेश के आधार पर प्राप्त हुए हैं

43. विरेन्द्र सिंह हुड्डा (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि निहित अधिकार नहीं हो सकते। पूर्वव्यापी कानून द्वारा हटा दिया गया। हालाँकि, यह देखा गया कि यदि उल्लंघन होता है तो ऐसे अधिकारों को छीनना अस्वीकार्य होगा

46 6 1994 पूरक (2) एस. सी. सी. 726 47 (1982) 1 एस. सी. सी. 205 48 1993 पूरक (1) एस. सी. सी. 96 (2)

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए, यह न्यायिक शक्ति का विधायी प्रयोग था। जब मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश को एक कानून द्वारा रद्द करने की मांग की गई, तो इस न्यायालय ने एस. आर. भागवत और अन्य में इसे रद्द कर दिया। वी. मैसूर राज्य इस आधार पर कि यह अनुज्ञेय विधायी था व्यायाम करें। निर्णय में बताए गए दोष को हटाए बिना न्यायालय के किसी निर्णय को शून्य पर स्थापित करना कानून के शासन की मृत्यु की घंटी लगेगी। कानून के शासन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि तब सरकार के लिए यह खुला रहेगा कि वह किसी कानून की अवहेलना करे और फिर भी उससे बच जाए। 50

उपरोक्त के साथ-साथ अन्य निर्णय, जिन्हें निम्नानुसार निकाला गया है: क) न्यायालय के निर्णयों के प्रभाव को निर्णय के आधार को हटाकर विधायी अधिनियम द्वारा रद्द किया जा सकता है। ऐसा कानून हो सकता है

पूर्वव्यापी। पूर्वव्यापी संशोधन उचित होना चाहिए और नहीं

मनमाना होना चाहिए और संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 51

ख) एक मान्यकारी विधान की वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण यह है कि दोष की ओर इशारा करने वाला निर्णय पारित नहीं किया गया होता, यदि

न्यायालय के समक्ष अपना निर्णय देने के समय वैधीकरण कानून द्वारा लाई जाने वाली परिवर्तित स्थिति मौजूद थी। दूसरे शब्दों में, बताए गए दोष को इस तरह से ठीक किया जाना चाहिए था कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय के आधार को हटा दिया जाए।

ग) एक अधिनियम द्वारा मैंडमस का उन्मूलन होगा -

अस्वीकार्य विधायी अभ्यास [देखू: एस. आर. भागवत (ऊपर)]। यहां तक कि अंतरिम निर्देशों को भी विधायी वीटो द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है [देखें कि: कावेरी

जल विवाद न्यायाधिकरण (ऊपर) और भारतीय चिकित्सा परिषद v. केरल राज्य & Ors.52]।

घ) संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन और संविधान में घुसपैठ

विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, कानून के शासन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

49 (1995) 6 एस. सी. सी. 16 50 पी. संबमूर्ति और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्र। (1987) 1 एस. सी. सी. 362 51 लोहिया मशीन्स लिमिटेड और अन्र. वी. भारत संघ और अन्य। (1985) 2 एससीसी 197

52 (2019) 13 एस. सी. सी. 185 मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

विवादित अध्यादेश की वैधता

45. विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका में आरोपित अध्यादेश असंवैधानिक है क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण, कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का पता संविधान के अनुच्छेद 14 से लगाया जा सकता है और अध्यादेश को समानता खंड का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त किया जा सकता है। विद्वान न्यायमित्र ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि विवादित अध्यादेश इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का एक उत्कृष्ट मामला है। विधायिका द्वारा अनुचित रूप से पलट दिया गया। विद्वान महान्यायवादी की इन दलीलों का जवाब देते हुए कि कार्यपालिका और विधायिका के नीतिगत निर्णयों के प्रति अदालतों द्वारा सम्मान दिखाया जाना चाहिए, विद्वान न्यायमित्र ने तर्क दिया कि सम्मान नीति के कारणों को दिखाया जाना चाहिए न कि स्वयं नीति को। विद्वान महान्यायवादी ने जोर देकर कहा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून अंतिम नहीं है

जैसा कि यह तय किया गया है कि संसद न्यायालय द्वारा बताए गए दोषों को दूर करके कानून बना सकती है। विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि

सरकार और विधायिका में विभिन्न स्तरों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जाता है। संसद के सामूहिक विवेक में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें न्यायाधिकरण एक नीतिगत विषय है जिस पर संसद को अंतिम निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कानून बनाने के निर्देश देने में अदालतों द्वारा न्यायिक संयम दिखाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मौजूदा कानून के अभाव में इस न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी अंतरालीय निर्देश को कानून बनाते समय संसद को विचार के लिए सुझाव के रूप में माना जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाद के कानून को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि अदालत द्वारा पहले जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा केवल उन आधारों पर हो सकती है जो किसी विधायी अधिनियम की समीक्षा के लिए उपलब्ध हैं। अध्यादेश को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उक्त अनुच्छेद का कोई भी पहलू तत्काल मामले में लागू नहीं होता है।

46. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं की शिकायत मुख्य रूप से पहले परन्तुक और दूसरे परन्तुक के उल्लंघन से संबंधित है।

वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 (1), धारा 184 (7) और 184 (11) के तीसरे परंतुक के साथ। संशोधन से पहले वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 (1) इस प्रकार है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, आठवीं अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणों की योग्यता, नियुक्ति, पद की अवधि, वेतन और भत्ते, इस्तीफा, निष्कासन और सेवा के अन्य नियमों और शर्तों के लिए प्रावधान करने के लिए नियम बना सकती है:

बशर्ते कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेगा, लेकिन उस तारीख से पांच साल से अधिक नहीं जिस दिन वह प्रवेश करेगा। वह अपने पद पर होगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष न हो

अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट आयु प्राप्त करने के बाद इस प्रकार का पद धारण करेंगे जो निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:

(क) अध्यक्ष, अध्यक्ष [प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी] के मामले में,

सत्तर वर्ष की आयु;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी और ऋणों के मामले में।

वसूली न्यायाधिकरण] या कोई अन्य सदस्य, जिसकी आयु साठ वर्ष है।

सात वर्ष:

47. अध्यादेश द्वारा धारा 184 में संशोधन इस प्रकार है:

184. (1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा योग्यता, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, निष्कासन और अन्य शर्तों के लिए नियम बना सकती है।

आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा:

बशर्ते कि एक व्यक्ति जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा

अध्यक्ष या सदस्य:

बशर्ते कि इस प्रकार देय भत्ते और लाभ उस सीमा तक होंगे जो समान वेतन वाले पद पर आसीन केंद्र सरकार के अधिकारी के लिए स्वीकार्य हैं:

बशर्ते कि जहां अध्यक्ष या सदस्य किराए पर घर लेता है, उसे ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन घर के किराए की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो नियमों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं।

(2) न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक खोज-सह-चयन समिति (इसके बाद संदर्भित) की सिफारिश पर की जाएगी।

(क) उप-धारा (3) के अधीन गठित समिति के रूप में, ऐसी रीति से जो केंद्र सरकार नियमों द्वारा प्रदान करे।

(ख) भारत सरकार के सदस्यों द्वारा नामित दो सचिव; (ग) एक सदस्य, जो

(i) किसी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में, न्यायाधिकरण का निवर्तमान अध्यक्ष होगा; या

((ii) किसी न्यायाधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के मामले में,

न्यायाधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष होना; या

बशर्ते कि निम्नलिखित मामलों में ऐसा सदस्य हमेशा उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अर्थात्:

(i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण;

((ii) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली के तहत गठित न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण।

अधिनियम,

1993; [2021] 5 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; और

((iv) ऐसे अन्य न्यायाधिकरण जिन्हें केंद्र द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

सरकार के अध्यक्ष के परामर्श से

(5) समिति के सदस्य-सचिव के पास नहीं होगा कोई भी वोट।

(6) समिति अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

(7) किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में या किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद

समिति दो नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी

अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए, जैसा भी मामला हो, और केंद्र सरकार एक

समिति की सिफारिशों पर निर्णय अधिमानतः उस तारीख से तीन महीने के भीतर जिस दिन समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें देता है।

(8) कोई भी नियुक्ति केवल समिति में किसी भी रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगी।

(9) न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य होंगे -

इस धारा के प्रावधानों के अनुसार पुनः नियुक्ति के लिए पात्रः बशर्ते कि ऐसी पुनर्नियुक्ति करने में, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा को प्राथमिकता दी जाएगी।

(10) केंद्र सरकार, समिति की सिफारिश पर, किसी भी सदस्य को उस तरीके से पद से हटा देगी जो नियमों द्वारा प्रदान किया जाए, जो बार एसोसिएशन v.

(क) दिवालिया घोषित किया गया है; या

((ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है; या

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

((घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ई) ने अपने पद का इतना दुरुपयोग किया है कि वह पद पर बने रहे।

लोक हित के लिए हानिकारक कार्यालय:

बशर्ते कि जहां किसी सदस्य को खंड (बी) से खंड (ई) में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर हटाने का प्रस्ताव है, वह -

उन्हें अपने खिलाफ लगे आरोपों के बारे में सूचित किया गया और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया गया।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

स्पष्टीकरण। अभिव्यक्तियाँ

(i) "न्यायाधिकरण" से आठवीं अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट एक न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या प्राधिकरण अभिप्रेत है;

((ख) "अध्यक्ष" में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी शामिल हैं।

((ग) "सदस्य" में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य,

न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य और तकनीकी सदस्य, जैसा भी मामला हो,

न्यायाधिकरण;

53 3 (11) किसी न्यायालय या किसी कानून के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में कुछ भी निहित होने के बावजूद

बल,

((i) किसी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष चार वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

((ii) न्यायाधिकरण का सदस्य निम्न अवधि के लिए पद धारण करेगा -

चार वर्ष या जब तक वह साठ-सात वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो:

26.05.2017 से प्रभाव।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि जहाँ कोई अध्यक्ष या सदस्य हो

26 मई, 2017 और अधिसूचित तिथि और उनके पद की अवधि या निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की आयु के बीच नियुक्त

केंद्र सरकार द्वारा जारी नियुक्ति का आदेश उस से अधिक है जो इस धारा में निर्दिष्ट किया गया है, तो, इस धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि या सेवानिवृत्ति की आयु या दोनों, जैसा भी मामला हो, उसके नियुक्ति के आदेश में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी, बशर्ते अधिकतम पांच पदावधि हो। वर्षों से।

अधिकांश न्यायाधिकरणों के लिए अयोग्य थे। विद्वान महान्यायवादी ने अपनी दलीलों में उचित रूप से प्रस्तुत किया कि अधिवक्ताओं को पात्र बनाने के लिए उपयुक्त संशोधन किया जाएगा, बशर्ते उनके पास 25 साल का अनुभव हो। विद्वान न्यायमित्र ने एम. बी. ए.-III में तर्क दिया कि न्यायाधिकरणों में सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए सक्षम अधिवक्ताओं को आकर्षित करने के लिए, यह आवश्यक है कि उन्हें नियुक्ति के लिए पात्र बनाया जाए।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए समान मानदंड लागू होते हैं। विद्वान न्यायमित्र ने सुझाव दिया कि बार में 15 वर्ष की स्थिति वाले अधिवक्ताओं को न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए। एम. बी. ए.-III में अधिवक्ताओं को सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने से बाहर करना एम. बी. ए.-I और एम. बी. ए.-II में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत पाया गया। विद्वान महान्यायवादी के इस कथन को दर्ज करते हुए कि अधिवक्ताओं को सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा, एम. बी. ए.-III में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिवक्ताओं के लिए बार में अनुभव को सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए वही लागू होना चाहिए, अर्थात 10 वर्ष। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, एम. बी. ए.-III में 2020 के नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया था ताकि बार में कम से कम 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाया जा सके।

न्यायाधिकरण। बार में अधिवक्ताओं के अनुभव और कानून की संबंधित शाखा में उनकी विशेषज्ञता को उनकी नियुक्ति पर विचार करते समय खोज-सह-चयन समिति (इसके बाद एससीएससी के रूप में संदर्भित) द्वारा ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया था। अधिवक्ताओं को मद्रास बार एसोसिएशन v सेवा को वरीयता देकर कम से कम एक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का हकदार माना गया था।

भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

उनके द्वारा न्यायाधिकरणों में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, भारत संघ द्वारा "पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र" के स्थान पर "पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य" शब्द को प्रतिस्थापित करके उपरोक्त निर्देश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। भारत संघ के उक्त अनुरोध को इस न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था।

49. एम. बी. ए.-III में परमादेश की प्रकृति में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश इस आशय का है कि अधिवक्ता नियुक्ति के हकदार हैं।

सदस्यों के रूप में, बशर्ते उनके पास 10 साल का अनुभव हो। धारा 184 का पहला प्रावधान जो न्यूनतम 50 वर्ष की आयु निर्धारित करता है, एक प्रयास है।

एम. बी. ए.-III में जारी किए गए निर्देश को दरकिनार करना

अधिवक्ताओं के लिए पात्र होने के लिए बार में 25 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। धारा 184 (1) के पहले परंतुक का परिचय एमबीए-III में इस न्यायालय के फैसले का सीधा अपमान है। एम. बी. ए.-I और रोजर मैथ्यू (ऊपर) में इस न्यायालय ने सदस्यों की भर्ती के महत्व को रेखांकित किया।

लंबा कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए कम उम्र में बार से। सदस्यों की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष निर्धारित करना सक्षम अधिवक्ताओं के लिए नियुक्ति प्राप्त करने के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा। व्यावहारिक रूप से, 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नियुक्त किए गए अधिवक्ता के लिए यह मुश्किल होगा

एक कार्यकाल पूरा होने के बाद कानूनी प्रैक्टिस फिर से शुरू करें, अगर उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है। कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की शर्तों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मुख्य घटकों के रूप में मान्यता दी गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता तभी बनी रह सकती है जब सत्ताधारियों को सेवा की निष्पक्ष और उचित शर्तों का आश्वासन दिया जाता है, जिसमें पर्याप्त सेवाएं शामिल हैं।

कार्यकाल की गणना और सुरक्षा। इसलिए, धारा 184 (1) का पहला परंतुक शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है क्योंकि -

एम. बी. ए.-III में इस न्यायालय का निर्णय एक अस्वीकार्य विधायी ओवरराइड से निराश हुआ है। परिणामस्वरूप, धारा 184 (1) के पहले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। 2018 में जारी विज्ञापन के अनुसार आई. टी. ए. टी. के सदस्यों की नियुक्ति के लिए किए गए चयन को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और

35 से 50 वर्ष के बीच के उम्मीदवारों को भी योग्य मानते हुए नियुक्तियां की जाती हैं।

50. धारा 184 (1) का दूसरा परंतुक सदस्यों को देय भत्तों और लाभों से संबंधित है जो समान होने चाहिए

समान वेतन वाले पद पर आसीन केंद्र सरकार के अधिकारी के लिए स्वीकार्य। 2020 के नियमों के नियम 15 के अनुसार, न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्य उसी दर पर मकान किराया भत्ते के हकदार थे जो भारत सरकार के 5 एस. सी. आर. धारक अधिकारियों के लिए स्वीकार्य था।

समान वेतन वाला समूह 'ए' पद। विद्वानों का विवाद एम. बी. ए.-III में न्यायमित्र ने कहा कि अधिकांश न्यायाधिकरण दिल्ली में स्थित हैं और दिल्ली में आवास की कमी है। ज्यादा नहीं।

सदस्यों को प्रति माह रु. 1,25,000/- और रु. 1,50,000 / - न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को प्रति माह। इस निर्देश को 01.01.2021 से प्रभावी बनाया गया था। विद्वान न्यायमित्र ने तर्क दिया कि भारत संघ ने निर्णय में निर्देशित एच. आर. ए. में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया था। भारत संघ द्वारा इस आशय का स्पष्टीकरण मांगा गया है कि न्यायाधिकरण के सदस्य को देय एच. आर. ए. एक निश्चित राशि नहीं होनी चाहिए और इसके बजाय, सरकार में बाद के पद के धारक को देय एच. आर. ए. से दोगुनी होनी चाहिए, जैसे कि सरकार के सचिव। भारत संघ द्वारा दायर 2021 का विविध आवेदन संख्या 111 लंबित है क्योंकि इस न्यायालय ने भारत संघ को न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए उपलब्ध आवास का विवरण प्रस्तुत करने और एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है कि सदस्यों को आवास प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में एच. आर. ए. के लिए कितनी राशि उचित होगी। विद्वान न्यायमित्र ने तर्क दिया कि संशोधन का परिणाम यह है कि दिल्ली में काम करने वाले न्यायाधिकरणों के सदस्यों को एचआरए के रूप में Rs.60,000/- मिलेगा। धारा 184 (1) का दूसरा परंतुक, जिसे तीसरे परंतुक के साथ पढ़ा जाता है, एमबीए-III में इस न्यायालय के फैसले का अपमान है। कल्पना के किसी भी विस्तार से यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त प्रावधान उपचारात्मक कानून का परिणाम हैं। इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश में एच. आर. ए. के भुगतान के लिए एम. बी. ए.-III का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्यायाधिकरण के सदस्यों को उचित आवास प्रदान किया जाए। ऐसा निर्देश बनाए रखने के लिए जारी किया गया था

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और यह विधायी प्रतिक्रिया का विषय नहीं हो सकता है। इस न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश को विधायिका द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अस्वीकार्य विधायी ओवरराइड के बराबर होगा। इसलिए, धारा 184 (1) के दूसरे परंतुक को, जिसे तीसरे परंतुक के साथ पढ़ा जाता है, असंवैधानिक घोषित किया जाता है।

51. यह हमारे संज्ञान में आया है कि इस रिट याचिका में निर्णय 03.06.21 पर सुरक्षित रखे जाने के बाद, द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) 30.06.21 मद्रास बार एसोसिएशन में संशोधन पर v.

भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

2020 के नियम। न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2021 (इसके बाद 2021 संशोधन नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 6 द्वारा, 2020 के नियमों के नियम 15 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया गया था:

" 15. मकान किराया भत्ता। - 1 जनवरी, 2021 से अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति के पास केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले आवास का लाभ उठाने का विकल्प होगा, जो उस समय लागू नियमों के अनुसार होगा या वे रुपये की सीमा के अधीन मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे। प्रति माह एक लाख पचास हजार रुपये और पीठासीन कार्यालय और सदस्य

केंद्र सरकार द्वारा कुछ समय के लिए लागू नियमों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आवास का लाभ उठाने का विकल्प होगा या रुपये की सीमा के अधीन घर का किराया भत्ता पाने का हकदार होगा। एक लाख बीस-पाँच हजार रुपये प्रति माह "।

01.01.21 , एम. बी. ए.-III में एच. आर. ए. के विषय पर इस न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है। इसे ध्यान में रखते हुए एच. आर. ए. के संबंध में आगे कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। 52. 2020 के नियमों का नियम 4 (2) एससीएससी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। उक्त नियम के अनुसार, एससीएससी को

प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए दो या तीन नामों की सिफारिश करें। एमबीए-III में 2020 के नियमों के नियम 4 (2) में संशोधन करने का निर्देश दिया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एससीएससी प्रत्येक में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की सिफारिश करेगा।

प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए दो या तीन व्यक्तियों के पैनल के स्थान पर पद। प्रतीक्षा सूची में शामिल करने के लिए एक और नाम की सिफारिश की जा सकती है। एम. बी. ए.-I, एम. बी. ए.-II में इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर भरोसा करते हुए

और रोजर मैथ्यू (ऊपर), विद्वान न्यायमित्र ने [2021] 5 एस. सी. आर. प्रस्तुत किया था।

एम. बी. ए.-III में सुनवाई के दौरान कि न्यायाधिकरण में नियुक्ति की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से कार्यकारी नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। विद्वान महान्यायवादी ने एम. बी. ए.-III में प्रस्तुत किया कि एस. सी. एस. सी. द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या तीन के बजाय दो तक सीमित की जा सकती है। एस. सी. एस. सी. द्वारा चयनित उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने के बाद कार्यपालिका के विवेक को सीमित करने के लिए, इस न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के हित में निर्देश दिया कि नियम 4 (2) को

प्रत्येक पद के लिए केवल एक व्यक्ति के नाम की सिफारिश करने के लिए एससीएससी को सशक्त बनाने के रूप में पढ़ा जाए।

53. विद्वान महान्यायवादी ने जोर देकर कहा कि यह न्यायालय विधायिका को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है। उन्होंने फैसले पर भरोसा किया

डॉ. अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ और Anr.54 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विधायिका को कानून बनाने का निर्देश देना इस न्यायालय की क्षमता से परे है। उक्त प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है। विद्वान महान्यायवादी ने आगे जोर देकर कहा कि प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या के संबंध में एमबीए-III में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को केवल एक सुझाव के रूप में लिया जा सकता है। राज्य की एक शाखा के रूप में न्यायालय अपने आप में कानून का एक स्रोत है। कानून वही है जो अदालत कहती है। अनुच्छेद 141 बनाम अनुच्छेद 142 से संबंधित स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, इस न्यायालय द्वारा राम प्रवेश सिंह और अन्य के मामले में यह निर्णय लिया गया है। वी. बिहार राज्य और Ors.55 कि अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए निर्देश अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून नहीं हैं। कोई भी आदेश जो किसी भी कारण या किसी भी सिद्धांत पर विचार से पहले न हो, अनुच्छेद 142 के तहत एक आदेश है। संविधान का अनुच्छेद 136 है -

उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित अनुच्छेद 141 के तहत भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, जबकि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त बनाता है। न्यायालय पूर्ण न्याय करने के लिए निर्देश जारी करेगा। अनुच्छेद 142 के तहत, न्यायालय पक्षों को कानून लागू करने में ढील देने या कानून की कठोरता को देखते हुए पक्षों को पूरी तरह से छूट देने की हद तक जा सकता है।

55 (2006) 8 एस. सी. सी. 381

56 (1995) 2 एस. सी. सी. 728 मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

इस संबंध में न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत निर्धारित कानून है। एकमात्र तरीका जिससे विधायिका इस न्यायालय के उक्त निर्णय को रद्द कर सकती है नियम 4 (2) में दोष को ठीक करके है। 2020 के नियमों के नियम 4 (2) के प्रावधान को दोहराने के अलावा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है।

वित्त अधिनियम, 2017 में संशोधन करने वाला अध्यादेश। एर्गो, धारा 184 (7) कानून में अस्थिर है क्योंकि यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ओवरराइड करने का प्रयास है। 2020 के नियमों के नियम 4 (2) की सामग्री को धारा 184 (7) में रखकर दोहराना न्यायिक क्षेत्र में घुसपैठ करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है जो निषिद्ध है।

54. धारा 184 (7) के दूसरे भाग में प्रावधान है कि सरकार एससीएससी द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में निर्णय लेगी।

अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर। यह इस न्यायालय द्वारा एम. बी. ए.-III में दिए गए निर्देश के जवाब में है कि सरकार एस. सी. एस. सी. द्वारा चयन और सिफारिश के पूरा होने के तीन महीने के भीतर न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करेगी। भारत संघ द्वारा नियुक्तियाँ करने और अध्यक्षों के पदों को भरने में दिखाई गई सुस्ती को देखते हुए इस तरह के निर्देश की आवश्यकता थी और

लंबे समय तक खाली रखे गए बड़ी संख्या में पदों के कारण विवाद निष्क्रिय हो गए हैं। न्यायाधिकरण न्याय के प्रशासन के अप्रभावी साधन बन गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वादी जनता को न्याय तक पहुँच से वंचित करना। अध्यक्षों और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए सेवा की शर्तें पिछले कई वर्षों से विवादों में फंसी हुई हैं, जिससे इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

न्यायाधिकरणों के बुनियादी कामकाज को प्रभावित करना। यह न्यायालय इस बात से हैरान है कि सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कुछ न्यायाधिकरण बंद होने के कगार पर हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश न्याय के प्रशासन और कानून के शासन को बनाए रखने के व्यापक हित में था। अध्यादेश द्वारा संशोधित धारा 184 (7) सरकार को अधिमानतः तीन के भीतर निर्णय लेने की अनुमति देती है।

एस. सी. एस. सी. की सिफारिश की तारीख से महीने अमान्य हैं और

57 पंजाब राज्य और अन्य। वी. रफीक मसीह (व्हाइटवॉशर) (2014) 8 एस. सी. सी. 883; राज्य बनाम। कल्याण सिंह और अन्य। (2017) 7 एससीसी 444 [2021] 5 एस. सी. आर.

असंवैधानिक, क्योंकि यह संशोधित प्रावधान केवल इस न्यायालय के निर्देशों को नकारना चाहता है।

55. किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल धारा 184 (11) द्वारा चार साल निर्धारित किया जाता है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि धारा 184 की उप-धारा (11) को 26.05.2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है। 2020 के नियमों के नियम 9 में निर्दिष्ट किया गया था - न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति चार वर्ष के रूप में। विद्वान न्यायमित्र ने एम. बी. ए.-III में अपनी दलीलें देते हुए इस बात पर जोर दिया था कि एस. पी. संपत (ऊपर), एम. बी. ए.-I और रोजर मैथ्यू (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का न्यूनतम कार्यकाल पांच साल होना चाहिए। उनके द्वारा लिया गया रुख यह था कि एक छोटा कार्यकाल सक्षम व्यक्तियों के लिए न्यायाधिकरणों के सदस्यों के रूप में नियुक्ति की मांग करने के लिए एक हतोत्साहित करने वाला होगा।

विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि चार साल का कार्यकाल पुनर्नियुक्ति के अधीन है। उन्होंने तर्क दिया कि जिन अधिवक्ताओं को कम उम्र में नियुक्त किया जाता है, वे एक से अधिक कार्यकाल विस्तार प्राप्त कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने तक जारी रह सकते हैं। एम. बी. ए.-I और रोजर मैथ्यू (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को पढ़ने के बाद, जिसमें कहा गया था कि एक छोटा कार्यकाल योग्यता विरोधी है, हमने एम. बी. ए.-III में अध्यक्षों और न्यायाधिकरणों के सदस्यों के संबंध में नियम 9 (1) और 9 (2) में कार्यकाल को पांच साल के रूप में संशोधित करने का निर्देश दिया। इस न्यायालय ने पैरा 53 (iv) में घोषणा की कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और न्यायाधिकरणों के सदस्य पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। 26.05.2017 के प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए चार साल की अवधि निर्धारित करने वाली धारा 184 (11) को शामिल करना स्पष्ट रूप से MBA-III में अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा को ओवरराइड करने का प्रयास है। इसलिए, धारा 184 (11) के खंड (i) और (ii) को अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया जाता है।

56. धारा 184 (11) का परंतुक उन नियुक्तियों को संदर्भित करता है जो 26.05.2017 के बीच अध्यक्ष या सदस्यों के पदों पर की गई थीं।

और अधिसूचित तिथि, अर्थात, 04.04.2021। परंतुक में कहा गया है कि यदि सरकार द्वारा जारी नियुक्ति के क्रम में निर्दिष्ट पद या सेवानिवृत्ति की आयु धारा 184 (11) में निर्दिष्ट अवधि से अधिक है, तो अध्यक्ष या सदस्यों की पद अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु नियुक्ति के क्रम में निर्दिष्ट के अनुसार होगी, बशर्ते कि अधिकतम पांच साल की पदावधि हो। दूसरे शब्दों में, जिन न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों को मद्रास बार एसोसिएशन v नियुक्त किया गया था, उनका कार्यकाल।

भारत का संघ और ए. एन. आर. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में पद का कार्यकाल या सेवानिवृत्ति की आयु अधिक होती है जिसमें कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो सकता है। इस स्तर पर धारा 184 की उप-धारा (11) को दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव की वैधता से निपटना आवश्यक है। विद्वान न्यायमित्र ने एक निवेदन का प्रचार किया कि धारा 184 (1) से (10) लागू होने की संभावना है और धारा 184 (11) को 26.05.2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, जिससे एक विसंगति पैदा होती है। स्थिति। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उप-धारा (11) इस न्यायालय द्वारा कुदरत संधू बनाम में पारित अंतरिम आदेशों को उलटने के उद्देश्य से बनाई गई है। भारत संघ (ऊपर)। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों/अपीलीय न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के नियम और शर्तें रोजर मैथ्यू (उपरोक्त) के पैरा 224 के अनुसार, वित्त विधेयक, 2017 के अधिनियमन से पहले लागू संबंधित कानूनों के संदर्भ में होंगी। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह ने प्रस्तुत किया कि धारा 184 की उप-धारा (11) को दी गई पूर्वव्यापीता एमबीए-III में इस न्यायालय के फैसले की अनुमेय विधायी ओवरराइड है। 2020 के नियमों को दो आधारों पर एमबीए-III में संभावित माना गया था-ए) दिनांकित अधिसूचना से यह स्पष्ट था कि भारत सरकार की ओर से 2020 के नियमों को पूर्वव्यापी बनाने का कोई इरादा नहीं था; बी) अधीनस्थ कानून को संभावित प्रभाव नहीं दिया जा सकता है जब तक कि मूल क़ानून विशेष रूप से इसका प्रावधान नहीं करता है। यह समझा जाता है कि वित्त अधिनियम, 2017 में धारा 184 में उप-धारा (11) को सम्मिलित करते हुए और इसे 26.05.2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव देते हुए, अध्यादेश ने दोष को दूर करने का प्रयास किया है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 2020 के नियमों पर विचार करते हुए पूर्वव्यापी आवेदन के संदर्भ में बताया गया था। हालाँकि, धारा 184 (11) के खंड (i) और (ii) के लिए निहितार्थ प्रासंगिक नहीं हैं जिन्हें ऊपर उल्लिखित कारणों से अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया गया है।

57. जहां तक धारा 184 (11) के परंतुक का संबंध है, अध्यादेश में निम्नलिखित के संबंध में भी अधिकतम कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया है:

नियुक्ति आदेश 26.05.2017 और 04.04.2021 के बीच पारित किए गए

एक उच्च कार्यकाल प्रदान करें। इस प्रक्रिया में, इस न्यायालय द्वारा कुदरत संधू (उपरोक्त) में दिए गए अंतरिम निर्देशों को भी रद्द कर दिया जाता है। इस न्यायालय द्वारा कुदरत संधू (ऊपर) में 09.02.2018 पर जारी किए गए निर्देशों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। विद्वान महान्यायवादी की सहमति लेने और उनके सुझावों को शामिल करते हुए संशोधन करने के बाद, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि अध्यक्ष/अध्यक्ष, न्यायिक/प्रशासनिक सदस्यों के पद के लिए सभी चयन अधिनियम और [2021] 5 एस. सी. आर. में प्रदान की गई अवधि के लिए होंगे।

सभी न्यायाधिकरणों के संबंध में नियम। आई. डी. 1 पर, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि आई. टी. ए. टी. के सदस्यों के रूप में चुने गए व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक और जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर थे, वे अब तक बने रह सकते हैं।

जबकि राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। हालांकि, धारा के प्रावधान में कुछ भी गलत नहीं है 184 (11) पूर्वव्यापी प्रभाव दिए जाने पर, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्देशों के अनुसार की गई नियुक्तियों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। विरेन्द्र सिंह हुड्डा (ऊपर) मामले में इस अदालत ने पूर्वव्यापीता को बरकरार रखा।

जिस विधान को चुनौती दी गई थी, लेकिन न्यायालय के निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को बचा लिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कानून विधायिका को अदालत के निर्णय के कार्यान्वयन में जो दिया गया है उसे वापस लेने की अनुमति नहीं देता है और इस तरह का पाठ्यक्रम अस्वीकार्य है। इसी तरह, एस. आर. भागवत (ऊपर) में, यह घोषित किया गया था कि प्रतिवादी के खिलाफ एक आदेश-याचिकाकर्ताओं को वित्तीय लाभ देने वाले राज्य को एक कानून द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। यह इंगित करना भी प्रासंगिक है कि इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश भी

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, किसी विधायी अधिनियम द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है। यह स्पष्ट करते हुए कि इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर सी. ई. एस. टी. ए. टी. में की जाने वाली नियुक्तियां सुसंगत क़ानून और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगी, जैसा कि वे वित्त अधिनियम, 2017 से पहले मौजूद थे, हम धारा 184 (11) के परंतुक को दी गई पूर्वव्यापीता को बरकरार रखते हैं। आगे स्पष्ट करने के लिए, 04.04.2021 के बाद की सभी नियुक्तियां अध्यादेश द्वारा शासित होंगी, जैसा कि इसमें निहित निर्देशों द्वारा संशोधित किया गया है। 58. निष्कर्ष निकालने के लिए, पहला परंतुक और दूसरा परंतुक, जिसे तीसरे परंतुक के साथ पढ़ा जाता है, धारा 184 के इस निर्णय को ओवरराइड करता है।

एम. बी. ए.-III में एच. आर. ए. की नियुक्ति और भुगतान के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष निर्धारित करने के संबंध में न्यायालय, एस. सी. एस. सी. द्वारा प्रत्येक पद के लिए दो नामों की सिफारिश से संबंधित धारा 184 (7) और इसके अलावा, सरकार द्वारा अधिमानतः तीन महीने के भीतर निर्णय लेने की आवश्यकता को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। धारा 184 (11) में चार साल का कार्यकाल निर्धारित करना शक्तियों के पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून के शासन और संविधान के अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों के विपरीत है।

भारत का संविधान। हालाँकि, हमने धारा 184 (11) के प्रावधान को बरकरार रखा है, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसार सी. ई. एस. टी. ए. टी. में की गई नियुक्तियाँ संबंधित क़ानून और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगी जो 26.05.2017 से पहले मौजूद थे।

आई. डी. 1 की अधिसूचना पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है, जिसके माध्यम से एच. आर. ए. से संबंधित 2020 के नियमों के नियम 15 को एम. बी. ए.-III में हमारे निर्देशों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

पेरोरेशन

59. याचिकाकर्ता न्यायाधिकरणों को न्याय के प्रशासन के प्रभावी मार्ग बनाने के अपने प्रयास में अपना अथक संघर्ष जारी रखता है। द. याचिकाकर्ता का प्रयास न्यायपालिका की स्वतंत्रता के हित में न्यायाधिकरणों को कार्यपालिका के चंगुल से बाहर निकालना है। कार्यकाल की सुरक्षा, पर्याप्त पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि न्यायाधिकरण के सदस्य इस अवधि के दौरान सुरक्षित महसूस करें।

उनका कार्यकाल। एम. बी. ए.-III में निर्णय विद्वान महान्यायवादी के साथ विस्तृत बातचीत के बाद पारित किया गया था। सदस्यों और अध्यक्षों की बड़ी संख्या में रिक्तियों का अस्तित्व और अत्यधिक देरी

उन्हें भरने के कारण न्यायाधिकरणों का पतन हुआ है। न्यायाधिकरणीकरण का मुख्य कारण, जो तेजी से न्याय प्रदान करना है, हासिल नहीं किया जा सका है क्योंकि न्यायाधिकरण विस्फोट के असहनीय भार के तहत मर रहे हैं। निस्संदेह, विधायिका कानून बनाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है और कार्यपालिका नीतिगत मामलों को तय करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश है। हालाँकि, यह सही समय है कि सभी संबंधित लोगों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक गंभीर प्रयास किया जाए कि न्यायाधिकरणों में सभी रिक्तियों को बिना किसी देरी के भरा जाए। न्याय तक पहुंच और न्यायाधिकरणों द्वारा प्रशासित निष्पक्ष न्याय में वादी जनता का विश्वास बहाल करने की आवश्यकता है।

60. रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. यह अच्छी तरह से पूछा जा सकता है कि सहमति की आवश्यकता क्यों है, जब यह लेखक अपने तर्क और निष्कर्ष दोनों के बारे में जिस निर्णय से सहमत है, वह एल. नागेश्वर राव की तरह ही पूरी तरह से और अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है, जे का निर्णय है। इसका कारण उन विषयों के महत्व में निहित है जिन पर विचार-विमर्श किया गया है-न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अलगाव।

शक्तियों की, जो दोनों अपनी प्रतिध्वनि और प्रासंगिकता में कालातीत हैं। शुरुआत में इस संक्षिप्त प्रस्तावना में उस दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है जो यह राय लेने का प्रयास करती है, जबकि राव, जे. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का पूरे दिल से समर्थन करते हुए, जे. हेमंत गुप्ता, जे. के प्रति बहुत सम्मान के साथ, मैं खुद को उनसे सहमत होने के लिए राजी नहीं कर सकता, कि न्यूनतम आयु (न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिए, यानी 50 वर्ष) या सेवा की शर्तों के संबंध में जैसे कि घर का किराया भत्ता, यह [2021] 5 एस. सी. आर.

न्यायालय को विधायी विवेक का सम्मान करना चाहिए, और उस निर्देश में जारी किया जाना चाहिए

पिछले निर्णय संसद को बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि वे न्यायिक क्षेत्र से बाहर थे।

2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता बुनियादी स्तंभों में से एक है

केवल संसदीय या विधायी प्रक्रिया, नियुक्ति के तरीके आदि के माध्यम से)। महान्यायवादी का यह दावा कि चूंकि कोई एकल प्रावधान नहीं है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, और यह मामला होने के नाते, न्यायालय कार्यकाल की अवधि या अन्य पात्रता शर्तों को निर्देशित नहीं कर सकता है जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हैं, (जो, शासन के एक सह-समान अंग के रूप में) विशेष रूप से मानदंड निर्धारित करने का हकदार है। इसलिए न्यायाधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है।

3. मूल संविधान स्पष्ट रूप से नहीं था-किसी भी प्रविष्टि के माध्यम से

तीन विधायी सूचियों में, न्यायाधिकरणों से निपटें। कानून बनाने का यह क्षेत्र, अदालतों का निर्माण, संसद के साथ-साथ राज्यों पर भी छोड़ दिया गया था। न्यायाधिकरणों से संबंधित प्रविष्टि की अनुपस्थिति का मतलब था कि प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों, या अर्ध-न्यायिक कार्यों से सम्मानित कार्यालयों और एजेंसियों के निर्माण को विधायी गतिविधि के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसके तहत कानून अपने प्रवर्तन के लिए उपयुक्त निकायों का निर्माण कर सकते थे।

संबंधित विधायी प्रमुख के साथ "आनुषंगिक" और "सहायक शक्तियों" की। जैसा कि एल. नागेश्वर राव, जे. द्वारा विस्तार से बताया गया है, संविधान (बयालीसवां) संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 323 ए 3 और

323 बी4 ने प्रतिस्थापन के रूप में न्यायाधिकरणों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया

1 प्रविष्टि 77,78 और 79, सूची I, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची। 2 2 भारत के संविधान की प्रविष्टि 65, सूची II, सातवीं अनुसूची।

3 3 जो संघ या किसी राज्य या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के मामलों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना को सक्षम बनाता है जो निम्नलिखित से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना को सक्षम बनाता है:

" क) किसी भी कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रह और प्रवर्तन; (ख) विदेशी मुद्रा, मद्रास बार संगठन v.

सीमा शुल्क सीमाओं के पार आयात और निर्यात; (ग) औद्योगिक और श्रम विवाद; (घ) अनुच्छेद 31 क में परिभाषित किसी संपत्ति या उसमें किसी अधिकार के राज्य द्वारा अधिग्रहण के माध्यम से भूमि सुधार या ऐसे किसी अधिकार का उन्मूलन या संशोधन या कृषि भूमि पर या किसी अन्य तरीके से अधिकतम सीमा के माध्यम से; (ङ) शहरी संपत्ति पर अधिकतम सीमा; (च) संसद के किसी भी सदन या सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए चुनाव।

अदालतों के लिए। कई न्यायाधिकरण जो 1990 के दशक में शुरू किए गए कानून और 2000 में शुरू होने वाले दशक द्वारा बनाए गए थे, उन अनुच्छेदों में से किसी में भी उल्लिखित प्रमुखों या विषय मामलों के अनुरूप नहीं हैं। फिर भी, उन्हें समवर्ती सूची (सूची III, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि 11 ए के साथ संयुक्त कानून के प्रासंगिक क्षेत्रों के तहत बनाया गया था। 6

संविधान की, और किसी भी अवधारणा या धारणा पर नहीं जैसे कि शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता, पहले में परीक्षण की आवश्यकता है उदाहरण।

5. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी भी अधिनियम या अधीनस्थ कानून पर संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करने के रूप में सवाल उठाया जा सकता है। हालाँकि, क्या यह अभिव्यक्ति उन सिद्धांतों पर आधारित चुनौती को रोकती है जो संविधान में स्पष्ट हैं, लेकिन फिर भी, किसी भी स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से इसके सादे पाठ में स्पष्ट रूप से नहीं लिखे गए हैं? संविधान पीठ में

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। भारत संघ ("एमबीए-I") का मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालयों को कर विवादों में उनके वैधानिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र से अलग किया जा सकता है, जिसका वे 80 वर्षों से अधिक समय से प्रयोग कर रहे थे, ताकि इस अधिकार क्षेत्र को एक नए न्यायाधिकरण को प्रदान किया जा सके जिसकी सदस्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से अलग होनी थी।

अदालतें। इस न्यायालय ने तब मूल संरचना सिद्धांत की प्रयोज्यता की जांच की, जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण को एक हिस्सा माना गया है, और निम्नानुसार कहा गया है:

किसी राज्य का, लेकिन अनुच्छेद 329 और अनुच्छेद 329क में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर; (छ) खाद्य पदार्थों (खाद्य तिलहनों और तेलों सहित) और ऐसी अन्य वस्तुओं का उत्पादन, खरीद, आपूर्ति और वितरण जो राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, इस अनुच्छेद के उद्देश्य और ऐसी वस्तुओं की कीमतों के नियंत्रण के लिए आवश्यक वस्तुएँ घोषित कर सकते हैं; (छ) किराया, उसका विनियमन और नियंत्रण और मकान मालिकों और किरायेदारों के अधिकार, स्वामित्व और हित सहित किरायेदारी के मुद्दे; (छ) उपखंड (क) से (ज) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में कानूनों के खिलाफ अपराध और उन मामलों में से किसी के संबंध में शुल्क; (छ) उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए कोई प्रासंगिक मामला।"

6 प्रविष्टि 11ए 'उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों के न्याय प्रशासन, गठन और संगठन' से संबंधित है। 7 1 (2014) 10 एससीसी 1.

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 113.2 . जहां तक पहले परिप्रेक्षय का संबंध है, हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के हाथों दिए गए प्रस्तुतिकरण पर विचारपूर्वक विचार किया है। हम याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के हाथों दिए गए प्रस्तुतिकरण में सार पाते हैं, लेकिन विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए प्रारूप में बिल्कुल नहीं। एक करीब

जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया था, उनकी जाँच हमें इस ओर ले गई निष्कर्ष, कि हर नए संविधान में, जो बनाता है

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए अलग-अलग प्रावधान, यह माना जाता है कि "शक्तियों के पृथक्करण" का मूल सिद्धांत लागू होगा। और यह कि शासन की तीन शाखाएँ अपने निर्धारित क्षेत्र/प्रांत में काम करेंगी। न्यायिक कार्यों के निर्वहन की शक्ति जिसका प्रयोग उच्च न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा किया जाता था

संविधान के लागू होने का समय आम तौर पर न्यायालय के पास रहना चाहिए, जिसने उक्त का प्रयोग किया

नए संविधान की घोषणा के समय अधिकार क्षेत्र। लेकिन न्यायिक शक्ति का उपयोग एक समान/समान अदालत/न्यायाधिकरण द्वारा करने की अनुमति दी जा सकती है।

अलग नाम। हालांकि, संवैधानिक आधार पर समान न्यायालय/न्यायाधिकरण का गठन करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि

उस न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल समान होगा

अदालत ने प्रतिस्थापित करने की मांग की। हिंद के मामले में यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया था [हिंद बनाम। आर., 1977 एसी 195: (1976) 2 डब्ल्यूएलआर 366: (1976) 1 सभी ईआर 353 (पीसी)]। हिंड्स मामले में [हिंड्स बनाम। आर., 1977 एसी 195: (1976) 2 डब्ल्यूएलआर 366: (1976) 1 सभी ई. आर. 353 (पी. सी.)], यह स्वीकार किया गया कि संसद को एक नए नाम के तहत अदालत की स्थापना करने से नहीं रोका गया था।

उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें जिसका प्रयोग संविधान के लागू होने के समय उच्च न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जब ऐसा किया गया था, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि ऐसे न्यायालय/न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को उसी तरीके से नियुक्त किया जाना चाहिए और वे उसी तरह के कार्यकाल की सुरक्षा के हकदार होने चाहिए जैसे संविधान लागू होने के समय न्यायिक पद के धारक को थी। पीटर डब्ल्यू. हॉग द्वारा कनाडा के संवैधानिक कानून के ग्रंथ में भी यह देखा

गया था: यदि कोई प्रांत किसी प्रकार की अधिकारिता वाले न्यायाधिकरण का निवेश करता है, जिसे उचित रूप से बार एसोसिएशन v.

भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

एक सुपीरियर, जिला या काउंटी न्यायालय से संबंधित है, फिर वह न्यायालय/न्यायाधिकरण (इसके स्थान पर बनाया गया), जो भी इसका आधिकारिक नाम है,

संवैधानिक उद्देश्यों के लिए, एक सुपीरियर, जिला या काउंटी न्यायालय को प्रतिस्थापित करते समय, आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और

प्रतिस्थापित न्यायालय के मानक। इसका मतलब यह होगा कि नवगठित न्यायालय/न्यायाधिकरण को अमान्य रूप से गठित माना जाएगा, जब तक कि इसके सदस्यों की नियुक्ति उसी तरीके से नहीं की जाती है।

और जब तक इसके सदस्य सेवा की उन्हीं शर्तों के हकदार नहीं हैं जो अदालत के न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध थीं जिन्हें प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी। संदर्भ के तहत दिए गए निर्णयों में यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि उपरोक्त संवैधानिक परंपरा के उल्लंघन को अच्छे इरादे से माफ नहीं किया जा सकता है (जिसके द्वारा किसी दिए गए कानून को लागू करने के लिए विधायी शक्ति का प्रयोग किया गया था)। हम संतुष्ट हैं कि कानून का उपरोक्त स्पष्टीकरण इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई स्थिति के अनुरूप है, जबकि

"शक्तियों के पृथक्करण", "कानून के शासन" और "न्यायिक समीक्षा" की अवधारणाओं से संबंधित। इस संबंध में, संदर्भ हो सकता है

एल. चंद्र कुमार मामले में निर्णय दिए जाएँ [एल. चंद्र कुमार बनाम। भारत संघ, (1997) 3 एस. सी. सी. 261: 1997 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 577], साथ ही, भारत संघ बनाम। मद्रास बार एसोसिएशन। [भारत संघ बनाम। मद्रास बार एसोसिएशन। , (2010) 11 एस. सी. सी. 1] इसमें, इस न्यायालय ने मान्यता दी है कि अधिकार क्षेत्र का हस्तांतरण अनुज्ञेय है लेकिन इस तरह के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए, जिस न्यायालय को निर्णय की शक्ति हस्तांतरित की जाती है, उसे मुख्य विशेषताओं के साथ सहन किया जाना चाहिए, जो उस न्यायालय के पास थे जिससे न्यायनिर्णायक शक्ति हस्तांतरित की गई है। में।

प्रस्तुतिकरण पर हमारे निष्कर्षों को दर्ज करना

पहला परिप्रेक्षय, हम केवल यह बता सकते हैं कि हमारा निष्कर्ष है

ठीक वैसा ही जैसा याचिकाकर्ताओं के पिछले निवेदन की जांच करते समय हमारे द्वारा तैयार किया गया था, अर्थात्, हमारे लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि मान्यता प्राप्त संवैधानिक प्रावधानों के तहत

उच्च न्यायालयों में निहित न्यायिक शक्ति को न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के समन्वय के लिए स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर यह है कि इस तरह के हस्तांतरण की अनुमति है। लेकिन जब भी ऐसा होता है स्थानांतरण, अदालत के सभी सम्मेलनों/रीति-रिवाजों/प्रथाओं को

प्रतिस्थापित करने की मांग की जाती है, जिसे अदालत/न्यायाधिकरण में शामिल किया जाना चाहिए। नवनिर्मित न्यायालय/न्यायाधिकरण की स्थापना न्यायालय की मुख्य विशेषताओं और मानकों के अनुरूप की जानी चाहिए, जिन्हें प्रतिस्थापित करने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 5 एस सी आर।

6. इसी तरह, डॉ. डी. सी. वाधवा और अन्य बनाम। बिहार राज्य और अन्य, इस अदालत की एक संविधान पीठ ने माना कि घोषणा करने की शक्ति एक अध्यादेश कार्यपालिका को उपयुक्त विधायिका द्वारा इसके अधिनियमन की मांग किए बिना इसे कई बार फिर से जारी करने में सक्षम नहीं बनाता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो कार्यपालिका को अध्यादेशों को फिर से जारी करने से रोकता है; फिर भी इस अदालत ने फैसला सुनाया कि यह मामला है, और निम्नानुसार टिप्पणी की:

" कार्यपालिका अपने द्वारा प्रयोग की जाने वाली आपातकालीन शक्ति का सहारा केवल तभी नहीं ले सकती है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, तो वह विधानमंडल के कानून बनाने के कार्य को अपने हाथ में ले सकती है। यह स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट कर देगा जो हमारी संवैधानिक योजना के मूल में है, तब लोगों को संविधान में प्रदान किए गए विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा नहीं बल्कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा शासित किया जाएगा। सरकार विधानमंडल को पारित करके और अध्यादेश के प्रावधानों को अधिनियम में परिवर्तित किए बिना पारित नहीं कर सकती है। विधानमंडल, जैसे ही विधानमंडल का सत्रावसान होता है, अध्यादेश को फिर से जारी करें। बेशक, ऐसी स्थिति हो सकती है जब सरकार के लिए अध्यादेश के समान प्रावधानों वाले विधेयक को विधानमंडल में पेश करना और पारित करना संभव न हो, क्योंकि विधानमंडल का किसी विशेष सत्र में या किसी विशेष सत्र में विधानमंडल के निपटारे के समय बहुत अधिक विधायी कार्य हो सकता है।

सत्र छोटा हो सकता है, और उस स्थिति में, राज्यपाल वैध रूप से पा सकता है कि अध्यादेश को फिर से जारी करना आवश्यक है। जहां ऐसी स्थिति है, वहां की पुनः घोषणा अध्यादेश हमले के लिए खुला नहीं हो सकता है। लेकिन अन्यथा, कार्यपालिका की ओर से एक अध्यादेश को जारी रखना शक्ति का एक रंगीन प्रयोग होगा।

संविधान द्वारा सीमित अवधि से परे प्रावधान, द्वारा

पुनः प्रकाशन की पद्धति को अपनाना "।

7. उपरोक्त निर्णय का समर्थन कृष्ण कुमार सिंह बनाम में किया गया था। बिहार राज्य 'जो यह भी मानता है कि पुनः घोषणा' एक का प्रतिनिधित्व करता है

विधायी निकाय तक पहुँचने का प्रयास जो एक संसदीय लोकतंत्र में कानून बनाने के अधिकार का एक प्राथमिक स्रोत है। अदालत ने कहा कि: 8 1987 (1) एससीआर 198।

(2017) 3 एससीसी 1.

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" पुनः घोषणा का खतरा उस खतरे में निहित है जो संसद और राज्य विधानमंडलों की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है, जिन्हें इसके तहत प्राथमिक कानून-दाताओं के रूप में गठित किया गया है।

संविधान। खुली विधायी बहस और चर्चा धूप प्रदान करती है जो अध्यादेश बनाने की गोपनीयता को अलग करती है।

कानून के माध्यम से पारदर्शी और जवाबदेह शासन

बनाते हैं।

8. प्रिवी काउंसिल के एक फैसले में (जिसे केशवानंद भारती सहित इस अदालत के फैसलों द्वारा उद्धृत और अनुमोदित किया गया है)

वी. केरल राज्य) अर्थात लियानगे बनाम। इन सिद्धांतों के बाध्यकारी, हालांकि अविवेकी आधार को निम्नलिखित तरीके से विस्तृत किया गया था:

" हालाँकि, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर संविधान की संरचना में जो निहित है वह यह है कि न्यायिक शक्ति,

हालाँकि इसे समय-समय पर विभिन्न न्यायालयों के बीच वितरित किया जाता है, लेकिन यह न्यायिक पद धारण करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों में न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित अध्याय में निर्धारित तरीके और शर्तों पर निहित रहता है, भले ही यह संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है।

9. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1 2 में इस न्यायालय ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 28 को इस आधार पर अमान्य कर दिया कि यह

अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया था, और इस प्रकार संविधान की मूल संरचना के साथ संघर्ष में था, क्योंकि न्यायिक समीक्षा का हिस्सा था

मूल संरचना:

" 100. हमारे द्वारा अपनाए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 323 ए का खंड 2 (डी) और अनुच्छेद 323 बी का खंड 3 (डी), इस हद तक कि वे उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर करते हैं।

और संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक हैं। अधिनियम की धारा 28 और अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तत्वावधान में अधिनियमित अन्य सभी विधानों में "अधिकार क्षेत्र का अपवर्जन" खंड, उसी हद तक असंवैधानिक होंगे। उच्च न्यायालयों को

अनुच्छेद 226/227 के तहत और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है

हमारे संविधान की अलंघनीय बुनियादी संरचना।

10 1973 सप. एससीआर 1. 11 1 1 [1967] 1 एसी 259,287-288। 1 2 1997 (3) एस. सी. सी. 261 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[20

21] 5 एस सी आर।

इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ 1 में केंद्रीय कानून के प्रावधान

अधिनियम 1 4 [धारा 4 (3)], जिसने सभी लंबित कानूनी कार्यवाही को समाप्त कर दिया था, को असंवैधानिक माना गया क्योंकि: यह "विवाद के समाधान के लिए न्यायिक उपचार के विलुप्त होने के बराबर था कानून के शासन का निषेध। इसलिए अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) असंवैधानिक और अमान्य है। इसलिए, यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि एक क़ानून द्वारा, की अवधारणा का उल्लंघन

न्यायपालिका की स्वतंत्रता-संविधान की एक बुनियादी या आवश्यक विशेषता, जो इसके विविध प्रावधानों में प्रकट होती है, पर हमला नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद में स्पष्ट नहीं है। 10. शक्तियों के पृथक्करण और स्वतंत्रता की दोहरी अवधारणाओं के उल्लंघन के आधार पर कार्यकारी या विधायी उपायों के लिए चुनौती

न्यायपालिका को उनके प्रभावों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, एक समय पर नहीं, बल्कि संचयी रूप से, एक समय निरंतरता के साथ। यह विचार परीना स्वरूप बनाम में व्यक्त किया गया था। भारत संघ जहाँ अदालत ने कहा कि:

" 9. यह आवश्यक है कि न्यायालय एक रेखा खींच सके जो

कार्यपालिका धीरे-धीरे और (एस. आई. सी.) न्यायिक कार्यों और विधिवत गठित न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली राज्य की शक्तियों को संभालने की अपनी गुमराह इच्छा को पार नहीं कर सकती है। न्यायिक मंचों का नया मार्ग बनाते समय, यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि वे शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक कार्य की स्वतंत्रता की बुनियादी संवैधानिक योजना का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम याचिकाकर्ता की इस आशंका से सहमत हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधान इस तरह से प्रदान किए गए हैं कि अधिनियम के तहत मामलों का फैसला करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं हो सकती है, लेकिन सदस्यों और अध्यक्ष का चयन चयन समिति की अध्यक्षता में किया जाएगा।

राजस्व सचिव द्वारा। 10.

यह ध्यान देने योग्य है कि एल. चंद्रा मामले में यह न्यायालय

कुमार बनाम। भारत संघ [(1997) 3 एस. सी. सी. 261: 1997 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 577] ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में निहित विधायी कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता है।

इसकी (मूल) संरचना का हिस्सा। संविधान

13 (1994) 6 एस. सी. सी. 360,14 अयोध्या में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण अधिनियम, 1993 (1993 का सं. 33) 15 (2008) 14 एस. सी. सी. 107 मद्रास बार एसोसिएशन v.

स्वतंत्र और स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी देता है और

शक्तियों के पृथक्करण की संवैधानिक योजना को आसानी से और गंभीर रूप से कमजोर किया जा सकता है, अगर विधायिकाओं को सभी मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र के नियमित न्यायालयों को अलग करना पड़े, और इसे नए बनाए गए न्यायाधिकरणों को सौंपना पड़े जो नियमित न्यायालयों को दिए गए संवैधानिक संरक्षण के समान संरक्षण के हकदार नहीं हैं। स्वतंत्रता और

निष्पक्षता जो न केवल न्यायालय के लिए बल्कि न्यायाधिकरणों और उनके सदस्यों के लिए भी सुनिश्चित की जानी है, हालांकि वे "न्यायिक सेवा" से संबंधित नहीं हैं, बल्कि उन्हें न्यायिक शक्तियां सौंपी गई हैं। सुरक्षा उपाय जो स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं और

निष्पक्षता पदाधिकारी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि नागरिकों और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए है जो

न्यायाधिकरण की अधिकारिता और यह सुनिश्चित करने के लिए कि

न्यायाधिकरण जनता का विश्वास हासिल करने में सक्षम होगा।

नियंत्रण और संभावित प्रभुत्व से स्वतंत्रता

कार्यपालिका न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें हैं। यह स्पष्ट करना कि कार्यपालिका और विधायिका द्वारा नियंत्रण से मुक्त न्यायपालिका आवश्यक है यदि उन न्यायाधीशों द्वारा दावों का निर्णय लेने का अधिकार है जो

की अन्य शाखाओं द्वारा संभावित प्रभुत्व से मुक्त

सरकार। इस पृष्ठभूमि के साथ, आइए हम याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए और संशोधित/प्रस्तावित दोषों पर विचार करें। अधिनियम और नियमों के प्रावधान।

11. एस. पी. संपत कुमार बनाम में निर्णय। भारत संघ और अन्य। 1 6 16 ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की वैधता और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण को बरकरार रखा।

संविधान (अनुच्छेद 323 ए में एक सक्षम खंड पर आधारित); फिर भी, दिए गए निर्णयों में तर्क एक स्पष्ट संकेतक है कि यह न्यायालय अपने कर्मियों की योग्यताओं और अनुभव के साथ-साथ निकाय की प्रभावशीलता और निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से न्याय करने की अपनी क्षमता पर विचार करने में हमेशा सावधान रहेगा।

कार्यकाल, वेतन आदि की सुरक्षा। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य सात न्यायाधीशों के फैसले ने अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र को हटाने के संबंध में संपत कुमार (उपरोक्त) को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया।

संविधान; इस न्यायालय ने यह भी घोषणा की कि न्यायिक समीक्षा का एक हिस्सा है

16 1987 एस. सी. सी. सप. 734 17 (1997) 3 एससीसी 261 [2021] 5 एस. सी. आर.

संविधान की मूल संरचना। अगले चरण में, जहां राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था, इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम संविधान पीठ के निर्णय द्वारा। आर. गांधी ने फिर से अधिनियमित संसदीय कानून के कई प्रावधानों को आपत्तिजनक पाया-वे कार्यकाल, नियुक्ति के तरीके, सदस्यों की योग्यता आदि से संबंधित हैं। इसी तरह, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ (एम. बी. ए.-I) (ऊपर) में,

कर अधिनियमों (आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आदि) के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का पूर्ण विनिवेश और एक राष्ट्रीय कर न्यायालय की संसदीय स्थापना को माना गया असंवैधानिक है। यहां फिर से अदालत ने न्याय की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला

ऐसे निकायों से अपेक्षा की जाती है और रेखांकित किया कि इस तरह के अधिकार क्षेत्र का विनिवेश संविधान द्वारा निषिद्ध था। मद्रास बार

एसोसिएशन "(" एम. बी. ए.-II ") ने कंपनी अधिनियम के संशोधित प्रावधानों पर विचार किया और यह घोषणा करने के लिए आगे बढ़े कि उनमें से कई संविधान को पारित नहीं कर सकते। एक बार फिर, जैसा कि आर. गांधी ने किया है।

(ऊपर), यह न्यायालय नए कानून द्वारा परिकल्पित न्याय वितरण तंत्र की प्रकृति पर संभावित प्रभाव से चिंतित था। इन सभी की नियुक्ति का तरीका, योग्यता, पात्रता की शर्तें और कार्यकाल निस्संदेह संसदीय चिंता के दायरे में आते हैं। फिर भी, इस अदालत ने माना कि कानून में अधिनियमित इनमें से कई नीतिगत निर्णय एक स्वतंत्र न्यायपालिका के सिद्धांत के विपरीत थे जो प्रभावी और निष्पक्ष न्याय की गारंटी दे सकते हैं। रोजर मैथ्यू ने कहा कि वित्त अधिनियम, 2017 ("2017 नियम") के तहत बनाए गए नियम अन्य पहलुओं के साथ-साथ चयन सह नियुक्ति समितियों के गठन और न्यायाधिकरणों के सदस्यों के कार्यकाल में खामियों के कारण टिकाऊ नहीं थे। मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ 2 1 ("एमबीए-3") ने अभिनिर्धारित किया कि 2020 में बनाए गए नियम न्यायाधिकरणों के सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में अमान्य थे,

उनके चयन के लिए तंत्र का गठन, उनकी पुनर्नियुक्ति के लिए किसी भी ठोस नियमों का अभाव, आदि।

12. इन सभी निर्णयों में, इस न्यायालय की जांच संविधान के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका पर आधारित थी और विशेष रूप से,

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यदि किसी से संविधान के किसी विशिष्ट प्रावधान को इंगित करने के लिए कहा जाता है, जिस पर इस अदालत ने अधिनियमित प्रावधानों को गलत ठहराते हुए भरोसा किया था, तो कोई भी नहीं होगा। यह भी है

1 8 (2010) 11 एससीसी 1 9 (2015) 8 एस. सी. सी. 583।

20 (2020) 6 एससीसी 1.

21 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 962।

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अब देर से यह तर्क देने के लिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों का पृथक्करण अस्पष्ट अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर संसद ने

अधिनियम को अमान्य नहीं किया जा सकता है। 13. कानून या कार्यकारी नीतियों के प्रावधान संविधान के अनुरूप हैं या नहीं, इस पर विचार करने में इस अदालत की भूमिका

यह अच्छी तरह से पहचाना जाता है और इस पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। वकील

जनरल का यह दावा कि कार्यपालिका या वास्तव में संसद संविधान की व्याख्या करने में अपने अधिकारों के भीतर काम करती है, और इसलिए इस अदालत को नीति के मामलों में एक अव्यावहारिक मानक अपनाना चाहिए, इसलिए अवास्तविक और परेशान करने वाला भी है। जैसा कि संघ द्वारा स्वीकार किया गया है, यदि कोई कानून (संविधान की व्याख्या पर संसद द्वारा अपनी अनन्य शक्ति का प्रयोग करते हुए वैध रूप से पारित) किसी भी स्पष्ट प्रावधान या सिद्धांत का उल्लंघन करता है जो किसी भी स्पष्ट प्रावधान या प्रावधानों के मूल में निहित है, तो इस न्यायालय की आवाज है:

निर्णायक और अंतिम।

14. विशेष रूप से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों की व्यवस्था के मामलों में, जब ये प्रावधान व्याख्या के लिए आते हैं, तो यह न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा में एक खोज जांच मानक लागू करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नया निकाय, न्यायालय, न्यायाधिकरण, आयोग या प्राधिकरण (नागरिकों और सरकारी एजेंसियों या विभागों, नागरिकों और नागरिकों या नागरिकों के बीच) निर्णय लेने के लिए बनाया गया है।

और निगमित संस्थाएं) कुशल, प्रभावी होती हैं और जनता के विश्वास को प्रेरित करती हैं। न्यायिक निकायों की स्थापना करने वाले कानून के प्रावधान पर विचार करने में अदालतों की भूमिका को आर. के. जैन बनाम में मान्यता दी गई थी। भारत संघ 2 2 निम्नलिखित शर्तों में:

" लोगों की आस्था बिस्तर-चट्टान है जिस पर इमारत है।

न्यायिक समीक्षा और निर्णय की प्रभावकारिता

स्थापित किया गया। इसलिए, वैकल्पिक व्यवस्था प्रभावी और कुशल होनी चाहिए। वादी जनता में विश्वास और विश्वास पैदा करने के लिए उनके पास यह आश्वासन होना चाहिए कि उनके कारणों का निर्णय करने वाला व्यक्ति सरकार के प्रभाव या दबाव से पूरी तरह से मुक्त है। स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मियों को कम से कम कानूनी प्रशिक्षण, सीखने और अनुभव का होना चाहिए। सक्षम और उचित लोगों का चयन कार्यालय में लोगों का विश्वास और विश्वास पैदा करता है और प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता बनाने में मदद करता है। न्यायिक स्वतंत्रता जो आवश्यक है और

21] 5 एस सी आर।

अनिवार्य सुरक्षित और स्वतंत्र और निष्पक्ष है न्याय का प्रशासन सुनिश्चित है। केवल इसकी अनुपस्थिति कानून और प्रक्रिया दोनों को गलत और तथ्यों के बारे में गलत विचारों को जन्म दे सकती है और अन्याय की नर्सिंग शिकायत को जन्म दे सकती है। इसलिए, कार्यात्मक योग्यता, झूठे और उपयुक्त दृष्टिकोण का अनुभव कुशलता के लिए मौलिक हैं।

न्यायिक निर्णय। तब केवल एक भंडार के रूप में

आत्मविश्वास। अपने कर्तव्य के रूप में, न्यायाधिकरण कानून की उचित और कुशलता से व्याख्या करेगा और दिए गए तथ्यों पर कानून को लागू करेगा। इसकी अनुपस्थिति संविधान के लिए अपमानजनक या अपमानजनक होगी। अदालतों में दैनिक अभ्यास न केवल अधिवक्ताओं को नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रशिक्षण देता है, बल्कि अदालतों की परंपराओं को भी अपनाता है। निर्मित अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

न्याय के प्रशासन में भूमिका और सुदृढ़ीकरण और

बुद्धि और चरित्र, सहनशीलता और धैर्य, संयम और लचीलापन के गुणों का विकास करें जो कानून के अभ्यास में बहुत महत्वपूर्ण हैं। बार से अधिवक्ताओं का अभ्यास करना आम तौर पर न्यायिक कार्य करने के लिए उन गुणों को प्रदान करता है।

कार्य। कार्य की विशिष्ट प्रकृति उन्हें जोड़ती है।

लाभ देता है और दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए लाभ देता है। डेविड पैनिक (1987 संस्करण) के न्यायाधीशों ने पृष्ठ 50 पर कहा कि हम एक आदमी को शल्य चिकित्सा करने की अनुमति नहीं देंगे।

पूर्ण प्रशिक्षण और प्रमाणन के बिना संचालन

फिटनेस। क्यों न प्रतिदिन एक ऐसे ट्रायल जज की आवश्यकता हो जो

दूसरों के जीवन और भाग्य पर काम करता है।

हमेशा सामान्य दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है। 23 यह मेरी राय में इस तथ्य का स्पष्ट संकेतक है कि लेकिन ऐसे प्रावधानों के लिए और ऐसे अनन्य निकायों का निर्माण, सिविल न्यायालयों को आवश्यक रूप से ऐसे नए विवादों से उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता।

23 धारा 293, आयकर अधिनियम; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 20ए; धारा 18, ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम, 1993; वित्तीय परिसंपत्तियों के

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रवर्तन की धारा 34। प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002; धारा 268, कंपनी अधिनियम, 2013; दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 331; धारा 56, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006; धारा 154, विद्युत अधिनियम, 2003; भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 27; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 61।

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

विधान 2 4. यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि उपयुक्त विधायिका चाहती है कि इस तरह के नए कानून से उत्पन्न होने वाले विवादों पर दीवानी अदालतों द्वारा निर्णय न लिया जाए: जो अन्यथा उन पर अधिकारिता रखता। ऐसे विवादों में धनवापसी जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

कर के रूप में दावा की गई अतिरिक्त राशि, एक वैधानिक व्यवस्था के तहत दो लाइसेंसधारियों के बीच निजी विवाद जैसे दूरसंचार या बिजली कानून आदि।

उपभोक्ता विवाद, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्व, और इसी तरह।

16. संसद ने पिछले कुछ वर्षों में कई न्यायाधिकरणों और आयोगों का गठन किया है जो न्यायिक कार्यों का प्रयोग करते हैं जो आम तौर पर आते हैं।

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के भीतर; वे अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अधीन भी होते। इसलिए अदालतों से अधिकार क्षेत्र को धीरे-धीरे "अलग" करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक और गहन जांच की आवश्यकता है कि जो लोग इन निकायों से संपर्क करते हैं, उन्हें उसी तरह के और न्याय की गुणवत्ता का आश्वासन दिया जाता है, जो नागरिकों को अदालतों से उम्मीद है, यानी स्वतंत्रता, निष्पक्षता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और जनता का विश्वास। ये विचार प्रासंगिक हैं, यह देखते हुए कि अतीत में कार्यपालिका या विधायिका द्वारा अपनाए गए "नीति" विकल्प, जब वे अदालतों के माध्यम से न्याय के वितरण से संबंधित थे,

न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन जांच का विषय। 17. इस तरह की न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में, अतीत में, इस अदालत ने फैसला सुनाया है कि भर्ती के मामलों में उच्च न्यायालयों का निर्णायक कहना है,

जिला और अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदोन्नति और सेवाओं की शर्तें, हालांकि संविधान में केवल राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता है कि

संस्थान (उच्च न्यायालय)। चन्द्र मोहन बनाम। U.P25 की स्थिति में, इस अदालत ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया:

" राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय के साथ अपने परामर्श से किया जाता है, अर्थात वह केवल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीश के पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। परामर्श का उद्देश्य स्पष्ट है। उच्च न्यायालय से यह जानने की उम्मीद है

उपयुक्तता के संबंध में राज्यपाल से बेहतर या

अन्यथा "न्यायिक सेवा" या बार से संबंधित किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना, इसलिए, राज्यपाल को एक ऐसे निकाय के परामर्श से नियुक्ति करने का कर्तव्य सौंपा गया है जो उसे सलाह देने के लिए
उपयुक्त प्राधिकारी। ये प्रावधान

24 सिविल प्रक्रिया संहिता 25 1967 (1) एससीआर 77 [2021] 5 एस. सी. आर. की धारा 9।

यह इंगित करता है कि परामर्श करने का कर्तव्य शक्ति के प्रयोग के साथ इतना एकीकृत है कि शक्ति का प्रयोग केवल उस व्यक्ति या उसमें नामित व्यक्तियों के परामर्श से किया जा सकता है।

चन्द्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम में भी इसी तरह के निर्णय लिए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय 26 और कई अन्य निर्णय। 27 बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद साह 28 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

" संविधान के निर्माता अलग से राज्य की न्यायिक सेवाओं से संबंधित थे और उन्होंने जिला न्यायाधीशों के पदों और जिला न्यायाधीश के पदों से निचले स्तर के अन्य सिविल न्यायिक पदों पर भर्ती के संबंध में विशेष प्रावधान किए। इस प्रकार

ये प्रावधान पूरी तरह से एक अलग हिस्से में पाए जाते हैं संविधान अपने आप में और आंशिक रूप से स्वतंत्र है।

XIV राज्य के तहत सामान्य रूप से सेवाओं से संबंधित है। इसलिए, अनुच्छेद 309, जिसे अपनी स्पष्ट शर्तों पर संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन बनाया गया है, इस हद तक सीमित हो जाता है कि इसके सामान्य संचालन क्षेत्र से अधीनस्थ से संबंधित अनुच्छेदों के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा संचालन के लिए एक अलग और अनन्य क्षेत्र बनाया गया है।

न्यायपालिका जैसा कि भाग VI के अध्याय VI में पाया गया है

संविधान "।

18. इसलिए, यह न्यायालय संविधान और कानून के शासन के अंतिम संरक्षक के रूप में, जिसे बनाए रखने की शपथ लेता है, नियुक्ति के मामलों और जिला और अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में अपनी भूमिका पर जोर देता रहा है। चूँकि न्यायाधिकरण न्याय के प्रशासन के बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कार्य करते हैं, और अनिवार्य रूप से न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं, इसलिए यह न्यायालय योग्यता, नियुक्ति के लिए पात्रता, चयन के लिए प्रक्रिया और अन्य बातों से समान रूप से संबंधित है। उनके सदस्यों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें आदि। इसलिए, इस न्यायालय की चिंता न्यायिक समीक्षा के किसी भी अन्य विषय के विपरीत है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि न्यायाधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल कम है: मान लीजिए कि दो साल, या यदि उनका वेतन अवास्तविक रूप से निम्न स्तर पर आंका गया है, या यदि उनके पीठासीन सदस्यों को कोई प्रशासनिक नियंत्रण या शक्तियां नहीं दी गई हैं,

26 (1969) 3 एससीसी 56

27 केरल राज्य बनाम। ए. लक्ष्मीकुट्टी और ओआरएस। 1987 (1) एस. सी. आर. 136 जहाँ अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान में राज्यपाल को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के साथ "वास्तविक, पूर्ण और प्रभावी परामर्श" करने की आवश्यकता है; एम. एम.

गुप्ता और अन्य। वी. जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य (1982) 3 एस. सी. सी. 412। 28 (2004) 4 एससीसी 640।

कुशल, निष्पक्ष और निष्पक्ष न्याय वितरण का उद्देश्य विफल हो जाएगा। तब यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि इनमें से प्रत्येक "नीतिगत" मामले हैं जो अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

19. आम तौर पर संसदीय या कार्यकारी क्षेत्र के भीतर आने वाले विशुद्ध "नीतिगत" मामलों में, जैसे कि आर्थिक, वाणिज्यिक, वित्तीय नीतियां,

या ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में, इस न्यायालय का न्यायिक समीक्षा का मानक अव्यावहारिक है। लगभग सभी विषय मामलों में जिन पर विधायी निकाय कानून बनाते हैं, नीति के विवेक पर शायद ही कभी सवाल उठाया जाता है; यह बहुत अच्छी तरह से माना जाता है कि ऐसे मामलों में, न्यायिक समीक्षा नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों तक फैली हुई है, और आगे, क्या विशेष विषय संबंधित विधायी निकाय के विधायी क्षेत्र के भीतर आता है। जिन मामलों में कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, वहां जांच इस तरह की कार्रवाई की वैधता और संवैधानिकता को देखने के लिए आगे बढ़ती है। जहाँ कोई कानून नहीं है, वहाँ अदालत विचार करती है कि क्या कार्यपालिका

कार्य करने की क्षमता का पता संविधान के तहत विशेष विधायी क्षेत्र में लगाया जा सकता है, और क्या कानून के बिना कार्यकारी कार्रवाई लोगों की स्वतंत्रता को कम करती है। कार्यकारी मामलों में बचाव सबसे अधिक प्रतीत होता है, जब देश आपात स्थितियों और अस्तित्व संबंधी खतरों का सामना करता है। हालांकि, उन मामलों में जो न्याय के प्रशासन से संबंधित हैं, विशेष रूप से जहां वैकल्पिक न्यायिक मंच बनाए जाते हैं, अदालत की चिंता अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान को दो प्रकार के न्याय प्रदान करने के लिए नहीं पढ़ा जाता है और न ही पढ़ा जा सकता है: एक अदालतों के माध्यम से, और एक अन्य निकायों के माध्यम से। इन न्याय वितरण तंत्रों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता वही होनी चाहिए, जो अदालतों द्वारा प्रदान की जाती है, क्योंकि न्यायाधिकरण न केवल राज्य एजेंसियों और नागरिकों के बीच, बल्कि नागरिकों और नागरिकों के साथ-साथ नागरिकों और शक्तिशाली कॉर्पोरेट संस्थाओं के बीच भी विवादों का न्यायनिर्णयन करते हैं। इसलिए, यह कानूनों का "समान संरक्षण" है, जिसकी गारंटी सभी व्यक्तियों को, उन संस्थानों के माध्यम से दी जाती है जो अपने कर्मियों की समान क्षमता, समान निष्पक्ष प्रक्रिया, और

न्यायनिर्णायकों की वही स्वतंत्रता जो मौजूदा न्यायालयों में उपलब्ध है, जो सीधे तौर पर संलिप्त है। नतीजतन, जब यह न्यायालय किसी नए न्यायिक तंत्र से संबंधित किसी भी कानून या उपाय की जांच करता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून खंड के समान संरक्षण के माध्यम से होता है।

20. इन टिप्पणियों के साथ, मैं न्यूनतम आयु आवश्यकता (जिसे इसके बाद "आयु योग्यता" कहा जाता है) से निपटने के लिए आगे बढ़ता हूं, जिसमें शामिल नहीं है - अन्यथा सभी न्यायाधिकरणों में नियुक्ति से अपेक्षित अनुभव रखने वाले योग्य उम्मीदवार, जब तक कि उनकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक न हो।

29 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत [2021] 5 एस. सी. आर.

यह आयु योग्यता यह है कि नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और इसे वित्त अधिनियम की धारा 184 (1) के पहले प्रावधान द्वारा पेश किया गया है। तत्काल ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह आयु योग्यता (अधिक आयु सीमा या न्यूनतम आयु आवश्यकता के रूप में) किसी भी मूल अधिनियम 30 में जगह नहीं पाती है, जो राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में सदस्यों के रूप में नियुक्ति के अपवाद के साथ विभिन्न न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के लिए पात्रता शर्तों को निर्धारित करता है, जिसके लिए उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता और शर्तों के अलावा नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए 50 वर्ष पूरे करने चाहिए थे।

इस अदालत ने उस आवश्यकता को असमर्थनीय माना और इसे उपयुक्त रूप से संशोधित करने का निर्देश दिया। इसके जवाब में, पहली बार, मूल अधिनियम में 50 साल की न्यूनतम आयु की आवश्यकता को लागू किया गया है। (वित्त अधिनियम, 2017) विवादित अध्यादेश द्वारा संशोधन के माध्यम से। इस आयु की आवश्यकता या योग्यता के लिए दिया गया औचित्य तीन गुना है:

(क) अधिवक्ता सदस्य, तकनीकी सदस्य (चार्टर्ड एकाउंटेंट सहित) और विभागीय सदस्य के रूप में न्यायाधिकरण में शामिल होने वालों की एक समान आयु होगी, जो उस अनुमानित आयु से संबंधित है जिसके द्वारा एक लोक सेवक अतिरिक्त सचिव का दर्जा और पद प्राप्त करता है, जो एक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए उसके या उसके नाम पर विचार करने में सक्षम बनाता है। (ख) अतिरिक्त सचिवों के साथ समानता पर विचार,

आयु योग्यता को लागू करने में संघ के साथ तौला गया;

(ग) क्या न्यायाधिकरण के सदस्य की न्यूनतम आयु 50 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, यह कार्यपालिका और संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है और इस पर निर्भर नहीं हो सकता है -

इस न्यायालय के विचार, एक विशुद्ध नीतिगत मुद्दा है।

21. धारा 184 के पहले परंतुक को चुनौती, जो

आयु योग्यता निर्धारित करता है, जिसे कई कोणों से देखा जाना चाहिए। सबसे पहले, अंतर्निहित मूल क़ानून जिन्होंने न्यायाधिकरण (आई. टी. ए. टी.,

30 आयकर अधिनियम, 1961, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, भारतीय प्रतिभूति विनिमय अधिनियम, 1992, विद्युत अधिनियम, 2003 आदि।

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

सी. ई. एस. टी. ए. टी., टी. डी. एस. ए. टी., सी. ए. टी.) ने सदस्यों के रूप में उम्मीदवारों के चयन के लिए पात्रता मानदंड के रूप में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की थी। इस न्यायालय की राय में न्यूनतम पात्रता मानदंड के रूप में 50 वर्ष का प्रिस्क्रिप्शन बिना किसी तर्क के है। आई. टी. ए. टी. पिछले 79 वर्षों से अस्तित्व में है; इसके कम से कम 33 सदस्यों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था। अदालतें; उनमें से एक (रंगनाथन, जे.) को इस दरबार में नियुक्त किया गया था। सी. ई. एस. टी. ए. टी. में भी ऐसे अधिवक्ता शामिल हैं जिन्होंने न्यायाधिकरण में काम किया है।

कुशलता से। वृद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली वरीयता के लिए किसी भी स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, वास्तव में एक बेतुका परिणाम की ओर ले जाती है-जैसा कि एम. बी. ए.-III में बताया गया था और जैसा कि एल. नागेश्वर राव, जे. ने अपनी राय में दोहराया है। भारत का संविधान एक ऐसे अधिवक्ता को, जिसने 10 वर्षों से अधिक समय तक वकालत की है, उच्च न्यायालय और यहां तक कि इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार के योग्य बनाता है। जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए बार के साथ 7 साल की प्रैक्टिस करने वाले वकील पर विचार किया जा सकता है। अधिवक्ताओं के विचार के लिए न्यूनतम आयु सीमा के रूप में 50 वर्ष निर्धारित करने का पूरी तरह से बहिष्कार करने का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है।

इस मामले में और न ही किसी अन्य मामले में (आर. गांधी-एमबीए-I; मद्रास बार एसोसिएशन-III और रोजर मैथ्यू), न्यूनतम आयु मानदंड के बिना, वास्तविक अभ्यास, प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा और विषय विशेषज्ञता को महत्व देने के लंबे समय से स्थापित मानदंड। ऐसा होता है इस मामले में, यह आश्चर्यजनक है कि एक वर्ष की अवधि में (यानी रोजर मैथ्यू में निर्णय के बाद) वकीलों को छोड़कर नियम बनाने के लिए "नई सोच" प्रबल हुई है, जो अन्यथा, अपनी विशेषज्ञता के आधार पर, उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. यह न्यायालय यह भी देखेगा कि 40-45 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे युवा अधिवक्ताओं के विचार में लंबा समय लगेगा।

इस तरह के क्षेत्रों में ज्ञान और विशेषज्ञता (दूरसंचार विनियमन, कराधान-प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, जी. ए. टी. टी. नियम, अंतर्राष्ट्रीय कराधान आदि) इन न्यायाधिकरणों में निर्णय लेने में उपयोगी होंगे और न्यायशास्त्र के एक निकाय की ओर ले जाएंगे। इस बात पर निर्भर करते हुए कि ऐसे वकील/अधिवक्ता न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में कैसे काम करते हैं,

इन कानूनों के बारे में उनके विशेष ज्ञान के कारण, बाद में और उचित स्तर पर, उन्हें उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए भी माना जा सकता है।

24. इस मामले में आरोपित आयु मानदंड भी पूरी तरह से विसंगत और बेतुके परिणामों की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, 44 वर्ष की आयु के 18 या 20 वर्ष के अभ्यास के साथ एक अधिवक्ता, अप्रत्यक्ष के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ

एम. बी. ए.-III) ऐसे उम्मीदवार को बाहर रखा जाएगा। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जिसने 10 वर्षों तक कानून का अभ्यास किया हो सकता है, और बाद में पूरी तरह से असंबंधित क्षेत्र में निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकारी के रूप में कार्य किया हो, लेकिन जिसकी आयु 50 वर्ष हो सकती है, वह पात्र माना जाएगा और संभवतः न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार, आयु मानदंड के परिणामस्वरूप कम प्रासंगिक उम्मीदवारों की तुलना में अधिक प्रासंगिक अनुभव और योग्यता वाले उम्मीदवारों को चुना जाएगा।

अनुभव, केवल उम्र के आधार पर।

25. जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में। त्रिलोकी नाथ खोसा 3 1, इस अदालत ने समझाया कि के उद्देश्य के लिए एक वर्गीकरण

संविधान का अनुच्छेद 14 (वर्तमान न्यूनतम आयु मानदंड निस्संदेह वर्तमान मामले में है) किसी भी मानदंड के आधार पर, एक विशिष्ट विशेषता पर आधारित होना चाहिए, जिसका मानक के उद्देश्य या कानून के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए:

" 31. हालाँकि, वर्गीकरण इस खतरे से भरा हुआ है कि यह कृत्रिम असमानताएँ पैदा कर सकता है और इसलिए, वर्गीकरण के अधिकार को मुख्य प्रतिबंधों के साथ सुरक्षित रखा गया है; अन्यथा, समानता की गारंटी वर्ग विधान में डूबी जाएगी जो अच्छी तरह से चिह्नित वर्गों को नियंत्रित करने के लिए कानूनों के रूप में है।

विभिन्न और विशिष्ट उपलब्धियों की विशेषता।

इसलिए, वर्गीकरण वास्तव में पर्याप्त आधार पर किया जाना चाहिए।

31 (1974) 1 एस. सी. सी. 19 मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

वे अंतर जो समूह से अलग किए गए व्यक्तियों को समूह से अलग करते हैं और ऐसे विभेदक गुणों का उस उद्देश्य के साथ एक न्यायसंगत और तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसकी मांग की गई थी

हासिल किया जाए "।

26. इसी तरह, मोहम्मद में। शुजात अली बनाम। भारत संघ 3 2 इस न्यायालय ने कृत्रिम भेदभाव के आधार पर अति वर्गीकरण के खिलाफ आगाह किया

सार्वजनिक रोजगार के मामलों में एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाली दो श्रेणियों के बीचः

" उच्च पद के कर्तव्यों की प्रकृति से बाध्य नहीं होने वाली शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर भेदभाव की अनुमति देना समानता खंड के सामाजिक बल को दबाना है। पदोन्नति का एक नियम जो यह स्वीकार करता है कि गैर-स्नातक पर्यवेक्षक भी सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत होने के योग्य हैं, पदोन्नति के लिए रिक्तियों का एक उच्च कोटा आरक्षित करता है -

गैर-स्नातक पर्यवेक्षकों की तुलना में स्नातक पर्यवेक्षकों की गणना स्पष्ट रूप से समान की गारंटी को नष्ट करने के लिए की जाएगी।

मौका मिलता है।

) सफल होने के लिए, संघ यह नहीं कह सकता है कि इसे वैध माना जाना चाहिए, चाहे वर्गीकरण की प्रकृति और उद्देश्य या उम्मीदवारों के बीच अनुभव में अंतर की गुणवत्ता और सीमा कुछ भी हो। 18 साल के अनुभव वाले लेकिन 42 या 43 साल की उम्र के किसी व्यक्ति के बीच, और केवल 12 वर्ष के अनुभव वाला कोई व्यक्ति, यदि अनुभव और योग्यता के लिए वेटेज की एक प्रणाली लागू की जानी थी, तो अधिक अनुभव वाले व्यक्ति का चयन किया जाएगा। फिर, यह कहने का मतलब होगा कि कम अनुभव वाले, लेकिन जो अधिक उम्र के हैं, उनका चयन और नियुक्ति की जानी चाहिए, न केवल अधिक अनुभव वाले को हटा दिया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें अयोग्य भी घोषित कर दिया जाना चाहिए, इसका मतलब होगा कि बेहतर उम्मीदवारों की अनदेखी की जानी चाहिए।

और कम अनुभव वाले लोगों को केवल जमीनी स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। कि बाद वाले की आयु 50 वर्ष से अधिक है। प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बहसों के दौरान (हालांकि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने के संदर्भ में) टिप्पणी की कि 3

32 1975 (3) एससीसी 76 33 सीएडी, वॉल्यूम। VIII दिनांक 24 मई, 1949 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 5 एस सी आर।

" लेकिन तथ्य यह है कि जब आप कुछ शीर्ष ग्रेड तक पहुँचते हैं जहाँ आपको बिल्कुल प्रथम श्रेणी के कर्मियों की आवश्यकता होती है, तो यह एक

एक सीमा तय करने के लिए खतरनाक बात जो पहले इन्हें बाहर कर सकती है पुरुषों का मूल्यांकन करें। "

वर्तमान मामले में, इस नियम का प्रभाव किसी भी स्पष्ट सार्वजनिक नीति या लक्षय को कम किए बिना योग्य उम्मीदवारों को बाहर करने का है। इस प्रकार, वर्गीकरण किसी भी न्यायोचित तर्क पर आधारित नहीं है और न ही यह कहा जा सकता है कि आयु मानदंड का उस उद्देश्य के साथ कुछ संबंध है जिसे प्राप्त करने की इच्छा है, जैसे कि अधिक दक्षता या अनुभव।

28. अनुज गर्ग बनाम। होटल एसोसिएशन। भारत के 3 4 मुद्दों में से एक था

होटल उद्योग में 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रोजगार पर रोक। इस अदालत ने माना कि इस तरह का आयु भेदभाव अस्थिर था, और इसे निम्नानुसार देखते हुए खारिज कर दिया:

" 25. होटल प्रबंधन ने युवाओं के लिए एक रास्ता खोल दिया है

और महिलाओं को रोजगार के लिए। उनमें से एक बड़ी संख्या ले रही है

होटल प्रबंधन स्नातक पाठ्यक्रम। वे पास करते हैं

बहुत कम उम्र में परीक्षाएँ। यदि 25 वर्ष से कम आयु की महिलाओं और पुरुषों के रोजगार पर प्रतिबंध को लागू किया जाना है, तो युवा स्नातकों का एक बड़ा वर्ग, जिन्होंने होटल प्रबंधन में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने में बहुत समय, धन और ऊर्जा खर्च की है, उनके रोजगार के अधिकार से वंचित हो जाएगा। न्यायसंगत अपवादों के अधीन रोजगार के लिए विचार किए जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा मान्यता प्राप्त है।

संविधान। रोजगार का अधिकार स्वयं एक नहीं हो सकता है

मौलिक अधिकार लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 दोनों के संदर्भ में, प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से स्थित है

इसके लिए विचार किया जाने वाला मौलिक अधिकार।

****

****

56. युवा पुरुष जो होटल में डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं

प्रबंधन 22 वर्ष या 23 वर्ष की आयु में सेवा में प्रवेश करता है। इस प्रकार, यह 25 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के रोजगार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। वर्षों से। एक नागरिक के रोजगार के लिए विचार किए जाने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतिबंध, जो आजीविका के अधिकार का एक पहलू है, न्यायिक जांच में नहीं टिकता है।

34 (2008) 3 एससीसी 1.

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

29. लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा और अन्य मामलों में इस अदालत के फैसले में। वी. संघ का

भारत, 35 का एक संदर्भ अमेरिकी क़ानून-रोजगार अधिनियम, 1967 में आयु भेदभाव और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के लिए किया गया था।

स्मिथ बनाम। जैक्सन 3 का शहर जो उम्र के आधार पर भेदभाव से निपटता था। उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान रोजगार के मामलों में आयु भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। 37 हाल ही में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बाब बनाम। विल्के 3 8 ने निम्नलिखित शब्दों में बताया कि आयु भेदभाव का क्या अर्थ है:

" 1978 का सिविल सेवा सुधार अधिनियम, जो संघीय व्यवस्था को नियंत्रित करता है

रोजगार, मोटे तौर पर शामिल करने के लिए एक "कार्मिक कार्रवाई" को परिभाषित करता है

अधिकांश रोजगार संबंधी निर्णय, जैसे नियुक्ति,

पदोन्नति, कार्य समनुदेशन, क्षतिपूर्ति और निष्पादन

समीक्षाएँ। 5 यू. एस. सी. §2302 (ए) (2) (ए) देखें। यह व्याख्या है

सामान्य उपयोग में शब्द के अर्थ के अनुरूप, और हम मान लीजिए कि ए. डी. ई. ए. के तहत इसका वही अर्थ है। के तहत

§633 ए (ए), कार्मिक कार्रवाई "से मुक्त" की जानी चाहिए।

भेदभाव। वाक्यांश "मुक्त" का अर्थ है "[सी] का ज्ञान (कुछ जो आपत्तिजनक माना जाता है)।" वेबस्टर्स

तीसरा नया अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश 905 (डेफ. 4 (क) (2)) (1976);

4 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 521 (डेफ. 12) (1933); यह भी देखें

अमेरिकी विरासत शब्दकोश 524 (डेफ. 5 (ए)) (1969) (परिभाषित करना

" "मुक्त" "के साथ" "के रूप में" "[एन] ओ. टी. द्वारा प्रभावित या प्रतिबंधित

दी गई शर्त या परिस्थिति "); यादृच्छिक घर शब्दकोश

35 2021 एससीसीऑनलाइन एससी 261।

36 544 यूएस 228 (2005)। 37 रोजगार में आयु भेदभाव अधिनियम, 1967, धारा 623 (धारा 4) के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

" (क) नियोक्ता व्यवहार

किसी नियोक्ता के लिए यह गैरकानूनी होगा कि वह (1) किसी व्यक्ति की आयु के कारण उसके मुआवजे, नियमों, शर्तों या रोजगार के विशेषाधिकारों के संबंध में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने या छुट्टी देने में विफल रहता है या उससे इनकार करता है या अन्यथा उसके साथ भेदभाव करता है।

(2) अपने कर्मचारियों को किसी भी तरह से सीमित करना, अलग करना या वर्गीकृत करना जो किसी भी व्यक्ति को रोजगार के अवसरों से वंचित या वंचित करेगा या अन्यथा

ऐसे व्यक्ति की उम्र के कारण एक कर्मचारी के रूप में उसकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; या (3) इसका पालन करने के लिए किसी भी कर्मचारी की मजदूरी दर को कम करना।

अध्याय।

(ख) एक रोजगार एजेंसी के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव करने में विफल होना या नौकरी के लिए संदर्भित करने से इनकार करना गैरकानूनी होगा।

व्यक्ति की आयु, या ऐसे व्यक्ति की आयु के आधार पर किसी व्यक्ति को वर्गीकृत करना या रोजगार के लिए संदर्भित करना।

} }

(2020)

38 नं. 18-882,589 यू. एस.

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंग्रेजी भाषा 565 (डेफ। 12) (1966) ("मुक्त" को "किसी ऐसी चीज़ से छूट या मुक्ति के रूप में परिभाषित करना जो नियंत्रण, संयम, बोझ, आदि को निर्दिष्ट करती है।") इस प्रकार, धारा 633 ए (ए) के तहत, एक कार्मिक कार्रवाई को भेदभाव के आधार पर "बेदाग" बनाया जाना चाहिए -

आयु, और "कोई भी" ("उम्र के आधार पर किसी भी भेदभाव से मुक्त") शब्द का जुड़ना बिंदु को घर ले जाता है। और जहां तक "भेदभाव" की बात है, हम मानते हैं कि यह अपनी "सामान्य परिभाषा" रखता है, जो "विभेदक उपचार" है। जैक्सन वी। बर्मिंघम बी. डी. एड का। , 544 अमेरिका. 167,174 (2005)। धारा 633 ए (ए) के तहत निषिद्ध भेदभाव का प्रकार है -

" उम्र के आधार पर भेदभाव ", और" आम चर्चा में, वाक्यांश 'आधारित' एक लेकिन-कारण संबंध को इंगित करता है। सेफको इन्स। को. ऑफ अमेरिका बनाम। बर, 551 यू. एस. 47,63 (2007); सी. एफ. कॉमकास्ट कार्पोरेशन। वी. राष्ट्रीय संगठन। अफ्रीकी अमेरिकी

मीडिया के मालिक, पहले, 6 पर। इसलिए, धारा 633 ए (ए) के तहत यह आवश्यक है कि आयु कथित भेदभाव के कारण के लिए एक लेकिन हो। क्या?

अवशेष वाक्यांश "बनाया जाएगा" है। " [एस] हॉल बनाया जाए "क्रिया का एक रूप है" बनाना ", जिसका अर्थ है" अंदर लाना "।

अस्तित्व, "उत्पादन करना", "प्रस्तुत करना", और "होने या बनने का कारण बनना"। रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज

866 पर। इस प्रकार, "बनाया जाएगा" का अर्थ है "उत्पादित किया जाएगा", आदि। और अनिवार्य मनोदशा, एक कर्तव्य को दर्शाते हुए, ब्लैक लॉ डिक्शनरी 1233 (5 वां संस्करण) देखें। 1979), दाग से बचने के महत्व पर जोर देता है। § 633a (a) में उपयोग किए गए व्यक्तिगत शब्दों के लिए इतना। वर्तमान उद्देश्यों के लिए वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि ये शब्द एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। वाक्यविन्यास के दो मामले महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, "उम्र पर आधारित" एक विशेषण वाक्यांश है जो संज्ञा "भेदभाव" को संशोधित करता है। यह. "कार्मिक क्रिया" को संशोधित नहीं करता है। क़ानून में यह नहीं कहा गया है कि "आयु के आधार पर कार्मिक कार्रवाई करना गैरकानूनी है"; यह कहता है कि "कार्मिक कार्रवाई"। . . आयु के आधार पर किसी भी भेदभाव से मुक्त किया जाएगा।" §633 ए (ए)। नतीजतन, उम्र भेदभाव के कारण के लिए एक लेकिन होना चाहिए, जो कि अंतर उपचार का है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति की कार्रवाई के कारण के लिए ही हो। दूसरा, "किसी भी भेदभाव से मुक्त" एक क्रियाविशेषण वाक्यांश है जो "बनाई गई" क्रिया को संशोधित करता है। आइबीआइडी। इस प्रकार, "किसी भी भेदभाव से मुक्त" वर्णन करता है कि कैसे एक कार्मिक कार्रवाई "की जानी चाहिए", अर्थात्, इस तरह से जो उम्र के आधार पर अंतर उपचार द्वारा दूषित नहीं है।

यदि ओ. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन V. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

आयु भेदभाव निर्णय लेने के तरीके में कोई भी भूमिका निभाता है।

किया जाता है, फिर निर्णय इस तरह से नहीं किया जाता है जो बेदाग है

इस बात के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि एक रोजगार निर्णय होगा अगर उम्र को ध्यान में नहीं रखा गया होता तो यह अलग होता।

(जोर दिया गया)

30. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में आयुक्त के रूप में बताया,

डी. वी. शशि 3 9 ने सार्वजनिक नियोक्ता को अनुमति देने वाले नियम को अमान्य कर दिया

ई. ई. एन. उम्मीदवार अपनी उम्र के आधार पर, इस बात पर जोर देते हुए कि:

" संवैधानिक रूप से अनुमत आरक्षण के अधीन, प्रत्येक

राज्य द्वारा नियोजित करने या संलग्न करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सबसे योग्य या सबसे मेधावी व्यक्ति। करने में।

इसलिए, राज्य इस आधार पर चयन मानदंड तय कर सकता है -

शैक्षिक योग्यता या अनुभव या प्राप्त अंक

किसी परीक्षा या साक्षात्कार या किसी अन्य मानदंड में जो

सबसे सक्षम व्यक्ति का चयन करने में सक्षम बनाता है।

दुर्भाग्य से, उम्र का योग्यता या योग्यता से कोई लेना-देना नहीं है।

योग्यता। बुद्धि उम्र की विशेषता हो सकती है, लेकिन योग्यता नहीं।

या योग्यता।

13. सुझाव देने के लिए सामग्री का एक अंश भी नहीं है, न ही वास्तव में

क्या विद्वान वकील द्वारा कुछ बताया गया है

याचिकाकर्ता, कि केवल इसलिए कि एक आवेदक के अंतर्गत आता है

28 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के वे शिक्षक के रूप में बेहतर योग्यता रखते हैं।

18 से 27 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले व्यक्ति से। यह है।

याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि आयु वर्ग के व्यक्ति

28 30 वर्ष तक या तो बेहतर शैक्षिक योग्यता रखते हैं या

अधिक अनुभव है या किसी भी तरह से अधिक मेधावी हैं

या आयु वर्ग के भीतर आने वाले आवेदकों से अधिक सक्षम

18 से 27 वर्ष की आयु केवल उनकी आयु के कारण। हमें ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने सचमुच 28 वर्ष के आयु वर्ग को चुना है

30 बिना किसी संदर्भ के टोपी से बाहर (जैसा कि था)

कोई भी तार्किक या अनुभवजन्य आधार "

31. वर्तमान मामले में, इसलिए, न्यूनतम योग्यता

च नियुक्ति के लिए 50 वर्ष आवश्यक है, भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह

जिस वस्तु की मांग की गई है, उसके साथ एक तर्कसंगत संबंध दिखाया गया है

प्राप्त किया, अर्थात सबसे मेधावी उम्मीदवारों की नियुक्ति; न ही यह किसी अनुभवजन्य अध्ययन या आंकड़ों पर आधारित दिखाया गया है कि ऐसे पुराने उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करते हैं, या कि अधिक प्रासंगिक अनुभव वाले युवा उम्मीदवार न्यायाधिकरणों के सदस्यों की तरह अच्छे नहीं होंगे। यह स्पष्ट और सरल है, उम्र के आधार पर भेदभाव। मानदंड (न्यूनतम 50 वर्ष की आयु का)

लगभग "एक टोपी से चुना गया" 4 0 और पूरी तरह से मनमाना है।

32. जैसा कि पहले कहा गया है, जिन न्यायाधिकरणों का पुनर्गठन किया गया था

वित्त अधिनियम, 2017 और अब, विवादित अध्यादेश के माध्यम से, विवादों के निर्णय के दौरान राज्य के न्यायिक कार्यों का प्रयोग करता है, कानून की व्याख्या करता है और उसे लागू करता है। जैसा कि इस अदालत ने पिछले संविधान पीठ के फैसलों में बार-बार जोर दिया था, सदस्यों (ऐसे न्यायाधिकरणों के) की नियुक्ति, उनकी सेवा की शर्तें, चयन का तरीका, पारिश्रमिक और कार्यकाल की सुरक्षा उनकी दक्षता और स्वतंत्र कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह इस पृष्ठभूमि में है कि सिविल सेवाओं के सदस्यों के साथ "समानता" या "समानता" के बारे में संघ का विवाद

आयु मानदंड के औचित्य के रूप में संघ या संघ के तहत सिविल पदों के धारकों की जांच की जानी चाहिए।

33. यह न्यायालय अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में है। (II) v. भारत संघ 1 1,

मान लिया किः

" 9. समीक्षा याचिकाकर्ताओं के तर्क के लिए इतना कि

इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों से मांग को बढ़ावा मिलेगा

समान सेवा के लिए अन्य सेवाओं के सदस्यों से

शर्तें। यह सही समय है कि सभी संबंधित लोग इसकी सराहना करें कि

ऊपर बताए गए कारणों से कोई लिंक नहीं हो सकता है।

न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के बीच अन्य सेवाओं के सदस्य। यह सच है कि अनुच्छेद के तहत

309 संविधान की भर्ती और शर्तें

अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों की सेवा होनी चाहिए

उपयुक्त विधायिका के अधिनियमों द्वारा विनियमित और

ऐसे विधान के लंबित रहने तक, राष्ट्रपति और राज्यपाल या

उनके नामितों को, जैसा भी मामला हो, उनकी भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने का अधिकार है।

यह भी सच है कि राज्यों की परिषद के बाद

अनुच्छेद 312 के तहत आवश्यक घोषणा, यह संसद है जो एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने के लिए सशक्त है

40 40 डी. आर. निम बनाम भारत संघ 1967 (2) एस. सी. आर. 325 में एक कट-ऑफ तिथि को मनमाना घोषित करते हुए एक समान संदर्भ में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति। 441 (1993) 4 एस. सी. सी. 288।

ओ. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन V. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

जिसमें अनुच्छेद 236 के तहत परिभाषित जिला न्यायाधीश के पद से कम पद शामिल नहीं होंगे। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायपालिका के सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करते समय, उनके और अन्य सेवाओं के सदस्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए या सभी सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें समान होनी चाहिए। जैसा कि है, अन्य सेवाओं के बीच भी, उनकी सेवा शर्तों के मामले में एक अंतर खींचा जाता है। इस न्यायालय ने समीक्षाधीन निर्णय में बताया है कि न्यायपालिका की सेवा शर्तों के बीच संबंध

और प्रशासनिक कार्यपालिका एक ऐतिहासिक दुर्घटना थी। पूर्ववर्ती शासकों ने केवल एक सेवा का गठन किया,

अर्थात्। , न्यायिक के साथ-साथ प्रशासनिक सेवा के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भारतीय सिविल सेवा और इस तरह की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों में से कुछ को प्रशासनिक पक्ष में जबकि अन्य को न्यायिक पक्ष में भेजा गया था। शुरू में न्यायिक और कार्यपालिका के बीच कोई स्पष्ट सीमांकन भी नहीं था।

सेवाएँ और वही अधिकारी न्यायिक और कार्यकारी कार्य करते थे। चूंकि तत्कालीन सरकार भर्ती के चरण से ही दोनों सेवाओं के बीच अंतर करने में विफल रही थी, इसलिए सेवा शर्तों के संदर्भ में इसके तार्किक परिणामों से बचा नहीं जा सका। के साथ

जुड़ाव की निरंतरता कालातीत हो गई है और संवैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत है। जैसा कि बताया गया है। पहले, स्थिति में समानता अब न्यायपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका के बीच नहीं बल्कि न्यायपालिका के बीच होती थी

और राजनीतिक कार्यकारी। संविधान के तहत न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यपालिका से ऊपर है और इसे प्रशासनिक कार्यपालिका के बराबर रखने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इस सरल सत्य को समझने में विफलता इस तर्क के लिए जिम्मेदार है कि सेवा की शर्तें

न्यायपालिका की तुलना की जानी चाहिए प्रशासनिक कार्यपालक और पूर्व की सेवा शर्तों में किसी भी सुधार से अनिवार्य रूप से

सेवा शर्तों में तुलनात्मक सुधार

बाद

वाला। "[2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक रैखिक या कठोर तरीके से तुलना करें। कि संघ की नियमों और विनियमों की योजना के अनुसार, इसकी सेवाओं के सदस्य एक प्राप्त कर सकते हैं मान लीजिए, 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कुछ पद निर्धारक नहीं हो सकते हैं। किसी भी मामले में, समतुल्यता का तर्क प्रासंगिक नहीं है। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ II (ऊपर) में इस अदालत के फैसले में इस बिंदु को भी सामने लाया गया था:

" प्रशासनिक अधिकारी के विपरीत, न्यायिक अधिकारी है

घर पर लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर होना। जब वह कोई निर्णय सुरक्षित रखता है तो उसे आमतौर पर अपने आवास पर उसे तैयार करना होता है। उस उद्देश्य के लिए, उसे अभिलेखों के साथ-साथ विरोधियों के वकील द्वारा उद्धृत न्यायिक उदाहरणों को भी पढ़ना होगा। यहां तक कि

अन्यथा कानूनी स्थिति के बारे में खुद को अद्यतित रखने के लिए उसे अपने स्वयं के उच्च न्यायालय, अन्य उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को पढ़ना होगा। उन्हें कानूनी पत्रिकाएँ भी पढ़नी पड़ती हैं।

35. सिविल सेवकों और न्यायाधिकरणों के सदस्यों के बीच अंतर के अन्य बिंदु भी हैं। न्यायाधिकरणों के सदस्य इनमें से नहीं लिए जाते हैं

कोई सिविल सेवा; वे सिविल पदों के धारक नहीं हैं। सिविल सेवक, विशेष रूप से संघ द्वारा भर्ती की गई अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, जिनमें से कुछ को विभिन्न राज्यों में तैनात किया जाता है, परिपत्रों और आदेशों में सन्निहित नियमों और अन्य सेवा शर्तों द्वारा शासित होते हैं। ये उनके रोजगार के पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं: पात्रता शर्तों, भर्ती और चयन के नियमों, वेतन और भत्तों, वरिष्ठता, पदोन्नति, अनुशासन और कदाचार, पेंशन, अंतिम लाभ आदि से संबंधित अन्य मामलों से शुरू करें। दूसरी ओर, ऐसे नियम या इसी तरह के नियम उन न्यायाधिकरणों के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं जो लोक सेवा से नहीं लिए गए हैं। यह केवल समानता की शर्तें हैं जैसे कि वेतनमान जिसके बारे में उन्हें नियमों के तहत आश्वासन दिया जाता है, जो उनकी स्थिति को भी निर्धारित करते हैं।

जिस तरह से मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

चयन, पात्रता की शर्तें, साबित होने पर उन्हें हटाने के लिए नियम दुर्व्यवहार आदि लोक सेवकों से पूरी तरह से अलग हैं। वास्तव में, बाद की श्रेणी, यानी लोक सेवा स्रोतों से नहीं लिए गए न्यायाधिकरणों के सदस्य, सिविल पदों के धारक या सिविल सेवा के सदस्य भी नहीं हैं।

कोई भी एनकैडर्ड सिविल सेवा। इस अदालत के कम से कम दो फैसलों में यह स्पष्ट किया गया है। 42 वे संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा शासित नहीं हैं और न ही उनकी सेवा की शर्तें नियमों में निर्धारित की गई हैं।

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत। ऐसी स्थिति होने के कारण, न्यायालय की राय में समानता का तर्क पूरी तरह से शून्य है।

योग्यता। न ही महान्यायवादी का यह तर्क कि एक समान आयु आवश्यक है, योग्य है। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि सदस्यों की भर्ती की गई है

तकनीकी पक्ष में, जैसे कि इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक या अन्य तकनीकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ 50 वर्ष की आयु पार करने के बाद ही उपयुक्त होंगे। वास्तव में, कोई भी डॉक्टरेट थीसिस पूरा कर सकता है और पीएचडी धारक बन सकता है।

उस समय जब वह 30 वर्ष या उससे भी कम आयु का हो। प्रोफेसर बनने के लिए, किसी के पास 10 साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए; कोई न्यूनतम नहीं है

यू. जी. सी. द्वारा बनाए गए प्रासंगिक नियमों के तहत आयु। गैर-शिक्षण कर्मियों को भी उनके शोध के आधार पर प्रोफेसर नामित किया जा सकता है। 42 महाराष्ट्र राज्य बनाम लेबर लॉ प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन 1998 (2) एस. सी. सी. 688 "संविधान के अनुच्छेद 236 के तहत न्यायिक सेवा का गठन करने के लिए निर्धारित इन परीक्षणों को देखते हुए, श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों और औद्योगिक न्यायालय के न्यायाधीशों को न्यायिक सेवा से संबंधित माना जा सकता है।

})

एस. डी. जोशी बनाम बॉम्बे उच्च न्यायालय, (2011) 1 एस. सी. सी. 252 हरिनगर शुगर मिल्स बनाम श्याम सुंदर झुनजुनवाला 1962 (3) एस. सी. आर. 339 में पिछला निर्णय था

उद्धृत किया गया:

" मोटे तौर पर, कुछ विशेष मामले न्यायाधिकरणों के समक्ष जाते हैं, और शेष नागरिक न्यायपालिका के सामान्य न्यायालयों के समक्ष जाते हैं। उनकी प्रक्रियाएँ भिन्न हो सकती हैं, लेकिन

कार्य अनिवार्य रूप से अलग नहीं हैं। भारत संघ बनाम के. बी. खरे 1994 (3) एस. सी. सी. 502 में, इस अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य सरकार थे।

अधिकारी, इसके नियमों के अधीन:

" इसके विपरीत, एक स्वतंत्र न्यायिक सेवा, कैट में नियुक्ति

कार्यकाल के आधार पर है। इस तरह के पद से संबंधित पेंशन स्पष्ट रूप से ऊपर उद्धृत नियमों के नियम 8 द्वारा नियंत्रित होती है और पुनरावृत्ति के जोखिम पर, हम इसे प्रकृति में संपूर्ण बता सकते हैं। 43 43 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यू. जी. सी. विनियम और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय, 20104.0। 0 प्रत्यक्ष पुनर्प्राप्ति

" 4.1. 0 प्रोफेसर ए. (i) संबंधित/संबद्ध/प्रासंगिक विषय में पीएचडी योग्यता और उच्च गुणवत्ता के प्रकाशित कार्य के साथ एक प्रतिष्ठित विद्वान, जो कम से कम 10 प्रकाशनों के साथ प्रकाशित कार्य के साक्षय के साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

किताबें और/या शोध/नीति पत्र। (ii) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षण का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव, और/या विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/उद्योगों में अनुसंधान का अनुभव, जिसमें डॉक्टरेट [2021] 5 एस. सी. आर. में अनुसंधान के लिए उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करने का अनुभव शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आज की तारीख में, कुछ राज्य और राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में ऐसे कुलाधिपति हैं जिन्होंने नियुक्ति के समय 45 वर्ष पूरे नहीं किए थे। ऐसी स्थिति होने के नाते, 10 या 12 वर्षों की आगे की अवधि के लिए शैक्षणिक, तकनीकी या वैज्ञानिक क्षेत्र में अनुभव या यहां तक कि

15 वर्ष विवादित मानदंड की न्यूनतम सीमा यानी 50 वर्ष की आयु तक नहीं जुड़ेंगे। विशुद्ध रूप से अनुभवजन्य आंकड़ों के रूप में, आई. टी. ए. टी. में 126 सदस्यों की स्वीकृत संख्या है, (जिसमें लेखाकार भी शामिल हैं)।

सदस्य, तकनीकी सदस्य-जो 3 साल के लिए अपील आयुक्त का पद धारण करने वाली भारतीय राजस्व सेवा से लिए गए हैं, और अधिवक्ता)। 66 सदस्य वर्तमान में कार्यालय में हैं, वर्ष 1999.44 से नियुक्त किए गए, इनमें से 10 सदस्य अपनी नियुक्ति के समय 40 वर्ष से कम आयु के थे; 20 सदस्य 40-45 की आयु के बीच थे, और 15 सदस्य 46-50 की आयु के बीच थे-उनके कार्यकाल के समय।

संबंधित नियुक्तियाँ। कुल मिलाकर, 66 में से 44 सदस्य थे

कर्मचारी भी तर्कहीन हैं। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, संघ का तर्क है कि 50 वर्ष आवश्यक हैं क्योंकि यह दोनों के बीच समानता लाता है। सिविल सेवाओं के सदस्य जो न्यायाधिकरणों के लिए अपनी धारा में विचार किए जाने के पात्र हैं या कि समग्र एकरूपता है, योग्यता के बिना हैं और तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं।

स्तर। (iii) शैक्षिक नवाचार, नए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों की रूपरेखा और प्रौद्योगिकी-मध्यस्थ शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में योगदान। 6 (iv) शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) आधारित प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) में निर्धारित न्यूनतम अंक, जो परिशिष्ट III में इस विनियमन में निर्धारित किए गए हैं। या बी. एक उत्कृष्ट पेशेवर, संबंधित क्षेत्र में स्थापित प्रतिष्ठा के साथ, जिसने संबंधित/संबद्ध/प्रासंगिक विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे साख द्वारा प्रमाणित किया जाना है।

HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूजीसी। एसी। इन/ओल्ड पी. डी. एफ./रेगुलेशन्स/रिवाइज्ड _ फाइनलगक्रेगुलेशन फाइनल 10। 25 जून, 2021 को देखी गई पी. डी. एफ. @16: 18 घंटे।

44 HTTPS: //इटात। गव. इन/पेज/सामग्री/सदस्य (अंतिम बार 21.06.2021 पर पहुँचा गया)।

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

36. एक और, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा। मद्रास बार एसोसिएशन बनाम

भारत संघ 45 (एम. बी. ए.-III) इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देशों में विचार से अधिवक्ताओं के बहिष्कार को गैरकानूनी ठहराया:

" 53. उपरोक्त चर्चा का परिणाम इस न्यायालय को इस ओर ले जाता है

निम्नलिखित निर्देश जारी करें:

***

**

(vi) अधिवक्ता बनाने के लिए 2020 के नियमों में संशोधन किया जाएगा।

के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र कम से कम 10 वर्षों का अनुभव

न्यायाधिकरणों में न्यायिक सदस्य। विचार करते हुए

न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता

न्यायाधिकरण, खोज-सह-चयन समिति इस पर विचार करेगी

बार में अधिवक्ता के अनुभव और उनके बारे में जानकारी दें

कानून की संबंधित शाखाओं में विशेषज्ञता। वे होंगे।

कम से कम एक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का हकदार

न्यायाधिकरणों के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को वरीयता।

(vii) भारतीय विधि सेवा के सदस्य पात्र होंगे।

न्यायाधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए, प्रदान किया गया

कि वे अधिवक्ताओं के लिए लागू मानदंडों को पूरा करते हैं खोज सह चयन द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली उपयुक्तता

अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर समिति

कानून की विशेष शाखा "।

37. भारत संघ ने प्रभाव देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था

उपरोक्त दिशाएँ। एम. बी. ए.-III में कानून की घोषणा निर्णय के पहले भाग में दर्ज की गई है कि सभी न्यायाधिकरणों में अधिवक्ता विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र हैं। ऐसे योग्य अधिवक्ताओं को विचार से बाहर रखने के लिए अब यह खुला नहीं है। द.

निम्नलिखित प्रभाव की दिशा बाध्यकारी है और अंतिम हो गई है। इसे किसी भी तरह से विवादित अध्यादेश द्वारा बाधित नहीं किया गया है:

" 19 न्यायाधिकरणों में से 10 में अधिवक्ताओं का बहिष्कार

इसलिए न्यायिक सदस्यों के रूप में विचार करना इसके विपरीत है। भारत संघ बनाम। मद्रास बार एसोसिएशन (2010) 1 9 और

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (2015) 2 0। हालांकि,

इसे लेने के लिए खोज-सह-चयन समिति के लिए खुला छोड़ दिया गया है

बार में अधिवक्ताओं के अनुभव को ध्यान में रखते हुए और

संबंधित शाखा में अधिवक्ताओं की विशेषज्ञता

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक के रूप में नियुक्ति के लिए उन पर विचार करते हुए कानून

सदस्यों "।

सुनवाई पूरी होने के बाद उपरोक्त अंकों पर एम. बी. ए.-III में दिए गए निर्देशों को स्वीकार कर लिया गया और अब अधिवक्ता बनाए गए हैं।

पात्र, 15 न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिए, 10 साल का नामांकन पूरा करने के बाद, और प्रासंगिक अनुभव या अभ्यास के संबंधित क्षेत्र में।

यह जारी किया जाता है कि सभी उम्मीदवार, अन्यथा योग्यता और संबंधित क्षेत्र में अनुभव के आधार पर अपनी योग्यता के आधार पर पात्र हैं, विवादित "न्यूनतम" आयु (50 वर्ष की) मानदंड के संदर्भ के बिना माना जाता है।

39. मैं धारा 184 (11) को दी गई पूर्वव्यापीता को बनाए रखते हुए भी, विधायी ओवरराइड की अनिवार्यता के बारे में एल. नागेश्वर राव, जे. के तर्क और निष्कर्षों से सहमत हूं। इन विस्तृत कारणों के अलावा कि इस मामले की परिस्थितियों में इस तरह के विधायी ओवरराइड की अनुमति क्यों नहीं है, मैं गुजरात राज्य बनाम संविधान पीठ के फैसले पर भी भरोसा करूंगा। रमन लाल केशव लाल सोनी "। इस न्यायालय ने रमन लाल मामले में गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 के एक प्रावधान के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के मुद्दे पर विचार किया। द.

पंचायत संस्थानों के उन कर्मचारियों को दो वेतन आयोगों के लाभों से वंचित करने से संबंधित तथ्य जो पहले कार्यरत थे

नगर पालिकाओं द्वारा। विधायी प्रावधान (धारा 102 (1)) को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था, जिसमें अदालतों के फैसलों के बावजूद इन कर्मचारियों को ग्राम/नगर पंचायतों के सेवकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया, जो उन्हें संशोधित वेतनमान का हकदार बनाता। अदालत ने कहा:

" 53. (.....) विधायिका निस्संदेह किसी भी निहित स्वार्थ को दूर करने या प्रभावित करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानून बनाने में सक्षम है।

मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित अधिकार लेकिन चूंकि कानून एक लिखित संविधान के तहत बनाए गए हैं, और उन्हें क्या करना है के अनुरूप होना चाहिए

और संविधान के क्या नहीं न तो संभावित और न ही

पूर्वव्यापी कानून बनाए जा सकते हैं ताकि इसका उल्लंघन किया जा सके मौलिक अधिकार। कानून को आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए

आज का संविधान उपार्जित या उपार्जित को ध्यान में रखते हुए

46 (1983) 2 एससीसी 33.

ओ. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन V. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

आज पक्षों के अधिकार अर्जित किए गए। कानून यह नहीं कह सकता कि बीस साल पहले पक्षों को कोई अधिकार नहीं थे, इसलिए, संविधान की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा यदि कानून बीस साल पुराना है। हम आज के अधिकारों से चिंतित हैं, कल के अधिकारों से नहीं। बीस साल पहले की स्थिति के संदर्भ में आज कोई विधायिका कानून नहीं बना सकती है।

और बीस वर्षों के दौरान अर्जित घटनाओं और संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा करें। यह सबसे मनमाना, अनुचित और इतिहास का खंडन होगा। यह था।

बी. एस. यादव में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा इंगित किया गया

और ओआरएस। आदि वी। हरियाणा राज्य और अन्य। आदि [1981] 1 एस. सी. आर. 1024, सी. जे. चंद्रचूड़। , अदालत की ओर से बोलते हुए,

" चूँकि राज्यपाल विधायी शक्ति का प्रयोग करता है

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों को पूर्वव्यापी संचालन देने के लिए वह स्वतंत्र है। वह प्रावधान। लेकिन जिस तारीख से नियमों को संचालित करने के लिए बनाया गया है, उसे या तो नियमों के सामने से या बाहरी साक्षय द्वारा, नियमों में निहित प्रावधानों के साथ उचित संबंध दिखाया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब पूर्वव्यापी प्रभाव लंबी अवधि तक फैला हुआ हो जैसा कि इस मामले में है।

आज के समकक्षों को यह कहकर असमान नहीं बनाया जा सकता है कि वे बीस साल पहले असमान थे और हम आज एक कानून बनाकर और इसे पूर्वव्यापी बनाकर उस स्थिति को बहाल करेंगे।

संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक दायित्व और

संवैधानिक परिणामों को इस तरह से कम नहीं किया जा सकता है। एक कानून जो यदि आज बनाया जाता है तो संविधान के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के रूप में स्पष्ट रूप से अमान्य होगा। मौजूदा स्थिति को पूर्वव्यापी बनाकर मान्य नहीं किया जा सकता है। अतीत के गुण (संवैधानिक) को नहीं बनाया जा सकता है

पूर्वव्यापी कानून बनाकर वर्तमान बुराई (संवैधानिक) का सफाया करना। इसलिए हमारा दृढ़ मत है कि गुजरात पंचायत (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1978 असंवैधानिक है, क्योंकि यह अनुच्छेद 311 और 14 का उल्लंघन करता है और मनमाना और मनमाना है।

अनुचित "।

40. वर्तमान मामले में विवादित प्रावधान इस प्रकार है:

" (11) किसी भी न्यायालय या उस समय लागू किसी कानून के किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री में कुछ भी निहित होने के बावजूद, [2021] 5 एस. सी. आर.

(i) किसी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष चार वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा। जो भी पहले हो;

((ख) न्यायाधिकरण का सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए या साठ-सात वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा।

बशर्ते कि जहाँ एक अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाता है 26 मई, 2017 और अधिसूचित तिथि और उसके पद की अवधि या केंद्र सरकार द्वारा जारी नियुक्ति के आदेश में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की आयु इस धारा में निर्दिष्ट आयु से अधिक है, तो, इस धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अध्यक्ष या सदस्य की पद की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु या दोनों, जैसा भी मामला हो, उसके नियुक्ति के आदेश में निर्दिष्ट किए गए अनुसार अधिकतम पांच पद की अवधि के अधीन होंगे।

वर्षों से।

41. इस न्यायालय के अंतरिम निर्देश, जो रोजर मैथ्यू (उपरोक्त) में समाप्त हुए और शामिल किए गए, के परिणामस्वरूप विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति हुई, जिनका कार्यकाल अब अपेक्षित है।

धारा 184 (11) के परंतुक द्वारा बाधित, जिसे पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पेश किया गया है। मैं न्यायमूर्ति राव से सहमत हूं कि हालांकि इस प्रावधान के लिए दी गई पूर्वव्यापीता को दोष नहीं दिया जा सकता है, फिर भी, उक्त परंतुक, जिस हद तक यह अंतरिम आदेशों के तहत नियुक्त सदस्यों के कार्यकाल में हस्तक्षेप और कटौती करना चाहता है, जो पूर्व-संशोधित कानून और नियमों के अनुसार अपने कार्यकाल का आनंद लेने के हकदार हैं, मनमाना और शून्य है। जैसा कि रमन लाल (ऊपर) में कहा गया है, "(टी) आज के बराबर को यह कहकर असमान नहीं बनाया जा सकता है कि वे असमान बीस थे।

वर्षों पहले और हम आज एक कानून बनाकर और इसे पूर्वव्यापी बनाकर उस स्थिति को बहाल करेंगे। कुछ हद तक याद दिलाने वाले तरीके से

इस मामले के तथ्यों के अनुसार, एक अंतरिम आदेश, जिसमें नियोक्ता, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को तत्कालीन निदेशक के कार्यकाल को कम करने का आदेश दिया गया था, को संसद द्वारा विधायी रूप से निरस्त करने की मांग की गई थी। पी. वेणुगोपाल बनाम. भारत संघ, इस अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम को गैरकानूनी माना जाता है, और अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति के लिए कार्यकाल में कटौती मनमाना थी और कोई उचित मानदंड पर आधारित नहीं थी:

47 (2008) 5 एस. सी. सी. 1 ओ. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" 36. उपरोक्त चर्चा से, कानून का सिद्धांत

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि पांच साल की अवधि में कटौती केवल उचित कारणों और समय से पहले समाप्ति के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के लिए की जा सकती है।

एम्स के निदेशक का कार्यकाल रिट याचिकाकर्ता के मामले में भी लागू होता है और यह एम्स के किसी भी भावी निदेशक पर भी लागू होगा। इस प्रकार कभी नहीं था

एक ओर रिट याचिकाकर्ता और दूसरी ओर एम्स के किसी भी भावी निदेशक के बीच किसी भी कृत्रिम और अस्वीकार्य वर्गीकरण के लिए अनुमति, जब यह समय से पहले की स्थिति से संबंधित हो।

निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति। एक व्यक्ति कानून के माध्यम से इस तरह का अस्वीकार्य अति वर्गीकरण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है जो हमारे लोकतांत्रिक में "नग्न भेदभाव" का एक स्पष्ट मामला है।

कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाज और

शुरू से ही अमान्य और असंवैधानिक के रूप में आक्षेपित प्रावधान।

37. ऐसी हमारी चर्चा और निष्कर्ष होने पर,

इसलिए, धारा 11 (1-ए) के परंतुक की संवैधानिकता, हमें बिना किसी हिचकिचाहट के इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

ध्यान दें, कि तत्काल मामला चौकोर रूप से कवर किया गया है

डी. एस. सहित ऊपर उल्लिखित विभिन्न घोषणाओं में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत।

रेड्डी, कुलपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय बनाम। कुलाधिपति [डी. एस. रेड्डी, कुलपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय बनाम। कुलाधिपति, आकाशवाणी 1967 एससी 1305: (1967) 2 एस. सी. आर. 214]

**

**

39. यह आगे डी. एस. रेड्डी [डी. एस. रेड्डी, वाइस में आयोजित किया गया था।

कुलाधिपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय बनाम। कुलाधिपति, आकाशवाणी 1967 एससी

1305 : (1967) 2 एस. सी. आर. 214] कि इस तरह का वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित नहीं था और माना गया था

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तदनुसार, धारा 13-ए के प्रावधान को अधिकार से बाहर और असंवैधानिक माना गया और संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित किया गया।

रिट याचिकाकर्ता के कार्यकाल की समाप्ति। यह भी है यह स्वीकार किया कि इस तरह की समय से पहले समाप्ति उचित कारणों और नोटिस के सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना है।

इस प्रकार यह एक [2021] 5 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. एस. रेड्डी के समान मामला [डी. एस. रेड्डी, कुलपति,

उस्मानिया विश्वविद्यालय बनाम। कुलाधिपति, आकाशवाणी 1967 एससी 1305: (1967) 2 एस. सी. आर. 214] और ऊपर उद्धृत अन्य निर्णयों में कहा गया है कि विवादित कानून अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित है क्योंकि यह एक अनुचित स्थिति पैदा करता है।

रिट याचिकाकर्ता और भविष्य के बीच वर्गीकरण

निदेशक और रिट याचिकाकर्ता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से वंचित करता है, बिना किसी बोधगम्य अंतर के।

42. मेरी राय में, पी. वेणुगोपाल (ऊपर) की तरह कार्यकाल को घटाकर पांच साल कर दिया गया है, इन कुछ व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है।

न्यायाधिकरण, जो पहले से मौजूद अधिनियमों (62 वर्ष की आयु आदि) के संदर्भ में पद पर बने रहने के हकदार थे, मनमाना है। इस तथ्य के अलावा कि रोजर मैथ्यू और एम. बी. ए.-III में इस अदालत के निर्देशों की अंतिमता के बावजूद संघ उनके कार्यकाल को कम करना चाहता है, कोई कल्पनीय तर्क नहीं है। न ही इसके औचित्य के रूप में किसी भी प्रमुख जनहित का समर्थन किया गया है। इस अदालत की राय में, विधायी आदेश द्वारा न्यायिक पद का विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीधे प्रभावित करता है। यह नग्न भेदभाव के समान भी है, क्योंकि एक ही न्यायाधिकरण के अन्य सभी सदस्यों को उनकी नियुक्ति के समय प्रचलित सेवा की पूर्व-मौजूदा शर्तों के संदर्भ में लंबे कार्यकाल का आनंद मिलेगा।

43. एम. बी. ए. III (ऊपर) में, इस न्यायालय ने संघ को उस तारीख से तीन महीने के भीतर न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करने का निर्देश दिया जिस पर

48 इस वेबसाइट पर उपलब्ध: //आर्थिक समय। इंडियाटाइम्स। कॉम/समाचार/अर्थव्यवस्था/नीति/21250 से अधिक मामले-लंबित-पहले-एन. सी. एल. टी.-अंत-दिसंबर-2020/लेख/80754041. सी. एम. एस? से = mdr (अंतिम बार 20.06.2021 पर पहुँचा गया)। 49 एच. टी. एस. पर उपलब्ध: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. असंबद्ध। कॉम/टॉप-न्यूज-ऑफ-द-डे/न्यूज/प्ली-इन-एससी-एक्सटेंशन-ऑफ-कार्यकाल-ऑफ-एन. सी. एल. टी.-सदस्य /

(अंतिम बार 20.06.2021 पर पहुँचा गया)।

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

34 सदस्यों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले, न्यायाधिकरण की 11 पीठों के लिए वर्तमान में केवल 11 सदस्य कार्यालय में हैं-4 न्यायिक सदस्य और 6 प्रशासनिक सदस्य। आई. डी. 1 तक कुल 18,829 मामले लंबित थे

निपटान के लिए; सबसे अधिक 5553 मामलों के साथ दिल्ली में प्रधान पीठ के समक्ष लंबित था, इसके बाद 4512 मामलों के साथ चंडीगढ़ और 3154 मामलों के साथ जयपुर था। 50 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सी. ए. टी.) की 18 पीठों में, केवल 36 सदस्य कार्यालय में हैं, जबकि सी. ए. टी. में 48,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 28,000 मामले 1 से 5 वर्षों से लंबित हैं। 52 आई. डी. 1 तक, सी. ई. एस. टी. ए. टी. की विभिन्न पीठों के समक्ष 72,452 मामले लंबित थे। ए से बाहर

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आई. टी. ए. टी.) में कुल 26,18 पद भरे गए हैं और 9 पीठों में 8 रिक्तियां अभी भी खाली हैं, 12654 की स्वीकृत संख्या में से केवल 66 सदस्य पद पर हैं और कुल लगभग 88,000 अपीलें लंबित हैं। 24,000 लंबित हैं।

दिल्ली पीठ के समक्ष, उसके बाद मुंबई पीठ के समक्ष लगभग 16,000। 55 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन. सी. डी. आर. सी.) में स्थापना के बाद से (यानी 1987 से) 138105 मामले दायर किए गए हैं, जिनमें से 1 का निपटारा कर दिया गया है। 21,443 मामले लंबित हैं। राज्य आयोगों में, 124559 मामले अभी भी लंबित हैं, और 401184 जिला मंचों के समक्ष लंबित हैं। कुल 547186 मामले लंबित हैं। 56 ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) और एकमात्र ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डी. आर. ए. टी.) की 44 पीठों में से 11 पीठ रिक्त हैं। 57

50 इस वेबसाइट पर उपलब्धः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. ट्रिब्यूनइंडिया। com/समाचार/राष्ट्र/सशस्त्र बलों के 34 पदों में से 23-न्यायाधिकरण-खाली-19-000-मामले-लंबित-मॉड-बताता है-संसद-223283 (अंतिम बार 20.06.2021 पर पहुँचा गया)।

न्यायाधिकरण-दूर-से-प्राप्त-संसदीय-पैनल/378156/(अंतिम बार 20.06.2021 पर पहुँचा गया)। 53 इस वेबसाइट पर उपलब्धः //नया रखें। गव. इन/अपलोड/राइटरीडेटा/दिल्ली/डॉक्स/पेंडेंसी 022021। पी. डी. एफ. (अंतिम बार 20.06.2021 पर पहुँचा गया)।

54 देखें HTTPS: //इटात। गव. इन/पेज/सामग्री/सदस्य (अंतिम बार 21.06.2021 पर पहुँचा गया)। 55 इस वेबसाइट पर उपलब्धः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. व्यापार मानक। आय-कर-अपीलीय-न्यायाधिकरण-अध्यक्ष-120022601297 _ 1 से पहले लंबित याचिकाएँ। एच. टी. एम. एल. (अंतिम बार 21.06.2021 पर पहुँचा गया)। 56 एचटीटीपीः //एनसीडीआरसी। ठीक है। में/आँकड़े। एच. टी. एम. एल. (अंतिम बार 21.06.2021 पर पहुँचा गया)। 57 HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. व्यापार मानक। कॉम/लेख/अर्थव्यवस्था-नीति/बैंक-फ्लैग-विलंबित निर्णय लेने वाले मामले-

वसूली-न्यायाधिकरण-119032300883। एच. टी. एम. एल. (अंतिम बार 21.06.2021 पर पहुँचा गया)।

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अप्रैल 2020 तक, रेलवे दावा न्यायाधिकरण में 25,571 मामले लंबित थे। 58

44. विचाराधीनता की सरासर मात्रा न्यायाधिकरणों द्वारा किए जाने वाले पर्याप्त न्यायिक कार्यों का एक संकेतक है, जिसके लिए आवश्यक है कि उन्हें कुशल, अच्छी तरह से योग्य न्यायिक और तकनीकी सदस्यों द्वारा संचालित किया जाए। यह आवश्यक है कि संघ त्वरित और प्रभावी न्याय वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाए।

विवाद। किसी की ओर से यह मानना गलत होगा कि इस न्यायालय द्वारा प्रतिबंध संसदीय या अन्य कानूनों के साथ टकराव के बराबर है। कार्यकारी ज्ञान। प्रत्येक निर्णय-जब यह संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करता है

न्यायाधिकरणों की स्थापना और न्यायाधिकरणों के लिए अन्य व्यवस्थाएं, शासन की तीन शाखाओं के बीच चल रहे विमर्श को जोड़ती हैं। भारत का संविधान कानून के शासन द्वारा शासित एक गणराज्य की कल्पना करता है और न्याय की गारंटी देता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के साथ-साथ स्थिति और अवसर की समानता। अपने निर्धारित क्षेत्रों के भीतर कार्य करते हुए, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक विभाग इस संवैधानिक दृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब सुनिश्चित अधिकार या समानता का सिद्धांत हो

नागरिक या व्यक्ति द्वारा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है, वह न्यायिक शाखा की ओर मुड़ती है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इस शाखा में क्षमता, जीवन शक्ति और निष्पक्षता है, जिससे यह अदालत हस्तक्षेप करती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायनिर्णायक तंत्र मजबूत, स्वतंत्र हैं, और सक्षम और योग्य कर्मियों द्वारा संचालित हैं।

46. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं निष्कर्ष निकालता हूं और मानता हूं कि

निम्नलिखित है: (i) वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 (1) का पहला प्रावधान, जिसे न्यायाधिकरण सुधारों की धारा 12 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 को इसके द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है और

निष्क्रिय। इसी तरह, वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 (1) का दूसरा प्रावधान, जिसे न्यायाधिकरण सुधारों की धारा 12 द्वारा पेश किया गया है। (तर्कसंगतकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 को अमान्य और निष्क्रिय माना गया है।

58 देखें HTTPS: //इंडियन एक्सप्रेस। कॉम/आर्टिकल/इंडिया/आर. सी. टी.-जज-ड्रैग-गवर्नमेंट-टू-एस. सी.-साइट मौलिक-अधिकार-पाने के लिए-विस्तार-6380655/(अंतिम बार 21.06.2021 पर पहुँचा गया)।

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

((ii) वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 (7) न्यायाधिकरण सुधारों की धारा 12 द्वारा शुरू की गई (तर्कसंगतकरण और सेवा की शर्तें)।

अध्यादेश, 2021 को इसके द्वारा अमान्य और निष्क्रिय घोषित किया जाता है।

((iii) न्यायाधिकरण (सुधार और सेवा की शर्तें) अध्यादेश की धारा 12 द्वारा प्रस्तुत धारा 184 (11) (i) और (ii),

2021 इन्हें अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया जाता है।

((iv) परिणामस्वरूप, एम. बी. ए.-III के पैरा 53 (iv) में इस न्यायालय की घोषणा प्रबल होगी और न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल होगा - पाँच वर्ष या जब तक वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो और किसी न्यायाधिकरण के सदस्य का कार्यकाल पाँच वर्ष या तब तक का होगा।

वह 67 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, जो भी पहले हो।

(v) न्यायाधिकरणों की धारा 12 द्वारा शुरू की गई धारा 184 (11) के परंतुक को दी गई पूर्वव्यापीता (सुधार और युक्तिकरण) सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 को एतद्द्वारा बरकरार रखा गया है; हालाँकि, विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष या सदस्यों के पद पर की गई नियुक्तियों को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, 04.04.2021 तक। दूसरे शब्दों में, प्रावधान की पूर्वव्यापीता किसी भी तरह से अंतराल अवधि के दौरान इस न्यायालय के विभिन्न आदेशों के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए अधिकारियों के कार्यकाल को प्रभावित नहीं करेगी।

(vi) रिट याचिका को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।
हेमंत गुप्ता, जे।

1. मैंने न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव द्वारा लिखित विस्तृत निर्णय के साथ-साथ न्यायमूर्ति के अलग लेकिन सहमत निर्णय को भी देखा है।

रवींद्र भट, लेकिन मैं उसमें व्यक्त किए गए विचारों से सहमत होने के लिए खुद को मनाने में असमर्थ हूं, सिवाय इस सीमित सीमा के कि न्यायाधिकरण सुधार (तर्कसंगतकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 की धारा 187 (7) के हिस्से में कहा गया है कि खोज और चयन समिति एक पद के लिए दो नामों की सिफारिश करेगी और अध्यक्ष आदि सहित सदस्यों का कार्यकाल अध्यादेश की धारा 184 (11) के खंड (i) और (ii) के संदर्भ में चार साल का होगा, क्योंकि पैनल के गठन और कार्यकाल के मुद्दे पहले ही एम. बी. ए.-III में तय किए जा चुके हैं और इस तरह के दोष को दूर किए बिना अध्यादेश लागू नहीं किया जा सकता था।

1 संक्षेप में, 'अध्यादेश' [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. चुनौती के आधार पर विज्ञापन देने से पहले, कुछ अच्छी तरह से

व्याख्या के सिद्धांतों की प्रयोज्यता के स्थापित और स्थापित सिद्धांतों को फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

((i) विधान-मंडल की शक्ति कानून बनाने की है और

वैधानिक न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा

अधिनियम।

3. राज्य के तीन अंगों, विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका की अलग-अलग और विशिष्ट भूमिकाएँ और कार्य हैं, जैसा कि निम्नलिखित में प्रदान किया गया है।

संविधान। सभी संस्थानों को अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और दूसरों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तीनों संस्थानों की शक्तियों और कार्यों को अलग करके, संविधान एक ऐसी संरचना सुनिश्चित करता है जहां संस्थान अपनी संस्थागत ताकत के अनुसार कार्य करते हैं। दूसरा, यह नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली भी बनाता है क्योंकि संविधान प्रत्येक शाखा द्वारा दूसरी शाखा द्वारा किए गए कार्यों और कार्यों में हस्तक्षेप के लिए अक्षांश की एक डिग्री प्रदान करता है।

4. संविधान अदालतों को उनके लिए आरक्षित क्षेत्रों में राज्य के अन्य अंगों को निर्देश देने, सलाह देने या उपदेश देने की अनुमति नहीं देता है।

बशर्ते कि विधायिका या कार्यपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं या वैधानिक शर्तों का उल्लंघन न करे। स्वतंत्रता और पालन

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय संवैधानिक जवाबदेही और सीमाएं अदालत के फैसलों को संवैधानिक वैधता प्रदान करती हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति और कार्य का सार यही है कि

3. कानून के शासन को मजबूत और बढ़ावा देता है।

5. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायाधीशों द्वारा कानून का अनुप्रयोग विधायिका द्वारा कानून के अधिनियमन का पर्याय नहीं है। न्यायाधीश

यह बताने की शक्ति है कि किसी विशेष मामले में क़ानून कितना सटीक रूप से लागू होगा। इस तरह, वे द्वारा तैयार किए गए कानून को पूरा करते हैं

इसे लागू करके विधायिका। व्याख्या की इस शक्ति या न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कानून के अधिनियमन के बाद किया जाता है, जिसे तब अदालतों के समक्ष व्याख्या या चुनौती का विषय बनाया जाता है। 4

6. इस न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई कानून संसद या विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया जाता है, भले ही वह अनुमेय रूप से निर्देशों के विपरीत हो या

न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश, इसे न्यायालय द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देशों/दिशा-निर्देशों के कारण निरस्त नहीं किया जा सकता है; इसे निरस्त किया जा सकता है।

2 डॉ. अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. , (2020) 13 एस. सी. सी. 585 (पैरा 10) 3 आई. बी. आई. डी (पैरा 13)

4 आई. बी. आई. डी (पैरा 25)

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।]

केवल तभी जब यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों या समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

7. इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि प्राथमिक

न्यायपालिका का कार्य कानून की व्याख्या करना है। यह सिद्धांतों, दिशानिर्देशों को निर्धारित कर सकता है और कानून द्वारा खुले और खाली क्षेत्र में रचनात्मकता का प्रदर्शन कर सकता है। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32,21,141 और 142 की व्याख्या करते हुए कहा कि उन अवधियों को निर्धारित करना जिन पर आपराधिक मुकदमा समाप्त हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को बरी या आरोपमुक्त कर दिया जाएगा या वर्तमान या भविष्य में सभी मामलों में ऐसे निर्देश लागू करना न्यायिक कानून बनाने के बराबर होगा और न्यायिक निर्देशों द्वारा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय कानून घोषित कर सकते हैं, कानून की व्याख्या कर सकते हैं, स्पष्ट खामियों को दूर कर सकते हैं और कमियों को भर सकते हैं लेकिन वे कानून के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस न्यायालय द्वारा सीमा प्रतिबंधों को दो आधारों पर हटा दिया गया था, पहला, यह न्यायिक कानून के बराबर है जो अनुमेय नहीं था और दूसरा, यह बाध्यकारी पूर्वजों के सिद्धांत के विपरीत है।

8. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 3 को लागू करने के लिए अनिवार्य रिट जारी नहीं की जा सकती है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि संसद ने केंद्र सरकार के निरंकुश निर्णय पर छोड़ दिया है, 44 वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए समय के संबंध में सवाल, यह अदालत के लिए नहीं है कि वह सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर करे जो संसद के जनादेश के अनुसार करना उसके विवेकाधिकार में है, जब वह ऐसा करना उचित समझती है। चूँकि संसद ने किसी भी वस्तुनिष्ठ मानदंड को निर्धारित किए बिना मामले को केंद्र सरकार के निर्णय पर छोड़ दिया है, इसलिए न्यायालयों के लिए उन्हें प्रतिस्थापित करना मुश्किल हो जाता है।

44 वें संशोधन की धारा 3 को लागू किया जाना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न पर सरकार का अपना निर्णय। 9. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय विधायिका को किसी विशेष कानून को लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता है जब कोई कार्यकारी प्राधिकारी विधायी का प्रयोग करता है।

$ इबिद (पैरा 29) 6 पी। रामचंद्र राव बनाम। कर्नाटक राज्य, (2002) 4 एस. सी. सी. 578 1 आई. बी. आई. डी. (पैरा 25) 8 इबिद (पैरा 27)

9 इबिद (पैरा 33) 1 ओ 10 ए. के. रॉय बनाम भारत संघ और अन्य। , (1982) 1 एस. सी. सी. 271 (पैरा 51)

11 मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ, (2017) 7 एस. सी. सी. 221 (पैरा 36)

निर्बाध और यह न्यायिक संयम के दायरे में आता है। द. संसद और विधानसभाएँ कानून बनाने के लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती हैं और कोई भी बाहरी शक्ति या प्राधिकरण किसी विशेष प्रकार के कानून को लागू करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता है।

11. कल्पना मेहता में एक अलग लेकिन सहमति वाले फैसले में

डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. द्वारा लिखित, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 255. संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। कार्यपालिका नीतियों को तैयार करती है और कानून का प्रशासन करती है। न्यायपालिका विवादों पर निर्णय लेती है और निर्णय लेती है जिसके दौरान तथ्य साबित होते हैं और कानून लागू होता है। विधायी कार्य और न्यायिक कार्यों के बीच के अंतर को बुनियादी संरचना सिद्धांत द्वारा बढ़ाया जाता है। विधायिका को संवैधानिक रूप से कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई है। अदालतों को कानून बनाने की शक्ति नहीं सौंपी गई है।

फिर भी, एक संवैधानिक लोकतंत्र में जो इस पर आधारित है

संविधान की सर्वोच्चता, यह एक स्वीकृत सिद्धांत है

न्यायशास्त्र कि न्यायपालिका के पास विधान की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार है। जहां अधिनियमित करने वाली विधायिका में विधायी क्षमता का अभाव है या जहां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वहां विधान को अमान्य किया जा सकता है। एक कानून जो संवैधानिक रूप से अधिकार से परे है, उसे न्यायिक शक्ति के प्रयोग में ऐसा घोषित किया जा सकता है।

कानून की वैधता का परीक्षण एक स्थापित संवैधानिक सिद्धांत है जो शक्तियों के पृथक्करण के साथ मौजूद है। जहाँ किसी कानून को अधिकार से बाहर माना जाता है, वहाँ संसदीय विशेषाधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता है। इसका सीधा
सा कारण यह है कि संविधान द्वारा बनाए गए सभी संस्थान संवैधानिक सीमाओं के अधीन हैं। विधायिका, यह अच्छी तरह से स्थापित है, केवल यह घोषणा नहीं कर सकती है कि अदालत का निर्णय अमान्य है या यह रद्द कर दिया गया है। यदि विधायिका को ऐसा करने की अनुमति थी

तो, यह संवैधानिक सीमाओं से परे यात्रा करेगा समर्पण। जबकि शक्तियों का पृथक्करण रोकता है

विधायिका केवल एक घोषणा जारी करने से कि एक निर्णय गलत या अमान्य है, कानून बनाने वाली संस्था को एक अधिनियम बनाने का अधिकार है

12 कल्पना मेहता और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। , (2018) 7 एस. सी. सी. 1 (पैरा 42)

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।]

कानून जो उन दोषों का निवारण करता है जिनके द्वारा इंगित किया गया है

अदालत। एक कानून का अधिनियमन जो निर्णय के आधार को छीन लेता है (केवल इसे अमान्य करने के विपरीत) अनुमेय है और अलगाव सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। वास्तव में यही वह आधार है जिसके आधार पर कानून को मान्य करने की अनुमति है।

12. विधायिका पर दिशानिर्देशों की बाध्यकारी प्रकृति की कमी इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि भले ही निर्देश हैं

प्रकृति में अनिवार्य संविधान के अनुच्छेद 142 के दायरे में जारी किया जा सकता है, लेकिन इसे विधानमंडल के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्य विधानमंडलों के संबंध में अनुच्छेद 194 (2) के संदर्भ में विधायकों को पूर्ण और निर्बाध स्वतंत्रता है, जो संसद से संबंधित अनुच्छेद 105 (2) के साथ समान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा और उच्च न्यायालय के बीच विवाद के प्रसिद्ध मामले में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 32. विधायिकाओं को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद, खंड (2) इस तथ्य पर जोर देता है कि उक्त स्वतंत्रता का उद्देश्य पूर्ण और निरंकुश। विधायिका या उसकी किसी भी समिति में उनके द्वारा दिए जाने वाले मतों के संबंध में भी इसी तरह की स्वतंत्रता की गारंटी है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई विधायक अनुच्छेद 211 का उल्लंघन करते हुए अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करता है, तो भी वह किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसी प्रकार, यदि

विधायक पर अपने भाषण या मत द्वारा, विधान सभा में संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है, वह किसी भी न्यायालय में उक्त उल्लंघन के लिए जवाबदेह नहीं होगा। यदि विवादित भाषण मानहानि के बराबर है या कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत कार्रवाई योग्य या अभियोग योग्य हो जाता है, तो उसे इस खंड द्वारा किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई से प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। वह इस तरह के भाषण के लिए सदन को जवाबदेह हो सकता है और अध्यक्ष इसके संबंध में उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है; लेकिन वह एक अलग मामला है। यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने विधायी कक्षों के भीतर बहस में पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता को इतना महत्व दिया कि उन्होंने सोचा कि पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक है।

विधायिकाओं को खंड (2) द्वारा निर्धारित व्यापक शर्तों में विधायी कक्षों में उनके भाषणों के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्रवाई से प्रतिरक्षा। इस प्रकार, खंड (1) विधायी कक्ष और खंड के भीतर विधायकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

13 राज्य विधानमंडलों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

21] 5 एस सी आर।

(2) यह स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता शाब्दिक रूप से निरपेक्ष और निरंकुश है। 40. हमारी विधानसभाओं के पास निस्संदेह पूर्ण शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां लिखित संविधान की बुनियादी अवधारणाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं।

संविधान स्वयं और सातवीं अनुसूची के तहत तीन सूचियों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र को आवंटित विधायी क्षेत्रों के भीतर प्रयोग किया जा सकता है; लेकिन सूचियों से परे, विधानसभाएं यात्रा नहीं कर सकती हैं। वे निस्संदेह अपने पूर्ण विधायी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और शक्तियों के आधार पर अपने विधायी कार्यों का निर्वहन करना

उन्हें संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा प्रदान किया गया है; लेकिन शक्ति का आधार स्वयं संविधान है। इसके अलावा, संसद सहित हमारी विधानसभाओं की विधायी सर्वोच्चता

इसे आम तौर पर संविधान के भाग III में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि विधायिकाएँ उन्हें सौंपे गए विधायी क्षेत्रों से परे कदम उठाती हैं, या अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर काम करती हैं, तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का इस तरह से उल्लंघन करती हैं जो उक्त मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रासंगिक अनुच्छेदों द्वारा उचित नहीं है, तो उनके विधायी कार्यों को भारत में अदालतों द्वारा निरस्त किया जा सकता है। इसलिए, यह याद रखना आवश्यक है कि यद्यपि हमारी विधानसभाओं के पास पूर्ण शक्तियां हैं, वे सीमाओं के भीतर काम करती हैं

की सामग्री और प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित

संविधान "।

13. उपरोक्त निर्णयों का एक परिप्रेक्षय, अन्य बातों के साथ-साथ, कई

अन्य, यह है कि न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी ऐसे कानून को निरस्त कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या यदि यह विधायी क्षमता से परे है, लेकिन अदालतें विधायिका को एक विशेष तरीके से कानून बनाने या लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून संविधान के अनुच्छेद 141 के संदर्भ में भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए निर्देश, संविधान के अनुच्छेद 141 के संदर्भ में प्रत्येक न्यायालय पर बाध्यकारी हैं। संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ में विधायिका को न्यायालय नहीं कहा जा सकता है।

कल्पना। संविधान के अनुच्छेद 144 के आदेश के अनुसार, भारत में नागरिक और न्यायिक अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे, जिसका अर्थ है

कार्यकारी और न्यायिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। विधायिका न तो नागरिक या न्यायिक प्राधिकरण है जिसे संविधान द्वारा न्यायालय की सहायता में कार्य करने के लिए अनिवार्य किया गया है। विधायिका सर्वोच्च है इसलिए

उसकी विधायी क्षमता के भीतर आने वाले कानून को अधिनियमित करने के लिए।

निर्देश मद्रास बार एसोसिएशन V. भारत का संघ और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।]

न्यायालय विधायिका को केवल उस विशेष तरीके से कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। कानून बनाते समय विधायिका इस तरह से कानून बना सकती है जो न्यायालय द्वारा विधायिका को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार नहीं है, भले ही न्यायालय ने ऐसा करने के लिए विशेष रूप से चुना हो। इस न्यायालय के निर्देश विधायिका की चार दीवारों के बाहर रुकते हैं। न्यायिक समीक्षा के ज्ञात सिद्धांतों पर एक प्रतिमा की वैधता का परीक्षण करने के लिए एक कानून बनाए जाने के बाद ही न्यायपालिका कदम उठाएगी। न्यायपालिका विधायिका के पास निहित शक्तियों को हड़प नहीं सकती और न ही उसे लेना चाहिए। न्यायपालिका संविधान की योजना में कानून नहीं बना सकती है जैसा कि कई निर्णयों द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

जिसमें बड़े न्यायपीठ निर्णय शामिल हैं, जो छोटे बल वाले न्यायपीठों के लिए बाध्यकारी हैं। एम. बी. ए.-III में इस न्यायालय के निर्देश विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं।

((ख)

क्या किसी निर्णय को संदर्भ में पढ़ना होगा

अन्य बातों के साथ-साथ, उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कि न्यायालय किसी प्रावधान की व्याख्या करने से आम तौर पर शब्द नहीं जुड़ सकते हैं।

कैसस ओमिसस के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक क़ानून।

14. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों को

इस बात पर चर्चा किए बिना निर्णयों पर निर्भरता न रखें कि मामले की तथ्यात्मक स्थिति निर्णय की तथ्यात्मक स्थिति के साथ कैसे मेल खाती है जिस पर निर्भरता रखी गई है। किसी भाषण या निर्णय के शब्दों को विधायी अधिनियम के शब्दों के रूप में मानने में हमेशा खतरा होता है, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना में किए जाते हैं। इस न्यायालय ने आगे कहा:

सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय एक वैधानिक
प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता है जो है

स्पष्ट और असंदिग्ध। कानून विधायिका का एक आदेश होता है।

कानून में प्रयुक्त भाषा इसका निर्धारक कारक है - विधायी इरादा। निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि

विधानक आशय द्वारा प्रयुक्त शब्द सभमे पाओल जायबाक चाही। विधायिका स्वयं। सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है

और इरादा किया गया है लेकिन जो कहा गया है। कानूनों को होना चाहिए

यूक्लिड के प्रमेय के रूप में नहीं, जज लर्नड हैंड के रूप में समझा जाए

कहा, "लेकिन शब्दों को कुछ कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए

उद्देश्य जो उनके पीछे हैं "। (लेनी घाटी कोयला देखें

14 पद्म सुंदरा राव (मृत) और अन्य। वी. टी. एन. और अन्य का राज्य। , (2002) 3 एस. सी. सी. 533 (पैरा 9)

को. वी. येनसावेज [218 एफआर 547]।) इस विचार को दोहराया गया

भारत संघ बनाम। वेदेम वास्को डे के फिलिप टियागो डी गामा गामा [(1990) 1 एससीसी 277: AIR 1990 SC 981]।

XX

XX

XX

14. किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय अदालत केवल कानून की व्याख्या करती है।

कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अधीन, यह विधायिका के लिए है यदि आवश्यक समझा जाए तो इसमें संशोधन, संशोधन या निरसन करें। (ऋषभ को देखें

एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम पी. एन. बी. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड [(2000) 5

एस. सी. सी. 515]) विधायी मामला छूट की आपूर्ति इसके द्वारा नहीं की जा सकती है

न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया "।

15. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार

उदाहरण के लिए, प्रत्येक निर्णय में तीन बुनियादी अभिधारणाएँ होती हैं: ((i) प्रत्यक्ष और अनुमानित भौतिक तथ्यों के निष्कर्ष। तथ्यों का एक अनुमानित निष्कर्ष वह निष्कर्ष है जो न्यायाधीश प्रत्यक्ष, या बोधगम्य से प्राप्त करता है।

तथ्य; (ii) तथ्यों द्वारा प्रकट कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों के बयान; और (iii) उपरोक्त के संयुक्त प्रभाव के आधार पर निर्णय। निर्णय एक प्राधिकरण है जो वास्तव में क्या निर्णय लेता है। किसी निर्णय में जो सार है वह उसका अनुपात है और न कि उसमें पाए जाने वाले प्रत्येक अवलोकन, और न ही निर्णय में की गई विभिन्न टिप्पणियों से तार्किक रूप से क्या प्रवाहित होता है। उक्त दृष्टिकोण पर इस न्यायालय की संविधान पीठ ने भरोसा किया है।

16. इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों की टिप्पणियाँ न तो हैं

इसे यूक्लिड के प्रमेय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और न ही क़ानून के प्रावधानों के रूप में और वह भी उनके संदर्भ से बाहर लिया जाना चाहिए। टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे बताए गए प्रतीत होते हैं।

17. इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि निर्णय नहीं होने चाहिए

शाब्दिक रूप से। इस तरह की व्याख्या के बाद दो न्यायाधीशों की पीठ ने 15 उड़ीसा राज्य और अन्य। वी. मो. इलियास, (2006) 1 एस. सी. सी. 275 (पैरा 12) 16 प्राकृतिक संसाधन आवंटन, 2012 के विशेष संदर्भ संख्या 1 में 1 7 भारत संघ बनाम। अमृत लाल मनचंदा और अन्र। , (2004) 3 एस. सी. सी. 75 (पैरा 15) 18 सोम मित्तल बनाम। कर्नाटक सरकार, (2008) 3 एस. सी. सी. 574 (पैरा 9)

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।]

इस न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी भी निर्णय के अनुपात को उस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए। 18. हाल के एक अन्य निर्णय 20 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी निर्णय का अनुपात वह है जो वह तय करता है न कि वह जो तार्किक रूप से उसका अनुसरण करता है।

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 31. यह सामान्य बात है कि किसी निर्णय का अनुपात वह है जो वह तय करता है न कि वह जो तार्किक रूप से उसके बाद आता है। तीन न्यायाधीशों के मामलों में टिप्पणियाँ [उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन। वी.

भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 441] [एस. पी. गुप्ता बनाम। भारत संघ, 1981 पूरक एस. सी. सी. 87] [1998 का विशेष संदर्भ संख्या 1, पुनः, (1998) 7 एस. सी. सी. 739] को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें उन्हें प्रस्तुत किया गया है। एक बार जब इसे ध्यान में रखा जाता है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन निर्णयों के अनुपात को "मुख्य न्यायाधीश" अभिव्यक्ति को पढ़ने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है, जहां भी ऐसा होता है, जिसका अर्थ वरिष्ठ न्यायाधीशों का "कॉलेजियम" होता है।

19. इस न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की पूर्ण शक्तियां न्यायालय में निहित हैं और उन शक्तियों के "पूरक" हैं जो विशेष रूप से विभिन्न कानूनों द्वारा न्यायालय को प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 142 द्वारा न्यायालय को प्रदत्त शक्तियां उपचारात्मक प्रकृति की हैं, उन्हें ऐसी शक्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता है जो न्यायालय को एक वादी के मूल अधिकारों की अनदेखी करने के लिए अधिकृत करती हैं। इस शक्ति का उपयोग मामले में लागू मूल कानून या न्यायालय के विचाराधीन कारण को "प्रतिस्थापित" करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 142, इसके विस्तार की चौड़ाई के साथ भी, एक नए भवन के निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है जहां पहले कोई मौजूद नहीं था, किसी विषय से संबंधित स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करके और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा हासिल किया जा सकता है जिसे सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 19. ..... अनुच्छेद 142, इसके आयाम की चौड़ाई के साथ भी, एक नए भवन के निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है जहां पहले कोई मौजूद नहीं था, किसी विषय से संबंधित स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करके और

इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा प्राप्त करें जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

सीधे "।

19 अरास्मेटा कैप्टिव पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड एन. आर. वी. लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2013) 15 एस. सी. सी. 414 (पैरा 32)

20 शांति भूषण बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और ए. एन. आर. , (2018) 8 एस. सी. सी 396 2 1 एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ और अन्य। , (2000) 6 एस. सी. सी. 212 [2021] 5 एस. सी. आर.

20. इस प्रकार, न्यायालय राज्य या संघ को अधिनियम बनाने का निर्देश नहीं देगा

कोई विशेष कानून, या किसी वैधानिक नियम के संशोधन के लिए किसी अधिसूचना में संशोधन/जारी करना या यहां तक कि किसी अधिनियम को लागू करने का निर्देश देना, जब

विधायिका ने कार्यपालिका को ऐसी शक्ति प्रदान की है। एम. बी. ए.-III में इस न्यायालय के निर्देश विशिष्ट तथ्यों में जारी किए गए थे ताकि न्यायाधिकरण को विधानमंडल को अनिवार्य करने के बजाय जल्द से जल्द कार्यात्मक बनाया जा सके। एक विशेष तरीके से कानून में संशोधन करें। विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, जो जरूरी नहीं कि इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार हो। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किए जाने पर ऐसा कानून, भले ही न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों या दिशानिर्देशों के विपरीत हो, उक्त कारण से निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए प्रावधान के आधार में बदलाव नहीं किया जाता है या यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों या समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है तो कानून को निरस्त किया जा सकता है।

21. एम. बी. ए.-III में उठाए गए कानून के प्रश्न थे -

खोज और चयन समिति के गठन के मामले में शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता; न्यायिक सदस्यों के रूप में न्यायिक अनुभव के बिना व्यक्तियों की नियुक्ति; उचित तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने में विफलता; सदस्यों के पर्याप्त कार्यकाल के लिए प्रावधान करने में विफलता; न्यायाधिकरणों के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए अधिवक्ताओं का बहिष्कार; खोज और चयन समिति में मूल विभाग की भूमिका जारी रखना; केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक जांच के लिए सदस्यों को हटाना अमान्य है और न्यायाधिकरणों पर कार्यपालिका का निरंतर प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण है।

22. इस न्यायालय के निर्देश जो इसके विपरीत हैं -

अध्यादेश इस प्रकार हैं:

" 53. उपरोक्त चर्चा का परिणाम इस अदालत को मुद्दा बनाने के लिए प्रेरित करता है

निम्नलिखित दिशाएँ:

(i) XXX

XXX

(iii) 2020 के नियमों के नियम 4 (2) में संशोधन किया जाएगा ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि

खोज-सह-चयन समिति नाम की सिफारिश करेगी।

प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए पैनल के बजाय एक व्यक्ति का

प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए दो या तीन व्यक्ति। एक और नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल किए जाने की सिफारिश की जा सकती है।

न्यायाधिकरण पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र। 72020 के नियमों का नियम 9 (2) ओ. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन v होगा।

भारत का संघ और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।]

यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य साठ-सात वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेंगे।

न्यायाधिकरणों के सदस्य। यदि आवास उपलब्ध कराना संभव नहीं है, तो भारत संघ न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष या अध्यक्ष या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को रुपये की राशि का भुगतान करेगा। 1,50,000 / - प्रति माह घर का किराया भत्ता और रु। 1,25,000 / - न्यायाधिकरण के अन्य सदस्यों के लिए प्रति माह। यह निर्देश 01.01.2021 से प्रभावी होगा।

(vi) XXX

XXX

(ix) भारत संघ उस तारीख से तीन महीने के भीतर न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करेगा जिस दिन खोज-सह-चयन समिति चयन प्रक्रिया को पूरा करती है और अपना निर्णय लेती है।

सिफारिशें। (x) 2020 के नियमों का संभावित प्रभाव होगा और 2020 के नियमों के नियम 1 (2) के अनुसार 12.02.2020 से लागू होगा।

(xi) 2017 के नियमों से पहले की गई नियुक्तियां मूल अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित होती हैं जो संबंधित नियमों को स्थापित करते हैं।

न्यायाधिकरण। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को देखते हुए

रोजर मैथ्यू (ऊपर) में, रोजर मैथ्यू (ऊपर) के लंबित रहने के दौरान की गई नियुक्तियां भी मूल अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित थीं। 2020 के नियम लागू होने के बाद की गई कोई भी नियुक्ति, यानी 12.02.2020 को या उसके बाद, इस निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्देशित संशोधनों के अधीन 2020 के नियमों द्वारा शासित होगी। (xii) XXX

XXX

(xiv) वेतन, लाभ, भत्ते, मकान किराया भत्ता आदि से संबंधित नियम और शर्तें इस निर्णय में उल्लिखित और निर्देशित शर्तों के अनुसार होंगी।

(xv) 12.02.2020 से पहले नियुक्त किए गए न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य मूल कानूनों और नियमों द्वारा शासित होंगे जिनके अनुसार उन्हें नियुक्त किया गया था। 2020 नियम उन लोगों के लिए पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्देशित संशोधनों के साथ लागू होंगे जिन्हें [2021] 5 एस. सी. आर. के बाद नियुक्त किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.02.2020 . मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रखते हुए

09.10.2020 , हमने न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल 31.12.2020 तक बढ़ा दिया। 2020 के नियमों पर अंतिम निर्णय को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और न्यायाधिकरणों के सदस्यों की सेवानिवृत्ति लागू नियमों के अनुसार होगी:

ऊपर बताया गया है "। 23.
दलीलें 3 जून 2021 को समाप्त की गईं लेकिन इससे पहले

हम अपने विचारों को अंतिम रूप दे सकते हैं, न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2021 को 30 जून 2021 को अधिसूचित किया गया है। एम. बी. ए.-III में इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार खोज और चयन समिति, अधिवक्ता के कुछ न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिए पात्र होने और एम. बी. ए.-III में इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार घर किराया भत्ते का भुगतान करने का विकल्प ऐसे नियमों में शामिल है। अब उठाए गए प्रश्नों की जांच संशोधित नियमों के आलोक में की जानी चाहिए।

24. न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया है:

" 43. इस देश में विधायी अधिनिर्णय की अनुमति इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त के साथ-साथ अन्य निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए, जिन्हें नीचे दिया गया है:

क) न्यायालय के निर्णयों के प्रभाव को निर्णय के आधार को हटाकर विधायी अधिनियम द्वारा रद्द किया जा सकता है। इस तरह का कानून पूर्वव्यापी हो सकता है। पूर्वव्यापी संशोधन उचित होना चाहिए।

और मनमाना नहीं होना चाहिए और संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। (लोहिया मशीन्स लिमिटेड और अन्र. वी. भारत संघ और अन्य। ((1985) 2 एससीसी 1987)।

ख) एक मान्यकारी विधान की वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण यह है कि दोष को इंगित करने वाला निर्णय पारित नहीं किया गया होता, यदि न्यायालय के समक्ष अपना निर्णय देने के समय मान्यकारी क़ानून द्वारा लाई जाने वाली परिवर्तित स्थिति मौजूद होती। दूसरे शब्दों में, बताए गए दोष को इस तरह से ठीक किया जाना चाहिए था कि निर्णय का आधार इंगित करता है

ग) एक अधिनियम द्वारा मैंडमस का उन्मूलन होगा - अस्वीकार्य विधायी अभ्यास (देखें): एस. आर. भागवत और अन्य। वी.

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।]

मैसूर राज्य, (1995) 6 एस. सी. सी. 16. यहां तक कि अंतरिम निर्देशों को भी विधायी वीटो द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है (देखें - कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, 1993 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 96) और भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम।

केरल राज्य और अन्य।, ((2019) 13 एससीसी 185)।

घ) संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन और विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति में घुसपैठ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, कानून के शासन और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

भारत का संविधान "।

25. उपरोक्त निष्कर्षों (ग) और (घ) के संबंध में मुझे अपनी आपत्ति है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण में, कर्नाटक राज्य ने कर्नाटक कावेरी बेसिन सिंचाई की घोषणा की 25.7.1991 पर संरक्षण अध्यादेश, 1991। आदेश के अनुसार

इस न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका में पारित, न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम आदेश के माध्यम से कर्नाटक राज्य को अपने जलाशयों से पानी छोड़ने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तमिलनाडु के मेट्टूर जलाशय में जून से मई तक एक वर्ष में 205 टी. एम. सी. उपलब्ध है। इसके बाद विवादित अध्यादेश जारी किया गया। यह उक्त अंतरिम आदेश है जिसे अध्यादेश के अधिनियमन द्वारा रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे बाद में कर्नाटक राज्य द्वारा एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 73. अध्यादेश असंवैधानिक है क्योंकि यह केंद्रीय अधिनियम के तहत नियुक्त न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता है। , अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम जो संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत बनाया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अध्यादेश के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए,

स्पष्ट उद्देश्य अंतरिम आदेश के प्रभाव को रद्द करना है।

न्यायाधिकरण द्वारा 25 जून, 1991 को पारित किया गया। अध्यादेश उक्त तथ्य को गुप्त नहीं रखता है और कर्नाटक राज्य की ओर से दायर लिखित बयान और प्रस्तुतियाँ दर्शाती हैं कि चूंकि कर्नाटक राज्य के अनुसार न्यायाधिकरण के पास कोई अंतरिम आदेश पारित करने या कोई अंतरिम राहत देने की शक्ति नहीं है जैसा कि उसने 25 जून, 1991 के आदेश द्वारा किया है, इसलिए आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसलिए, शुरुआत से ही अमान्य है। कर्नाटक के अनुसार, ऐसा होने के कारण, यह निर्णय धारा 6 के अर्थ के भीतर नहीं है और इस पर बाध्यकारी नहीं है और उक्त आदेश के संभावित प्रभावों से खुद को बचाने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है। इस प्रकार कर्नाटक राज्य ने एकतरफा रूप से यह तय करने की शक्ति अपने लिए कम कर ली है कि क्या न्यायाधिकरण के पास सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों का अधिकार क्षेत्र है या नहीं।

21] 5 एस सी आर।

अंतरिम आदेश पारित करना या नहीं और क्या आदेश बाध्यकारी है

उस पर या नहीं। दूसरा, राज्य ने यह भी अनुमान लगाया है कि अंतिम निर्णय तक

कावेरी नदी के पानी को बिना किसी परवाह के अपने लिए उपयुक्त बनाएं और इस तरह की कार्रवाई के परिणामों से बेपरवाह

निचले तटवर्ती राज्य। इस हद तक कि अध्यादेश

इस न्यायालय और न्यायाधिकरण के निर्णय में हस्तक्षेप करता है केंद्रीय कानून के तहत नियुक्त, यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है

न केवल अनुच्छेद 262 के प्रावधानों के साथ सीधे टकराव में होना

जिस संविधान के अधीन उक्त अधिनियम बनाया गया है, लेकिन

राज्य की न्यायिक शक्ति के साथ भी टकराव में होना।

(जोर दिया गया)

26. भारतीय चिकित्सा परिषद में इस न्यायालय का निर्णय था

इस न्यायालय के उस फैसले को फिर से रद्द करने के लिए जहां इस न्यायालय ने केरल राज्य के कन्नूर मेडिकल कॉलेज और करुणा मेडिकल कॉलेज में 180 छात्रों के प्रवेश को रद्द कर दिया था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 23. राज्य द्वारा विवादित अध्यादेश द्वारा क्या किया गया है

सरकार स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है

और यह स्पष्ट रूप से दुस्साहस था। हमारे विचार में

राय, यह राज्य सरकार के लिए बिल्कुल भी अनुमत नहीं था

इस मामले में अध्यादेश/विधान जारी करें। सिर्फ इतना ही नहीं

न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और मनमानी की जाती है

प्रवेश में स्पष्ट था, और उच्च न्यायालय का निर्णय

केरल जिसकी इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी आवेदनों पर विचार किया जाना चाहिए यदि वे ऑनलाइन आवेदन थे

निरस्त कर दिया गया। यह स्पष्ट रूप से निर्णय को रद्द करने का कार्य था और न्यायपालिका में निहित न्यायिक शक्तियों का उल्लंघन है।

यह राज्य सरकार के लिए रद्द करने के लिए खुला नहीं था

केरल उच्च न्यायालय या इसके द्वारा पारित निर्णय/आदेश

अदालत। यह मौजूदा कानून में किसी दोष को हटाने का मामला नहीं था।

इस न्यायालय के विभिन्न संविधान पीठ के फैसलों ने फैसला किया है क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून के सिद्धांत। यह समझ से परे है

किस प्रकार राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया है सवाल "।

(जोर दिया गया)

27. एस. आर. भागवत में याचिकाकर्ता फाइनल में वरिष्ठ थे।

वरिष्ठता सूची लेकिन उनके कनिष्ठों को अस्थायी वरिष्ठता सूची में उच्च श्रेणी के आधार पर पदोन्नत किया गया जो पहले चालू थी।

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।]

उसे अंतिम रूप मिल गया था। वर्तमान मामले में, मेरी राय है कि सिवाय दो पहलू जो 2020 के नियमों के नियम 4 (2) और 9 (2) में निहित हैं, बाकी निर्देश नियमों की वैधता या अवैधता के खिलाफ थे।

न्यायाधिकरणों को जल्द से जल्द कार्यात्मक बनाने का विचार।

28. इसलिए, ऊपर उल्लिखित तीन निर्णयों को तथ्यों और उनमें उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। वास्तव में, किसी भी निर्णय का यह प्रभाव नहीं था कि कानून बनाने के लिए इस न्यायालय के जो भी निर्देश हैं, वे विधायिका के लिए बाध्यकारी हैं। तीन निर्णय तथ्यों से उत्पन्न होते हैं, जिसमें दोष को ठीक करने का प्रयास भी नहीं किया गया था, बल्कि सरलता से निर्णय को रद्द करने की मांग की गई थी।

29. निष्कर्ष (घ) के संबंध में, यद्यपि संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन और न्यायिक शक्ति में घुसपैठ

विधायिका शक्तियों के पृथक्करण, कानून के शासन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्देश नहीं दे सकती है। किसी विशेष तरीके से किसी भी कानून को बनाने के लिए विधायिका।

धारा 184 (1) के पहले परंतुक की वैधता और वैधता

अध्यादेश 30. अध्यादेश की धारा 184 (1) का उक्त परंतुक इस प्रकार है:

नीचे:

" बशर्ते कि एक व्यक्ति जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो

वर्ष अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे या

सदस्य "

31. मैं इस राय से सहमत नहीं हूं कि धारा 184 का पहला परंतुक न्यूनतम पचास वर्ष की आयु निर्धारित करने का एक प्रयास है।

एम. बी. ए.-III में जारी किए गए निर्देश को दरकिनार करें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्त को न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में अधिवक्ताओं की पात्रता पर विचार करते समय ध्यान में रखा गया था।

तथापि, इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया और मार्च, 2017 में केंद्र सरकार को भेजा गया कि कोई व्यक्ति बार कोटे के विरुद्ध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की तारीख को पैंतालीस वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 217 के संदर्भ में, एक उम्मीदवार एक अधिवक्ता के रूप में 10 साल के अभ्यास के बाद नियुक्ति के लिए पात्र हो जाता है। इस प्रकार, एक अधिवक्ता 35 वर्ष की आयु के आसपास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इस न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अपनाए गए प्रक्रिया ज्ञापन में न्यूनतम आयु के रूप में पैंतालीस वर्ष निर्धारित की गई थी। मुझे लगता है कि नियुक्ति पाने की पात्रता केवल योग्यता पर निर्भर नहीं है

एक उम्मीदवार का अनुभव और उपयुक्तता, संभावित कार्यकाल जो एक उम्मीदवार के पास हो सकता है, आवश्यक विचार हैं। से प्रासंगिक भाग

कॉलेजियम का ज्ञापन निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

" 17. एक व्यक्ति बार कोटे के विरुद्ध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह

द्वारा सिफारिश की तारीख को 45 वर्ष की आयु पूरी की गई

उच्च न्यायालय कॉलेजियम।"

32. इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए प्रक्रिया ज्ञापन के साथ पढ़े गए संविधान के संदर्भ में, एक अधिवक्ता के पास अधिकतम होगा

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 17 वर्ष का कार्यकाल, इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तीन वर्ष और हो सकता है। दूसरी ओर, न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त एक अधिवक्ता का कार्यकाल 17 वर्ष का हो सकता है, भले ही नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 50 हो। ऐसे सदस्य का कार्यकाल 67 वर्ष की आयु तक होता है और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की संभावना होती है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की स्थिति की तुलना करने के लिए नहीं है।

न्यायाधिकरण के सदस्य। सदस्यों की नियुक्ति उच्चाधिकार प्राप्त खोज और चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। न्यायिक प्रभुत्व होना। यदि कोई सदस्य कानूनी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है, तो उसे फिर से नियुक्त नहीं किए जाने के बारे में कोई आशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। पुनः नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से न्यायिक प्रभुत्व के साथ उच्चाधिकार प्राप्त

खोज और चयन समिति के साथ है। कानून में एक प्रावधान केवल इस कारण से असमर्थनीय नहीं पाया जा सकता है कि फिर से नियुक्त नहीं होने की संभावना है।

33. अधिवक्ता 2020 के नियमों के तहत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे। अतः इस प्रकार की पात्रता की आयु की कोई शर्त नहीं थी।

उम्मीदवार। यह ध्यान दिया जा सकता है कि हालांकि इस न्यायालय ने मद्रास बार एसोसिएशन v की आयु पर चर्चा की।

[हेमंत गुप्ता, जे।]

नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवार पैरा 44 में "लगभग 45 वर्ष" के होने चाहिए, लेकिन कोई विशेष आयु सीमा नहीं थी।

34. निर्णय में चर्चाओं को इस रूप में नहीं माना जाना चाहिए

दिशा निर्देश। ऐसी पृष्ठभूमि है जिसमें अंतिम निर्देश जारी किए जाते हैं। चूंकि पात्रता शर्तों के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे

विशेष रूप से आयु से संबंधित, इस प्रकार, पात्र आयु को पचास वर्ष के रूप में निर्धारित करना एमबीए-III में जारी निर्देशों के विपरीत नहीं माना जा सकता है। भले ही यह ऐसे किसी निर्देश का उल्लंघन कर रहा हो, लेकिन विधायिका नियुक्ति के उद्देश्य के लिए न्यूनतम पात्रता आयु निर्धारित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में है।

35. श्री आर. गांधी, मद्रास बार एसोसिएशन के अध्यक्ष

2003 के केंद्रीय अधिनियम 11 द्वारा संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को चुनौती दी गई, जब मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष क्रमशः राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करते हुए भाग 1 बी और भाग 1 सी को जोड़ा गया था। उच्च न्यायालय ने 30.3.2004 पर रिट याचिका 2 2 को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पुनर्नियुक्ति की शक्ति को एक 'नवीकरण' के रूप में पढ़ा गया था, इसके अलावा संशोधन अधिनियम के कई प्रावधानों को अवैध के रूप में प्रस्तुत किया गया था क्योंकि वे शक्तियों के पृथक्करण की बुनियादी संवैधानिक योजना का उल्लंघन कर रहे थे और

न्यायिक कार्य की स्वतंत्रता। मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 74. जब तक कि पद का कार्यकाल कम से कम पाँच साल के रूप में निर्धारित नहीं किया जाता है

और इसी तरह, और वह अवधि जिसके लिए ग्रहणाधिकार को बनाए रखा जा सकता है, तय है। एक वर्ष से अधिक नहीं होने पर, न्यायाधिकरण का गठन नहीं हो सकता है।

एक की आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में माना जाए

न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाला स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय

राज्य।

XX

XX

XX

123. पूर्वगामी चर्चाओं के आलोक में यह घोषित किया जाता है कि जब तक

कंपनी अधिनियम के भाग 1 बी और 1 सी में प्रावधान लागू किए गए

दोषपूर्ण होने के लिए जितना वे मूल के उल्लंघन में हैं शक्तियों के पृथक्करण और स्वतंत्रता की संवैधानिक योजना

दोषों को दूर करके न्यायिक कार्य में विधिवत संशोधन किया जाता है।

जिनका उल्लेख किया गया है, उनका गठन करना असंवैधानिक होगा

उच्च न्यायालयों या कंपनी विधि बोर्ड द्वारा अब प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए एक न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण। 36. उक्त आदेश के खिलाफ एक अपील में, इस न्यायालय ने एम. बी. ए. में-मैंने देखा

संघ का विवाद निम्नानुसार है:

" 11. केंद्र सरकार ने इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया है और अधिनियम की धारा 10-एफ. ई. और 10-एफ. टी. में संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की है।

अध्यक्ष/अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पाँच साल का कार्यकाल। हालाँकि, सरकार "नवीनीकरण" के बजाय पुनर्नियुक्ति के प्रावधान को बनाए रखने का प्रस्ताव करती है, क्योंकि पुनर्नियुक्ति पर एक चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति करेंगे। चूंकि सरकार ने न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में पहली नियुक्ति के लिए न्यूनतम 50 वर्ष की पात्रता रखने का प्रस्ताव किया है, इसलिए एक सदस्य को केवल एक या दो बार पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

37. उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया गया कि राष्ट्रपति या अध्यक्ष कार्यकाल के नवीनीकरण के हकदार थे। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

इसके अंतर्गत:

" 120 (ix)। तीन साल के कार्यकाल को एक और कार्यकाल के लिए नियुक्ति के लिए पात्रता के अधीन सात या पांच साल के कार्यकाल में बदल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है। तीन साल का कार्यकाल बहुत छोटा होता है और जब तक सदस्य आवश्यक ज्ञान, विशेषज्ञता और दक्षता प्राप्त करेंगे, तब तक एक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के साथ तीन वर्ष की उक्त अवधि है -

ऐसा माना जाता है कि यह उन व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं और इन न्यायाधिकरणों को सेवानिवृत्ति के बाद के स्वर्ग के रूप में माने जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि इन न्यायाधिकरणों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करना है तो उन्हें युवाओं को आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए। सदस्य जिनके पास सेवा की उचित अवधि होगी।

38. इसके बाद, कंपनी अधिनियम, 2013 लागू किया गया, जिससे कंपनी अधिनियम, 1956 निरस्त हो गया। उक्त अधिनियम की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था -

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण। नए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को इस न्यायालय द्वारा एमबीए-II में दिए गए कुछ संशोधनों के अधीन रहते हुए बरकरार रखा गया था। अधिनियम के जिन प्रावधानों को चुनौती नहीं दी गई थी या जिनमें हस्तक्षेप नहीं किया गया था, वे अधिनियम की धारा 413 और 414 में निहित हैं। धारा 413 में निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वह सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।]

39. इस न्यायालय ने एम. बी. ए.-II में निम्नलिखित प्रावधानों को अभिनिर्धारित किया

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409 (3) (ए), (सी) और धारा 411 (3) अमान्य होगी। मद्रास की तरह तकनीकी सदस्यों की नियुक्तियाँ

वर्ष 2010 में दिए गए बार निर्णय का ईमानदारी से पालन किया जाना था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 28. 2010 के फैसले [(2010) 11 एस. सी. सी. 1] में उपरोक्त स्पष्ट और स्पष्ट आदेश को ध्यान में रखते हुए, इसके साथ छेड़छाड़ करने से स्पष्ट रूप से उन मानकों के साथ समझौता करने की क्षमता होगी जिन्हें 2010 के फैसले [(2010) 11 एस. सी. सी. 1] ने हासिल करने की कोशिश की थी, नहीं, इसलिए उत्साह से सुरक्षित करने की कोशिश की गई थी। इस प्रकार, हम मानते हैं कि धारा 409 (3) (ए) और (ई) अमान्य हैं क्योंकि ये प्रावधान एक ही बुराई से ग्रस्त हैं।

इसी तरह, तकनीकी सदस्यों की योग्यताओं का प्रावधान करने वाली धारा 411 (3) को भी अमान्य माना जाता है। एन. सी. एल. टी. में तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति के लिए उप-पैरा में निहित निर्देश

(2010 के निर्णय [(2010) 11 के पैरा 120 के (iii), (iv), (v) एस. सी. सी. 1] का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा और धारा 409 (3) में निहित दोषों को ठीक करने के लिए इन सुधारों की आवश्यकता है। हम निर्गम का निपटान करते समय तदनुसार आदेश देते हैं।

2. "

40. एम. बी. ए.-II में, राष्ट्रीय विधि कंपनी न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के लिए आयु पचास वर्ष निर्धारित की गई थी। यह विवादित नहीं था

मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष। इसलिए, पात्रता शर्त के रूप में 50 वर्ष की आयु सीमा से बाहर नहीं है, बल्कि पिछले कानून पर आधारित है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के सदस्य। इस प्रकार, पात्रता शर्त के रूप में पचास वर्ष की आयु के निर्धारण को स्पष्ट रूप से मनमाना या किसी भी उम्मीदवार के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है जो आयु की ऐसी शर्त को अवैध बना सकता है। यह तर्क इस आशंका पर आधारित है कि पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नियुक्त अधिवक्ता के लिए कानूनी कार्य फिर से शुरू करना मुश्किल होगा।

एक कार्यकाल पूरा होने के बाद अभ्यास करें, यदि उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है। एक व्यक्ति जो अपने काम में सक्षम और अच्छा है, उसे अपने अभ्यास को फिर से शुरू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन अगर उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है तो उसके पेशेवर करियर का क्या होगा, यह एक

परिकलित जोखिम है जो एक उम्मीदवार को नियुक्ति के समय लेना चाहिए। भविष्य में क्या होगा, इस तरह की आशंकाएं क़ानून में उम्र की शर्त को कम करने का आधार नहीं हो सकती हैं। इस न्यायालय के पास यह कहने की विशेषज्ञता नहीं है कि एक वकील के लिए प्रैक्टिस फिर से शुरू करना मुश्किल होगा यदि वह [2021] 5 एस. सी. आर. नहीं है।

पुनर्नियुक्त। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अनुमानित आशंकाओं के आधार पर ऐसे आधारों पर वैधानिक प्रावधानों को निरस्त किया जा सकता है। 41. किसी वैधानिक प्रावधान की आशंका या दुरुपयोग किसी क़ानून के प्रावधानों को अमान्य घोषित करने का आधार नहीं है। इस न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 33. ..... इस न्यायालय ने कई फैसलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी कानून में निहित प्रावधानों के तहत शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना का कोई आधार नहीं है।

प्रावधान को अनुचित या अमान्य घोषित करना। उत्तरी अपील न्यायालय के फैसले में एक मार्ग पर टिप्पणी करना

आयरलैंड ने कहा:

" यदि ऐसी शक्तियों का उचित रूप से प्रयोग किया जा सकता है तो यह कहना असंभव है कि उनका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। अनुचित रूप से "

और इसे बेलफास्ट कॉर्पोरेशन v में देखे गए क़ानून को अमान्य रखने के लिए एक आधार के रूप में माना जाता है। ओ. डी. आयोग [1960 पीपी पर एसी 490। 520-521] :

" मुझे ऐसा लगता है कि इस विवाद का संक्षिप्त उत्तर (और मुझे आशा है कि इसकी अल्पता को अनादर नहीं माना जाएगा) यह है कि किसी उपाय की वैधता इसके द्वारा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। विशेष मामलों में आवेदन। यदि इसका इस तरह से प्रयोग नहीं किया जाता है (यानी यदि शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है) तो यह चुनौती देने के लिए खुला है और क़ानून में इसे चुनौती देने के लिए स्पष्ट प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

किसी क़ानून के दुरुपयोग की संभावना अन्यथा वैध होने से उसे अयोग्यता का कोई तत्व नहीं मिलता है। इसके विपरीत को यह भी पालन करना चाहिए कि एक क़ानून जो अन्यथा अनुचित होने के रूप में अमान्य है, उसे उचित तरीके से प्रशासित करके बचाया नहीं जा सकता है। कानून की संवैधानिक वैधता को इसके प्रावधानों और इसके संचालन के दायरे के आधार पर निर्धारित करना होगा उचित रूप से समझाया गया। यदि ऐसा माना जाता है तो यह परीक्षा उत्तीर्ण करता है

अनुचित रूप से उपयोग किया जाना कानून को अमान्य घोषित करने का कोई आधार नहीं है। और इसी तरह यदि संविधान के भाग III में निर्धारित आवश्यकताओं के आलोक में कानून की उचित व्याख्या और परीक्षण किया जाता है

23 सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास और अन्र। वी. नथेला संपथु चेट्टी और अन्र।

, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 316 मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।]

परीक्षण पास करने के लिए इसे केवल इसलिए वैध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह है

इस तरह से प्रशासित किया जाता है जो इसके साथ संघर्ष नहीं कर सकता है

संवैधानिक आवश्यकताएँ "।

42. इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में इसी तरह के विचार को दोहराया गया था

निर्णय 24. एक अन्य निर्णय 2 5 में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

24. ..... यह भी दोहराना आवश्यक है कि किसी प्रावधान के दुरुपयोग की केवल संभावना, अपने आप में, इसके अमान्य होने को उचित नहीं ठहराती है। किसी प्रावधान की वैधता का परीक्षण मामलों की व्यापकता में इसके संचालन और दक्षता के संदर्भ में किया जाना चाहिए, न कि उन विचित्रताओं या अपवादों द्वारा जो इसके उपयोग से कुछ दुर्लभ मामलों में संभवतः उत्पन्न हो सकते हैं। सरकारी कार्य अविश्वास के सिद्धांतों पर नहीं किए जा सकते हैं। यदि चयनकर्ताओं ने दुर्भावनापूर्ण या अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ काम किया था, तो शक्तियों के इस तरह के दुरुपयोग के खिलाफ राहत प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक कानूनी उपाय हैं। दुर्व्यवहार किसी को भी दूषित करता है

शक्ति "। (जोर दिया गया)

43. इसलिए, मेरी राय है कि पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने में विफल रहने की स्थिति में, उम्मीदवार अभ्यास फिर से शुरू नहीं कर पाएगा।

आशंकाओं पर। पुनर्नियुक्ति से इनकार करने के लिए वे अच्छे या वैध आधार हैं या नहीं, यह न्यायिक समीक्षा का विषय हो सकता है, हालांकि मेरी राय है कि उच्च शक्ति खोज और चयन समिति का किसी उम्मीदवार को फिर से नियुक्त नहीं करने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में हस्तक्षेप की गारंटी नहीं दे सकता है।

अध्यादेश की धारा 184 (1) के दूसरे और तीसरे परंतुक की वैधता

44. उक्त परंतुक इस प्रकार है:

" बशर्ते कि इस प्रकार देय भत्ते और लाभ केंद्र सरकार को जिस हद तक स्वीकार्य हो

समान वेतन वाले पद पर आसीन अधिकारी: बशर्ते कि जहां अध्यक्ष या सदस्य किराए पर घर लेता है, उसे ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन घर के किराए की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो नियमों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं।

24 आंध्र प्रदेश सरकार और ए. एन. आर. वी. जी. जय प्रसाद राव और अन्य। , (2007) 11 एस. सी. सी. 528; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड एन. वी. भारत संघ, (2004) 9 एस. सी. सी. 580; चरण लाल साहू बनाम। भारत संघ, (1990) 1 एस. सी. सी. 613

25 महमूद आलम तारिक और अन्य। वी. राजस्थान राज्य और अन्य। , (1988) 3 एससीसी 241 [2021] 5 एस. सी. आर.

45. दूसरा परंतुक यह है कि भत्ते और लाभ उस हद तक होंगे जो केंद्र सरकार के अधिकारी के लिए स्वीकार्य हैं।

समान वेतन वाला पद धारण करना। धारा 184 (1) का तीसरा प्रावधान यह है कि जहां अध्यक्ष या सदस्य किराए पर घर लेते हैं, उन्हें ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन घर के किराए की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो निर्धारित की जा सकती हैं। तीसरे परंतुक के संदर्भ में, न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2021 प्रकाशित किए गए हैं। अब अधिसूचित नियमों के अनुसार, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति के पास केंद्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले आवास का लाभ उठाने का विकल्प होगा।

सरकार कुछ समय के लिए लागू नियमों के अनुसार या रुपये की सीमा के अधीन घर का किराया भत्ता पाने की हकदार है। प्रति माह एक लाख पचास हजार रुपये और सदस्यों के पास वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले आवास का लाभ उठाने का विकल्प होगा या रुपये की सीमा के अधीन घर का किराया भत्ता पाने का हकदार होगा। 1 जनवरी, 2021 से एक लाख बीस-पाँच हजार रुपये प्रति माह। इसलिए जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाता है।

46. वास्तव में, दिल्ली के अलावा बार के सदस्यों और मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों की एक आम शिकायत है कि दिल्ली में न्यायाधिकरणों का एक केंद्र है जो देश के अन्य हिस्सों के अधिवक्ताओं को न्यायाधिकरणों को सौंपे गए मामलों से निपटने से वंचित करता है। वादियों के लिए पेशेवरों को शामिल करना भी महंगा है।

दिल्ली में सेवाएँ, जो समाज के एक बड़े वर्ग के लिए क्षमता से बाहर हैं। वास्तव में, आवास की कमी और महंगी पेशेवर सेवाओं के कारण, सरकार/विधायिका के लिए कुछ न्यायाधिकरणों की प्रमुख पीठों को दिल्ली के बाहर स्थानांतरित करने के लिए खुला रहेगा ताकि

दिल्ली में न्यायाधिकरणों को न्यूनतम किया गया है जो बदले में बार को विभिन्न स्थानों पर विकास करने में मदद करेगा, न्याय का किफायती प्रशासन सुनिश्चित करेगा और

दिल्ली में आवास की कमी की चुनौती का समाधान।

धारा 184 (7)

47. पैरा 53 (ix) में इस न्यायालय का निर्देश था कि संघ तीन महीने के भीतर न्यायाधिकरणों में नियुक्तियाँ करेगा, जबकि

अध्यादेश में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है कि केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेगी "अधिमानतः तीन महीने के भीतर। उप-पैरा (ix) और उप-धारा (7) में दोनों दिशाएँ केवल निर्देशिका हैं। यह सर्वसम्मत है कि मद्रास बार एसोसिएशन V. अभिव्यक्ति का उपयोग।

भारत का संघ और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।]

' होगा 'या' हो सकता है 'इस तथ्य का निर्धारक नहीं है कि शर्त अनिवार्य है या निर्देशिका। इसलिए, धारा 184 की उप-धारा (7) में उपयोग की गई 'अधिमानतः' अभिव्यक्ति को अलग करने का कोई कारण नहीं है। इस तरह के निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में जारी किए गए थे जो संसद की चार दीवारों पर रुकते हैं। उपयोग की जाने वाली भाषा विधायी क्षमता के भीतर आती है और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और न ही इसे स्पष्ट रूप से मनमाना कहा जा सकता है।

क्या अध्यादेश 2020 के नियमों में दोष को दूर किए बिना एमबीए-III में इस न्यायालय के फैसले को रद्द कर देता है? 48. याचिकाकर्ता ने यहां यह तर्क देने के लिए कुछ न्यायिक घोषणाओं पर भरोसा किया है कि अध्यादेश का प्रभाव 2020 के नियमों में खामियों को दूर किए बिना एमबीए-III में इस न्यायालय के फैसले को रद्द करना है। इनका उत्पादन और विश्लेषण नीचे किया गया है।

49. 26 पर निर्भर एक निर्णय में, क़ानून की भाषा को देखते हुए संपत्ति कर का उद्ग्रहण वैध नहीं पाया गया। राज्य

इस प्रकार विधायिका ने संपत्ति कर लगाने के आधार को बदल दिया। इसलिए, उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए लागू नहीं है, जहां निर्देश जारी किए गए थे, जो 2020 के नियमों की वैधता को नकारते हैं।

50. इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर निर्भरता मान्य नहीं है जिसमें बोनस के भुगतान के संबंध में एक समझौता किया गया था।

1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1977 तक कर्मचारियों के चार अलग-अलग संघों के साथ। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मंडमस की एक रिट जारी की गई थी। बोनस का भुगतान (संशोधन) अध्यादेश, 1975 इसके बाद सितंबर, 1975 में लागू किया गया था। बोनस का भुगतान अधिनियम उक्त विवादित अधिनियम की धारा 32 के आधार पर जीवन बीमा निगम पर लागू नहीं था। इस न्यायालय ने पाया कि विवादित अधिनियम ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वार्षिक नकद बोनस के भुगतान से संबंधित पूरे समझौते को शून्य नहीं किया और वह भी 1 अप्रैल, 1975 से। चूंकि समझौता अंतिम रूप ले चुका था, इसलिए इसे मंजूरी दे दी गई थी निदेशक मंडल के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा, और यह कि कर्मचारियों को वार्षिक नकद बोनस का भुगतान करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रिट ऑफ मैंडमस जारी किया गया था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्णय को अपील या समीक्षा के माध्यम से सुधार किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता है

जीवन बीमा कंपनी द्वारा इसकी उपेक्षा या उपेक्षा की जाती है और इसका पालन किया जाना चाहिए।

26 श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और अन्र. वी. ब्रोच बरो नगरपालिका और अन्य। , (1969) 2 एस. सी. सी. 283

27 मदन मोहन पाठक और अन्र। वी. भारत संघ और अन्य।

21] 5 एस सी आर।

एस. एस. बोला और ओआरएस में। वी. बी. डी. सरदाना और Ors.28, इस न्यायालय ने मदन मोहन पाठक में निर्णय की व्याख्या की। यह पाया गया कि सात में से छह माननीय न्यायाधीशों ने अपने निर्णय को इस आधार पर स्थगित कर दिया कि विवादित अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 31 (2) का उल्लंघन करता है और विचाराधीन अधिनियम को विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति को हड़पने का कार्य नहीं मानता है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" 189 ..... बहुमत के फैसले में कहा गया कि विवादित अधिनियम अनुच्छेद 31 खंड (2) का उल्लंघन करता है क्योंकि अधिनियम का प्रभाव जीवन बीमा निगम को वार्षिक नकद बोनस के संबंध में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को देय स्वामित्व ऋणों को हस्तांतरित करना था और इन ऋणों के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए किसी भी मुआवजे के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह कहा जा सकता है कि बहुमत के फैसले में विचार नहीं किया गया था

यह प्रश्न कि क्या विधानमंडलों ने अधिनियम को लागू करके न्यायिक शक्ति को हड़प लिया है और केवल एक सक्षम अदालत के फैसले को अमान्य घोषित कर दिया है। बेग्, सी. जे.। हालाँकि, फैसले के पैरा 32 में अपने सहमति वाले फैसले में कहा गया है कि अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य इसके परिणाम को दरकिनार करना था -

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश, हालांकि, इसमें इस तरह का उल्लेख नहीं है, और इसलिए, विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि अधिनियम की धारा 3 न्यायिक शक्ति पर सेंध लगाने के लिए अमान्य होगी।

190. तीन अन्य विद्वान न्यायाधीश, अर्थात् वाई. वी. चंद्रचूड़, एस.

मुर्तजा फजल अली और पी. एन. शिंगल, जे. जे. इस पर सहमति जताई

न्यायमूर्ति भगवती ने निष्कर्ष निकाला, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय को केवल इस आधार पर स्थगित करना पसंद किया कि विवादित अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 31 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और वास्तव में उन्होंने 1976 की रिट याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के प्रभाव पर कोई राय व्यक्त करना अनावश्यक समझा। इस प्रकार सात विद्वान न्यायाधीशों में से छह विद्वान न्यायाधीशों ने उन्हें विश्राम दिया।

इस आधार पर निर्णय कि विवादित अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 31 (2) का उल्लंघन करता है और विचाराधीन अधिनियम को विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति को हड़पने का कार्य नहीं मानता है। अनुच्छेद 32 में बेग, सी. जे. का अवलोकन इसमें प्रतीत नहीं होता है। इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई अधिकारियों के साथ सामंजस्य

इसके बाद चर्चा की जाएगी।'

28 (1997) 8 एस. सी. सी. 522 मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।]

51. बी. के. पवित्रा बनाम भारत संघ ", मदन में निर्णय

मोहन पाठक पर विचार किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त मामले में ऐसी स्थिति शामिल नहीं थी जहां एक कानून को अधिकार से बाहर माना गया था और कानून की अयोग्यता की घोषणा के आधार को ठीक करने की मांग की गई थी। यह निम्नानुसार देखा गया:

" 83.2 . भारतीय एल्यूमीनियम कं. [भारतीय एल्यूमीनियम कं. v. राज्य

केरल का, (1996) 7 एस. सी. सी. 637], जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि: (एस. सी. सी पी.

660 , पैरा 49)

" 49. मदन मोहन पाठक बनाम। भारत संघ [मदन] मोहन पाठक बनाम। भारत संघ, (1978) 2 एस. सी. सी. 50: 1978

एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 103]। भगवती द्वारा की गई टिप्पणियों से,

जे. बहुमत के अनुसार, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय का इरादा नहीं था

कि संसद के पास किसी भी परिस्थिति में शक्ति नहीं है न्यायालय द्वारा बताए गए दोष को हटाकर कानून में संशोधन करना।

समान रूप से, मुख्य न्यायाधीश बेग की टिप्पणी को भी समझना होगा। इस संदर्भ में कि जब तक मैंडमस का प्रभाव जारी किया जाता है

अदालत द्वारा कानूनी और संवैधानिक रूप से नहीं बनाया गया है

अप्रभावी, राज्य निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार

समझा, यह अप्रत्याशित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कानून को निर्धारित करने का इरादा किया कि

अदालत द्वारा जारी आदेश को बिल्कुल भी अप्रभावी नहीं बनाया जा सकता है।

विधायिका द्वारा बनाए गए एक वैध कानून द्वारा, दोष को दूर करना

अदालत द्वारा इंगित किया गया "।

(जोर दिया गया)

84. मदन मोहन पाठक [मदन मोहन पाठक बनाम। संघ भारत सरकार (1978) 2 एस. सी. सी. 50: 1978 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 103] में एक

ऐसी स्थिति जहाँ एक संसदीय कानून को ओवरराइड करने के लिए अधिनियमित किया गया था

आदेश जो भुगतान के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था

एक ऐसी स्थिति जहाँ एक कानून को अधिकार से बाहर और आधार माना जाता था कानून की अयोग्यता की घोषणा को ठीक करने की मांग की गई थी।

52. एक अन्य निर्णय 30 जिस पर भरोसा किया गया है

मुल्लापेरियार बांध की ऊँचाई को लेकर दो राज्यों के बीच अंतर-जल विवाद। केरल सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम, 2003-31

29 (2019) 16 एस. सी. सी. 129 30 तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य (2014) 12 एस. सी. सी. 696 31 संक्षेप में, '2003 अधिनियम' [2021] 5 एस. सी. आर.

केरल विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो 18.09.2003 पर लागू हुआ था। इस न्यायालय द्वारा 27.2.2006 पर सुनवाई के समय केरल राज्य द्वारा इस तरह के अधिनियम का न तो उल्लेख किया गया था और न ही उस पर भरोसा किया गया था। 18.03.2006 पर, इस न्यायालय के फैसले के तीन सप्ताह से भी कम समय में, केरल राज्य विधायिका ने केरल सिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 200633 पेश करके 2003 के अधिनियम में संशोधन किया, जो विचाराधीन निर्णय का विषय था। उक्त अधिनियम को तमिलनाडु राज्य द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक मूल मुकदमे में चुनौती दी गई थी। एक तर्क

यह उठाया गया था कि विवादित कानून न्यायिक शक्ति को हड़पने के बराबर है क्योंकि केरल राज्य विधानमंडल ने एक न्यायिक निकाय की भूमिका को अपने लिए अभिमानी बना लिया है और खुद बांध सुरक्षा और जल स्तर को बढ़ाने के बारे में प्रश्नों को निर्धारित किया है जब ऐसे प्रश्न विशेष रूप से न्यायपालिका के प्रांत के भीतर आते हैं और इस न्यायालय द्वारा पहले ही अपने दिनांकित 27.02.2006 के फैसले में निर्धारित किए जा चुके हैं। इस न्यायालय ने एक विस्तृत निर्णय में कहा:

" 126. मुल्लापेरियार में 27.02.2006 पर इस न्यायालय का निर्णय

जाँच, प्रक्रिया के दौरान सुनिश्चित किए गए तथ्यों पर आधारित सुनना। यह पूरी तरह से एक न्यायिक सवाल था। राज्य का दावा

केरल का कहना था कि जल स्तर को उसके वर्तमान से नहीं बढ़ाया जा सकता है।

136 फीट का स्तर। दूसरी ओर, तमिलनाडु ने दिशा मांगी।

जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने के लिए। और, मजबूत करने के बाद, इसके लिए 152 फीट का पूर्ण स्तर। केरल द्वारा जल स्तर तक बाधा

मुल्लापेरियार बांध को 142 फीट तक बढ़ाया जा रहा है। जमीन पर

सुरक्षा असमर्थनीय पाई गई थी, और अपने फैसले में, इस न्यायालय ने

उच्चारण करते हैं।

XX

XX

XX

154. जहां दो राज्यों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है

इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया, जिससे निपटने का उसे अधिकार है

पक्षकारों में से किसी एक द्वारा अधिनियमित कोई भी एकतरफा कानून जिसके परिणामस्वरूप अंतिम निर्णय को पलटना बुरा है, इसलिए नहीं कि यह प्रभावित हुआ है

रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों द्वारा लेकिन क्योंकि यह सिद्धांत का उल्लंघन करता है

शक्तियों और कानून के शासन का पृथक्करण, जैसे कि

द.

विधायिका ने स्पष्ट रूप से न्यायिक शक्ति को हड़प लिया है।

XX

XX

XX

32 मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच बनाम। भारत संघ, (2006) 3 एस. सी. सी. 643 33 संक्षेप में, '2006 (संशोधन) अधिनियम' मद्रास बार संगठन v.

164. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, यदि 2006 के फैसले को देखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पक्षों की दलीलों पर विचार करने और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टों की जांच करने के बाद, इस न्यायालय ने जल स्तर को बढ़ाने के लिए बांध की सुरक्षा के बारे में निर्धारण के लिए मुद्दा उठाया। और एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे कि बांध जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने के लिए सुरक्षित था। और, तदनुसार, समापन अनुच्छेद में अदालत ने मुल्लापेरियार बांध के जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने की अनुमति देकर रिट याचिका और संबंधित मामलों का निपटारा कर दिया। और सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार बांध को और मजबूत करने की भी अनुमति दी। उक्त निर्णय के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को इस न्यायालय द्वारा 27.7.2006 पर खारिज कर दिया गया था। 2006 का फैसला अंतिम और बाध्यकारी हो जाने के कारण, उक्त कार्यवाही में तय किए गए मुद्दे निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर मुकदमे में न्यायिक आधार पर काम करते हैं।

संविधान "।

53. राम प्रवेश सिंह एक अन्य मामला है जहाँ राज्य का कानून विचाराधीन था। यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें विधायिका ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत कानून बनाने के लिए हस्तक्षेप किया था। इसी तरह, करनैल सिंह कानून की व्याख्या का मामला था और विधायिका या संसद द्वारा अधिनियमन से संबंधित नहीं था। इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के परिणामस्वरूप। द्वारा घोषित कानून

यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है जबकि संविधान का अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। द. कानून की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी है, भले ही अनुच्छेद 142 के तहत कोई निर्देश हो, लेकिन ऐसा निर्देश विधायिका पर व्यापक और बाध्यकारी नहीं है। इस तरह की सुसंगत रेखा है

इस न्यायालय के निर्णय डॉ. अश्विनी कुमार में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के साथ समाप्त होते हैं।

धारा 184 (11) का प्रावधान

54. अध्यादेश द्वारा धारा 184 (11) में अंत:स्थापित परंतुक दो स्थितियों से संबंधित है। एक से नियुक्त उम्मीदवारों के संबंध में है

26.5.2017 अधिसूचित तिथि तक जो धारा 184 की उप-धारा (11) के संदर्भ में 4.4.2021 है। दूसरा उन उम्मीदवारों के संबंध में है जिन्हें धारा 184 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत नियुक्त नहीं किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वह अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक संभावित प्रावधान है क्योंकि कोई भी उम्मीदवार जिसने 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, नियुक्ति पाने का पात्र नहीं है। 55. मुझे श्री कृष्णन वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती है कि एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार है और

वह भी इस न्यायालय के आदेश के तीन महीने के भीतर। सबसे पहले, एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा था कि सफल उम्मीदवारों को नियुक्त होने का एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त नहीं होता है जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 7. यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपयुक्त पाए जाते हैं, तो सफल उम्मीदवार होने का एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त करते हैं।

जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आम तौर पर अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के बराबर होती है और उनके चयन पर वे पद का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। जब तक कि प्रासंगिक भर्ती नियम नहीं हैं

इंगित करें कि सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने का राज्य का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास मनमाने तरीके से काम करने का लाइसेंस है। रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय उचित कारणों से ईमानदारी से लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियों या उनमें से किसी को भरा जाता है, तो राज्य उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

भर्ती परीक्षा, और किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस सही स्थिति का इस न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया गया है, और हम इन निर्णयों में कोई विसंगत टिप्पणी नहीं पाते हैं।

56. तथ्य यह है कि कानून ने एक निर्धारित करने के लिए हस्तक्षेप किया है

विशेष आयु जो विज्ञापन की स्थिति से भिन्न है, उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं करने का एक अच्छा कारण है। रोजर मैथ्यू के मामले में वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 174,175 और 184 की वैधता को बरकरार रखा गया है। इसलिए, इस तरह के संशोधन के बाद, नियुक्तियां केवल वित्त अधिनियम की धारा 184 के तहत प्रसिद्ध नियमों के संदर्भ में की जा सकती हैं। अब, कुछ नियम अध्यादेश द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसलिए, जिन उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं किया गया है, उन्हें केवल वित्त

अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 184 के संदर्भ में नियुक्ति लेनी होगी। जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया था, वे नियुक्ति नहीं ले सकते हैं।

उनके पुराने चयन और योग्यता का आधार। 34 शंकरसन दास बनाम। भारत संघ, (1991) 3 एस. सी. सी. 47 मद्रास बार एसोसिएशन v.

भारत का संघ और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।]

57. न्यायाधिकरणों के कुछ अध्यक्षों और सदस्यों को अंतरिम आदेशों के संदर्भ में 26.5.2017 से 4.4.2021 के बीच नियुक्त किया गया था।

58. उस समय जब अंतरिम आदेश पारित किए गए थे, विद्वान महान्यायवादी की रियायत न्यायाधिकरणों को कार्यात्मक रखने के लिए प्रचलित स्थिति को ध्यान में रखते हुए थी। रोजर मैथ्यू में अंतरिम आदेश अंतिम आदेशों के साथ विलय हो गए हैं, जिसमें इस न्यायालय ने फिर से न्यायाधिकरणों को नियुक्तियों का निर्देश दिया है और नियुक्ति की शर्तों की शर्तें वित्त विधेयक, 2017 के अधिनियमन से पहले संबंधित क़ानून के अनुसार होंगी। संघ को इस आदेश में संशोधन करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसलिए, अंतरिम आदेश जिसने अनुमति दी नियुक्तियाँ अब उस अध्यादेश में समाहित हो गई हैं जिसने कार्यकाल और नियुक्ति के नियमों और शर्तों को परिभाषित किया है। यह अध्यादेश वास्तव में संघ को संशोधन की मांग करने की स्वतंत्रता के संदर्भ में है। केवल यह तथ्य कि संशोधन के लिए एक आवेदन लंबित है, विधायिका को अध्यादेश के माध्यम से एक क़ानून बनाने से नहीं रोकेगा। धारा 184 (11) के आधार पर आई. डी. 1 के बाद की गई नियुक्तियां मूल क़ानून द्वारा नहीं बल्कि अध्यादेश में उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होंगी। विद्वान महान्यायवादी की सहमति क़ानून यानी अध्यादेश के खिलाफ एक अवरोध के रूप में कार्य नहीं करेगी।

59. इस न्यायालय द्वारा खारिज किए गए अंतरिम आदेश जैसे कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण या चिकित्सा परिषद

60. विरेंद्र सिंह हुड्डा मामले में फैसला काफी अलग है। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता पहले दौर में सफल रहे। मुकदमेबाजी और इस प्रकार नियुक्त किए गए। इसके बाद इस अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियमित किया गया। अपीलार्थी अंदर गिर रहे थे

उम्मीदवारों की तीन श्रेणियों में से पहली श्रेणी, जैसे कि वे उम्मीदवार जिन्हें विवादित अधिनियम पारित होने से पहले हुड्डा और संदीप सिंह के मामलों में निर्णय को लागू करने के लिए नियुक्त किया गया था, (ii) वे, जिन्हें इस तरह से नियुक्त नहीं किया गया है, जिनके पास हुड्डा और संदीप सिंह के मामलों पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय उनके पक्ष में पारित किए गए हैं, और नियुक्ति के अधिकार का दावा करते हैं, लेकिन यदि अधिनियम की वैधता सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों के अनुसार है तो वे इससे वंचित हो जाएंगे।

21] 5 एस सी आर।

इसे बरकरार रखा जाता है और उस आधार पर उच्च न्यायालय के निर्णयों को पलट दिया जाता है और (iii) वे, जो पूर्व उल्लिखित दो परिपत्रों की व्याख्या और प्रयोज्यता पर हुड्डा के मामले में निर्धारित कानून के दायरे में आते हैं। यह न्यायालय निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

" 47. न्यायपालिका पर अतिक्रमण के बीच अंतर है

द्वारा न्यायिक निर्णय के प्रभाव की शक्ति और निरस्तीकरण

& एन. आर. , [(1973) 3 एससीसी 585]}। इसका कारण अवधारणा में निहित है हमारी संवैधानिक योजना द्वारा अपनाई गई शक्तियों का पृथक्करण।

कानून के अनुसार पक्षों के अधिकारों का निर्णय एक है

न्यायिक कार्य। विधायिका को निर्धारित करने वाला कानून निर्धारित करना होता है

आचरण के मानदंड जो पक्षों और लेन-देन को नियंत्रित करेंगे और

अदालत से उस कानून को लागू करने की मांग करना [आई. एन. सक्सेना का]

मामला (ऊपर)]।

48. विधायिका उस आधार को बदल सकती है जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है।

न्यायालय द्वारा दिया गया और इस प्रकार सामान्य रूप से कानून में परिवर्तन होता है, जो बड़े पैमाने पर व्यक्तियों और घटनाओं के एक वर्ग को प्रभावित करता है। लेकिन यह नहीं हो सकता है,

पक्षों के बीच एक व्यक्तिगत निर्णय को अलग रखें और उनके अधिकारों को प्रभावित करें

और अकेले देनदारियाँ। विधायिका की ओर से ऐसा अधिनियम

राज्य द्वारा न्यायिक शक्ति का प्रयोग करना और

शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा। { रीः कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण [1993 सप. (1) एस. सी. सी. 96 (II)]}।

XX

XX

X

X

52. इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि निहित अधिकार

यदि अनुच्छेद 14,16 और किसी अन्य का उल्लंघन करता है तो अनुज्ञेय नहीं है संवैधानिक प्रावधान। तमिलनाडु राज्य में v. अरूरन शक्कर

लिमिटेड, [(1997) 1 एस. सी. सी. 326], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब भी कोई

संशोधन पूर्वव्यापी रूप से या कोई प्रावधान लागू किया जाता है

अधिनियम को पूर्वव्यापी रूप से हटा दिया जाता है, इस प्रक्रिया में कुछ के अधिकार

आग्रह नहीं किया जा सकता है कि विधायिका द्वारा अभ्यास जबकि मद्रास बार एसोसिएशन के साथ एक नया प्रावधान लागू करना या मौजूदा प्रावधान को हटाना।

[हेमंत गुप्ता, जे।]

पूर्वव्यापी प्रभाव संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यदि उस स्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है, तो आवश्यक परिणाम यह होगा कि विधायिका को पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं थी। क्योंकि उस स्थिति में एक निहित अधिकार प्रभावित होता है।

61. इसके बाद इस न्यायालय ने पहली श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति को संरक्षित किया, जिन्हें नियुक्त किया गया था।

विचाराधीन अधिनियम के प्रारंभ से पहले। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" 68. उपरोक्त निष्कर्ष के बावजूद, अधिनियम [धारा 4 (3) का परंतुक] इस हद तक कि यह पहले से की गई नियुक्तियों को हटा देता है,

कुछ याचिकाकर्ताओं को बहुत पहले नियुक्त किया गया था इस न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन में अधिनियम (दस संख्या में जैसा कि पहले देखा गया है) का प्रवर्तन अनुचित, कठोर, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। कानून विधायिका को अदालत के फैसले के कार्यान्वयन में जो दिया गया है उसे वापस लेने की अनुमति नहीं देता है। इस तरह का पाठ्यक्रम अस्वीकार्य है "।

62. विचाराधीन उम्मीदवारों को विचाराधीनता के दौरान नियुक्त किया गया था

लिस की। ये नियुक्तियाँ पूर्ण नियुक्तियाँ नहीं थीं, बल्कि मूल अधिनियम के प्रावधानों के अधीन थीं, जिन्हें वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित किया गया है। वे वित्त अधिनियम की धारा 184 की उप-धारा (11) के प्रावधान के अनुसार मूल अधिनियम के तहत सेवानिवृत्ति की आयु तक पद पर बने रहने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। मूल अधिनियम के प्रावधान आदेश के साथ अस्तित्व में नहीं हैं

रोजर मैथ्यू में पारित किया गया और बाद में अध्यादेश के माध्यम से पेश किए गए विधायी अधिनियम।

63. इस प्रकार, मुझे लगता है कि धारा 184 (1) का पहला, दूसरा और तीसरा परंतुक, धारा 184 (7) में 'अधिमानतः' अभिव्यक्ति का उपयोग और धारा 184 (11) का परंतुक कानूनी और वैध है क्योंकि ऐसे प्रावधान विधायिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं। विधायिका ने नहीं किया है

उपरोक्त पहलुओं पर इस न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया क्योंकि 2020 के नियमों में ऐसे कोई संबंधित प्रावधान नहीं थे, जो न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा थे।

64. एम. बी. ए.-III में चार साल का कार्यकाल मान्य नहीं पाए जाने के कारण चार साल के अलावा अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तय करना विधायिका के लिए खुला है। धारा 184 (7) जो विचार करती है।

यह कि प्रवर समिति को दो नामों के पैनल की सिफारिश करनी चाहिए, एमबीए-III में इस न्यायालय के निर्देशों के विपरीत है।

184 (11) (i) (ii) और धारा 184 (7) को अमान्य घोषित किया गया है क्योंकि अध्यादेश ने उन प्रावधानों को दोहराया है जो 2020 के नियमों में थे। चुनौती अन्य प्रावधान कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं। इस प्रकार रिट याचिका को ऊपर उल्लिखित सीमा को छोड़कर खारिज कर दिया जाता है।

राइट पेटिटन
का निपटारा किया गया

बिभूति भूषण बोस